खण्ड-263, अंक-6
बुधवार, 4 फाल्गुन, शक संवत् 1887
(23 फरवरी, 1966 ई0)

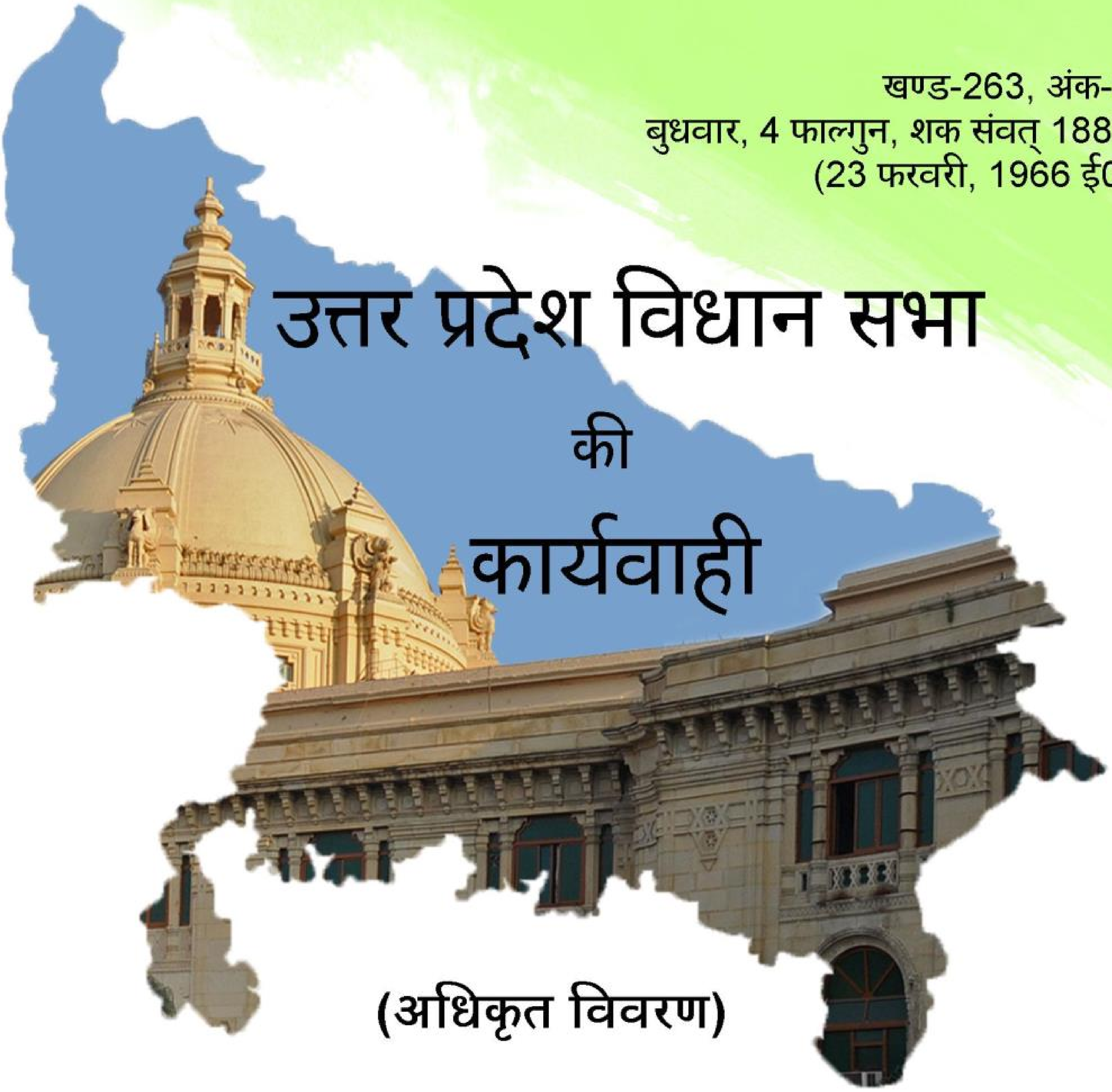

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 263 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९६८

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार, २३ फरवरी, १९६६

विधान सभा की बैठक सभा-मंडप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री मदनमोहन वर्मा की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य ३३३

अक्षयवरसिंह, श्री
अखण्डप्रतापसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनीसुर्रहमान, श्री
अब्दुल समी, श्री
अब्दुल हसीब खां, चौधरी
अमजद अली, श्री
अयोध्याप्रसाद, श्री
अवधेशकुमार सिनहा, श्री
अवधेशप्रताप, राजा
अवेद्यनाथ, श्री
अहमद बख्श, श्री
आनन्दसिंह, कुंवर
इन्द्रपाल, श्री
इन्द्रासनसिंह, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
ईश्वरशरण, श्री
उमादत्त, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
ऊदल, श्री
ऋषिनारायण शास्त्री, श्री
एस० जी० दत्त, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
कंधईलाल, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलासिंह यादव, श्री
कलारानी मिश्रा, श्रीमती
कल्याणचन्द्र मोहिले, श्री (उपनाम छन्नन गुरु)
कल्याणराय, श्री
काशीनाथबहादुरपाल, श्री
काशीनाथ मिश्र, श्री
काशीप्रसाद द्विवेदी, श्री
किशोरीलाल अग्रवाल, श्री
किश्वर आरा बेगम, श्रीमती
कृष्णानन्द राय, श्री
केदारनाथ भार्गव, श्री
केशभान, श्री
केशरीप्रसाद पांडेय, श्री
केशवराम, श्री
केशवसिंह, श्री
कैलाश, श्री
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
खेमचन्द, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगासिंह विष्ट, श्री
गणेशप्रसाद, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गयाप्रसाद मेहरोत्रा, श्री
गिरजाप्रसाद, श्री
गिरधारीलाल, श्री (वाराणसी)
गिरवरप्रसाद, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुलाबसिंह, श्री

गेंदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोविन्द सहाय, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रपाल, श्री
चन्द्रबलीसिंह, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चम्पावती, श्रीमती
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चुन्नीलाल, श्री
चैतन्यराजसिंह, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगदम्बा प्रसाद, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री (बहराइच)
जगदीशप्रसाद, श्री (मुरादाबाद)
जगदीशप्रसाद पांडेय, श्री
जगदीशशरण रस्तोगी, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथ राव, श्री
जगन्नाथसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जमीलुर्रहमान किदवई, श्री
जयगोपाल, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जलील अब्बासी, काजी
जियाउर्रहमान, श्री (उपनाम वक्कन)
जुगलकिशोर, आचार्य
जेड० ए० अहमद, श्री
जे० पी० मिश्र, श्री
झारखंडेराय, श्री
झिलमिटराम, श्री
टम्बेश्वरप्रसाद, श्री
डल्लाराम, श्री
डूंगरसिंह, श्री
तारा अग्रवाल, श्रीमती
तेजनारायण त्रिवेदी, श्री
तेजभानसिंह, कुंवर
त्रेपनसिंह, श्री
दयाराम शाक्य, श्री
दलजीतसिंह, श्री
दशरथप्रसाद, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दीनदयाल करबरिया, श्री
दीपनारायणसिंह, श्री
दुर्गाप्रसाद, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवीदत्त, श्री
देवेन्द्रसिंह, श्री
दौलतलाल, श्री
द्वारकाप्रसाद पांडेय, श्री
द्विजेन्द्रनारायण, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मसिंह, श्री
धूमप्रसाद, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरसिंहनारायण पांडेय, श्री
नरेन्द्रसिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नाथूराम शिक्षक, श्री
नित्यानन्द पांडेय, श्री
नियाज हसन खान, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नैनसिंह, श्री
नौनिहालसिंह चौधरी, श्री
पंचमदास, श्री
परमाईलाल, श्री
पशुपतिनाथसरनसिंह, श्री
पातीराम अहरवार, श्री
पितईराम, श्री
पुरुषोत्तमलाल बघवार, श्री (राजाजी)
पूरनलाल, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रेमसिंह, श्री
फूलसिंह, श्री
बंकटसिंह, श्री (टूम्नूसिंह)
बंशीधर पांडेय, श्री
बंशीधर मिश्र, श्री
बंशीलाल, श्री
बद्रीप्रसाद, श्री
बद्रीप्रसाद पालीवाल, श्री
बनवारीलाल विप्र, श्री
बब्बनसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री

बसन्तलाल, श्री
बसन्तसिंह, श्री
बाबूलाल, श्री
बालकराम वैश्य, श्री
बालेन्दुभूषणप्रतापसिंह, श्री
बिशनलाल यादव, श्री
बृजविहारी, श्री
बृजभूषणशरण, श्री
बृजमोहनलाल गुप्त, श्री
बृजराजसिंह, श्री
बृजरानी, श्रीमती
बृजेश्वर सहाय, श्री
बेचनराम, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजनाथसिंह वैद्य, श्री
बैजूराम, श्री
भगवानदास बरनवाल, श्री
भगवानदीन, श्री
भगवान सहाय, श्री
भगौतीदीन, श्री
भोखालाल, श्री
भूपसिंह, श्री
मंगलदेव, श्री
मंगलप्रसाद आर्य, श्री
मतोलासिंह, श्री
मदनपालसिंह, श्री
मनसाराम, श्री
मन्नालाल, श्री
महमूद हसन खां, श्री
महरामसिंह, श्री
महादेव, श्री
महावीरप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीरसिंह, श्री
महेन्द्रसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
माधवप्रसाद त्रिपाठी, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मुकन्दीलाल बैरिस्टर, श्री
मुकुटबिहारीलाल, श्री
मुन्नूसिंह, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
महम्मद रफी खां, श्री
मूलचन्द्र शास्त्री, श्री
मेवालाल जायसवाल, श्री
मेड़ीलाल, श्री
मोहनलाल, आचार्य
मोहनसिंह, श्री
यशपालसिंह वर्मा, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रदत्त, श्री
यादवेन्द्रसिंह, श्री (लल्लन जी)
योगेश्वरप्रसाद खंडूड़ी, श्री
रक्षपालसिंह, श्री
रघुनाथ, श्री
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुनाथसिंह, श्री
रघुवीर, श्री
रघुवीरसहाय कैथवार, श्री
रघुवीरसिंह, श्री
रतीपाल, श्री
रमाकान्तसिंह, श्री
राजनाथसिंह, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण मिश्र, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजाराम, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
राधेश्याम शर्मा, श्री
रामअधार कनौजिया, श्री
रामअधीनसिंह, श्री
रामअनन्त पांडेय, श्री
रामअवध, श्री
रामआसरे वर्मा, श्री
रामकिशोर त्रिपाठी, श्री
रामकिशोर वर्मा, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपालसिंह, श्री
रामप्यारे, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
राममूर्ति 'अंचल', श्री
रामरती, श्रीमती

रामरूपसिंह, श्री
रामलखन वकील, श्री
रामलखनसिंह, श्री
रामलाल, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह, श्री (मैनपुरी)
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दर शास्त्री, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामायणराय, श्री
रामेश्वरनाथ, श्री (उपनाम चौबे)
रियासत हुसैन, श्री
रुकुमसिंह राठौर, कुंवर
रुद्रप्रतापसिंह, कुंवर
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लखपतराम शर्मा, श्री
लखनसिंह, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री (जौनपुर)
लालबहादुरसिंह, श्री (वाराणसी)
लोकपालसिंह, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
विक्रमशाह, राजा
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयकुमार, श्री
विजयपालसिंह, श्री
विजयशंकर, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विजयसिंह, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विश्वनाथ पांडेय 'प्रणव', श्री
विश्वनाथप्रसाद, श्री
विष्णुप्रतापसिंह, श्री
वीरसेन, श्री
वैजनाथ पांडेय, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुन्तलादेवी, श्रीमती
शराफत हुसैन रिजवी, श्री
शशिभूषणसिंह, श्री
शान्तिचन्द्र शुक्ल, श्री
शारदानन्द, श्री
शिब्बनलाल सक्सेना, श्री
शिवदानसिंह, श्री
शिवनाथसिंह, श्री
शिवमंगल, श्री
शिवमूर्ति, श्री
शिवराजसिंह, श्री
शिवेन्द्रप्रताप, श्री
शीतलप्रसाद, श्री
शुगनचन्द मजदूर, श्री
शौकत हमीद खां, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामसुन्दर शुक्ल, श्री
श्रीपत मिश्र, श्री
श्रीपालसिंह, कुंवर
श्रीराम, श्री
श्रीराम तिवारी, श्री
सईद अहमद, श्री
सत्यदेव, श्री
सत्यनारायण पांडेय, श्री
सत्यवीर कुंवर, श्री
सन्तसिंह यूसुफ, श्री
सरदारसिंह, श्री
सालिग्राम जैसवाल, श्री
सियादुलारी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, डाक्टर
सुक्खनलाल, श्री
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री (इटावा)
सुखपाल, श्री (लखनऊ)
सुचेता कृपालानी, श्रीमती
सुरजनराम विशारद, श्री
सुरेन्द्रदत्त बाजपेयी, श्री
सुरेन्द्रविक्रम, श्री
सुशीला रोहतगी, श्रीमती
सूबेदारसिंह, श्री
सोहनलाल घुसिया, श्री
हमीद खां, श्री
हरिगनराम, श्री
हरिनाथ तिवारी एडवोकेट, श्री
हरीशकुमार गंगवार, श्री
हलीमुद्दीन, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
हेतरामसिंह, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री
होतीलाल अग्रवाल, श्री
होरीलाल यादव, श्री

नोट—वित्त मंत्री, श्री कैलाश प्रकाश तथा शिक्षा उप मंत्री, डाक्टर रामनारायण पांडेय भी उपस्थित थे।

प्रश्नोत्तर

बुधवार, २३ फरवरी, १९६६

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३० (४) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न।]

सिविल अस्पताल झांसी में सिनेमा इंस्पेक्टर की मृत्यु

*१—श्री लखपतराम शर्मा (जिला झांसी)—

क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि क्या यह सत्य है कि झांसी के सिनेमा इंसपेक्टर को दिनांक २८ जनवरी, १९६६ को रात ३ बजे सिविल अस्पताल, झांसी में उनके दिमाग में फ्रैक्चर व अन्य गम्भीर चोटों की दशा में भरती किया गया? यदि हां, तो क्या यह भी सत्य है कि दिनांक २९ जनवरी, १९६६ के प्रातः १० बजे तक किसी भी प्रकार की उपचार रूपी सहायता उन्हें नहीं दी गई और उनकी मृत्यु हो गई?

शिक्षा उपमंत्री (डाक्टर रामनारायण पांडेय)—

सूचना एकत्रित की जा रही है।

*२—श्री लखपतराम शर्मा—

क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि उक्त सिनेमा इंस्पेक्टर की मृत्यु का समय व तिथि क्या है और उनकी लाश के पोस्ट माटम किये जाने की तिथि तथा समय क्या है? दुर्घटना कहां व किस प्रकार हुई?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

सूचना एकत्रित की जा रही है।

श्री लखपतराम शर्मा—

अध्यक्ष जी, मेरा निवेदन यह था कि नं० १ व २ प्रश्न अल्पसूचित तारांकित प्रश्नों में स्वीकार किये गये थे, लेकिन इन प्रश्नों के उत्तर देने में चूंकि सरकार को कठिनाई थी, इसलिये इन्हें अल्पसूचित में नहीं रक्खा गया। मेरी जानकारी में मेरे इस प्रश्न को किये हुए पन्द्रह दिन हो चुके हैं लेकिन अब भी इस प्रश्न के विषय में सूचना एकत्रित की जा रही है जब कि यह एक गम्भीर और अहम सवाल है....

चिकित्सा मंत्री (श्री दाऊदाल खन्ना)—

अगर आप आज्ञा दें तो मैं जवाब दे दूं। ऐसा जवाब इसलिये दिया गया है कि जवाब तो आ गया था लेकिन हम उस जवाब से सन्तुष्ट नहीं थे। हमने स्पेशल मेसेन्जर द्वारा डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की रिपोर्ट चाही है लिहाजा हमने ऐसा जवाब दिया है।

श्री अध्यक्ष—

इस प्रश्न को प्राथमिकता रहेगी। पहिले यह अल्पसूचित तारांकित प्रश्न था। तारांकित रूप में स्वीकार हुआ है तो इसे प्राथमिकता प्राप्त रहेगी।

श्री लखपतराम शर्मा—

श्रीमन्, यह सूचना कब तक आ जावेगी।

श्री अध्यक्ष—

आ जायेगी। अभी तो असेम्बली दो महीने चलेगी।

चीनी मिल, खड्डा में सोखी की मृत्यु

*३—श्री चन्द्रबली सिंह, (जिला देवरिया) श्री उग्रसेन (जिला देवरिया), श्री बांकेलाल, (जिला देवरिया), श्री राधेश्याम शर्मा (जिला मथुरा), तथा श्री कृष्णा (जिला देवरिया)—

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक १९ जनवरी, १९६६ को चीनी मिल 'खड्डा' देवरिया के मैनेजर ने जबरिया श्री सौखी, मजदूर को गड्ढे की मशीन में कार्य करने भेजा, उसके प्राण पखेरू उड़ गये, मिल में फलस्वरूप १,२०० मजदूरों की उस दिन से हड़ताल है तथा ६० लाख टन किसानों का गन्ना खड़ा है ?

मुख्य मंत्री के सभा सचिव (श्री बंशीधर पांडेय)—

१९ जनवरी को श्री सोखी मिल मैनेजर के आदेश से गड्ढे में पम्प साफ करने के लिये गये। चूंकि मशीन बन्द नहीं की गई और पाइप की जाली भी अपने स्थान पर नहीं थी। अतएव श्री सोखी उस पाइप में खिंच गये और उनका देहान्त हो गया। श्रमिकों ने हड़ताल करदी। श्रमायुक्त के समक्ष दोनों पक्षों में ६-२-१९६६ को एक समझौता हो गया जिसके फलस्वरूप हड़ताल ७-२-१९६६ को १० बजे दिन में समाप्त हो गई।

श्री चन्द्रबलीसिंह—

क्या माननीय मंत्री बतायेंगे कि श्री सौखी की जिस मशीन पर ड्यूटी थी उस जगह से जबरदस्ती मैनेजर ने उसे ऐसे स्थान पर भेजा जहां पर उसका काम सीखा हुआ नहीं था ? इस तरह से मनेजर की बदनीयती के कारण सौखी की जान ले ली गई।

श्री बंशीधर पांडेय—

ऐसी सूचनाये या मामले जिला मैजिस्ट्रेट और पुलिस के अन्तर्गत आते हैं। चीफ इन्स्पेक्टर आव् फैक्टरीज की रिपोर्ट से ऐसा आभास मिलता है कि उनको अपनी इच्छा के विपरीत काम पर जाना पड़ा।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

जैसा कि जवाब से मालूम होता है कि मैनेजर साहब ने उस श्रमिक को ऐसे स्थान पर रख दिया जहां का वह विशेषज्ञ नहीं था और वह किसी और जगह काम करता था। ऐसी स्थिति में, ऐसा मैनेजर किसी फैक्टरी के मैनेजर होने के योग्य नहीं हैं। क्या सरकार ऐसी व्यवस्था करेगी कि किसी अथराईज्ड कंट्रोलर को मुकर्रर करके उस मैनजर को मैनेजरी से मुक्त करा दिया जाय ?

श्री बंशीधर पांडेय—

माननीय अध्यक्ष महोदय, वहां एक समझौता स्वयं हो गया है जिसमें इस बात का प्राविधान हो गया है कि वह मैनेजर वहां पर नहीं रहेगा।

श्री दयाराम शाक्य (जिला फर्रूखाबाद)—

क्या माननीय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री सोखी मृतक के परिवार को कोई मुआवजा दिया गया है ? यदि नहीं दिया गया है, तो सरकार इस संबंध में क्या प्रबन्ध करने जा रही है?

श्री बंशीधर पांडेय—

इस संबंध में श्रमायुक्त स्वयं गये हुए थे और ये बातें उनके विचाराधीन हैं।

श्री सन्तसिंह यूसुफ (जिला कानपुर)—

अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय की जानकारी के लिये बताना चाहता हूं कि जो समझौता हुआ है वह यह है कि वे लेबर कमिश्नर की मंजूरी से दोबारा वापस आ सकते हैं। मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी ऐसा आश्वासन दें कि वे मैनेजर इस फैक्टरी में दोबारा न आयें और उनकी जगह कोई दूसरा व्यक्ति काम करे।

श्री बंशीधर पांडेय--

समझौते में यह है कि यह जनरल मैनेजर नहीं जायेंगे और उनके कार्यक्रम को उनके मैनेजिंग डाइरेक्टर करा देंगे।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)--

मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि समझौते में किन-किन बातों की प्रमुखता है ?

श्री बंशीधर पांडेय--

लेबरर्स का विक्टीमाइजेशन नहीं होगा और हड़ताल की पे देने की बात को लेबर कमिश्नर देखेंगे।

श्री चन्द्रबलीसिंह--

क्या उन मैनेजर पर जिनके कारण उसकी जान गई सरकार जान लेने का मुकदमा चलाने पर विचार करने की कृपा करेगी ?

श्री बंशीधर पांडेय--

पोस्ट-मार्टम रिपोर्ट आने पर जिलाधिकारी इसे देखेंगे।

पूर्वी जिलों में जन शक्ति उपयोग योजनान्तर्गत कटौती

*४--श्री ब्रजबिहारी (जिला आजमगढ़)--

क्या सरकार को ज्ञात है कि पूर्वी जिलों में जनशक्ति उपयोग योजना के अन्तर्गत किये जाने वाले काम तत्काल बन्द किये जा रहे हैं ?

श्री बंशीधर पांडेय--

ऐसा नहीं है। आपातकालीन परिस्थितियों के कारण केन्द्रीय सरकार ने इस योजना में इस वर्ष एवं अगले वर्ष के बजट में भारी कटौती कर दी है अतएव केवल वे ही कार्यक्रम सम्पादित किये जायेंगे जिसमें कार्य शुरू हो गया है और कोई नया कार्य हाथ में नहीं लिया जायेगा।

*५--श्री बृजबिहारी--

क्या इस संबंध में सरकार का कोई आदेश जिलों में भेजा गया है ? यदि ऐसा है, तो क्या सरकार उसका विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री बंशीधर पांडेय--

शासन के कोई ऐसे आदेश नहीं हैं।

*६--श्री बृजबिहारी--

क्या सरकार आजमगढ़ तथा बलिया जिले में इस योजना के अन्तर्गत बन्द किये जाने वाले कामों की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री बंशीधर पांडेय--

प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री बृजबिहारी--

क्या मंत्री जी इस बात का आश्वासन देने की कृपा करेंगे कि इस योजना में जिन सड़कों पर मिट्टी डालने का काम समाप्त हो गया है। उन पर कंकड़ डाल कर पक्का करा दिया जाय ?

श्री बंशीधर पांडेय--

जिन सड़कों पर कार्य आरम्भ हो गया है उन्हें रोका नहीं है।

श्री बृजबिहारी—

क्या इसका अर्थ यह है कि बलिया तथा आजमगढ़ जिलों में जनशक्ति उपयोग योजना के अन्तर्गत चालू कामों में से कोई बन्द नहीं किया जा रहा है ?

श्री बंशीधर पांडेय—

जो प्रारम्भ हो गये हैं वे बन्द नहीं किये जावेंगे ।

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)—

क्या माननीय मंत्री जी इस बात की जानकारी प्राप्त करने की कृपा करेंगे कि यह उत्तर गलत है कि आपतकालीन स्थिति के कारण केन्द्रीय सरकार ने कटौती कर दी है। बल्कि कटौती इसलिये की गई है कि उनका विभाग ६५–६६ का रुपया व्यय नहीं कर सका ?

श्री बंशीधर पांडेय—

यह गलत है। भारत सरकार ने पहले २ करोड़ ५० लाख रुपये का हमको वायदा किया था और उसके अनुसार हमारे बजटमें प्राविधान हुआ। बाद में उन्होंने कहा कि आपत् कालीन परिस्थिति को देखते हुये १ करोड़ ४ लाख से अधिक रुपया वह नहीं दे सकते। यह रुपया वहां से आधा लोन के रूप में और आधा एड के रूप में आता है। इसलिये १,४६,००,००० की कटौती तो हो ही गई।

श्री जगदम्बाप्रसाद (जिला फैजाबाद)—

क्या वास्तविकता यह है कि जहां काम शुरू हुआ है वहां भी बन्द करने के आदेश सरकार के गये हैं ? इसका उदाहरण फैजाबाद जिले में जलालपुर के पास की सड़क है जिस पर मिट्टी पड़ चुकी है ?

श्री बंशीधर पांडेय—

किसी खास सड़क के बारे में लिखकर दें तो देख लिया जायगा।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बस्ती जिले में जनशक्ति उपयोग योजना में जो काम हो रहा था उसमें अगर बन्द हुआ तो कौन कौन सा काम बन्द हुआ ?

सामुदायिक विकास मंत्री (श्री राममूर्ति)—

कामों की तादाद बहुत ज्यादा है। सरेदस्त यह बताना कि किस जिले में कौन काम बन्द हुआ, मुमकिन नहीं है। माननीय सदस्य और कोई डैफ़ीनिट बात लिख कर दें। तो मालूम कराके बतला दिया जायगा।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

बन्द हुये या नहीं, विवरण न बतलावें ?

श्री बंशीधर पांडेय—

इसकी सूचना नहीं है।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

क्या माननीय मंत्री जी उन सभी पूर्वी जिलों के लिये जहां काम शुरू हो गया है आदेश जारी करने की कृपा करेंगे कि ६४–६५ व ६५–६६ में जो काम वहां के लिये स्वीकृत हो चुके हैं और जिन पर काम शुरू हो गया है वे जारी रखे जावें ?

श्री राममूर्ति—

इसकी आवश्यकता क्या है जब कह दिया गया है कि जो काम शुरू हो गये। वे बन्द नहीं किये जावेंगे। वे जारी रहेंगे।

श्री नरसिंह नारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)—

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इन पिछले ३-४ सालों में जनशक्ति योजना में जितना रुपया केन्द्रीय सरकार से सेंक्शन था या प्रादेशिक सरकार से सेंक्शन था वह उपयोग नहीं हो पाया और जिसकी बिना पर आप ने स्वयं सारे जिलों के अफसरों को बुलाकर एक मीटिंग की जिसमें कि माननीय बंशीधर जी पांडेय भी मौजूद थे और उन्होंने स्वयं जिले जिले में जाकर कहा था कि अब स्कीम्स को भेज दिया जाय और उनको सेंक्शन करके जारी कर दिया जायगा। तो मैं जानना चाहता हूं कि अभी एक मास से ज्यादा नहीं हुआ है तो फिर अभी तक इन कामों को शुरू न करने का कारण क्या है? कौन सी कठिनाई है कि वह रुपया इस्तेमाल नहीं हो पाया और जो काम शुरू हो चुके हैं वह भी पूरे नहीं कराये जा रहे हैं?

श्री बंशीधर पांडेय—

मैंने तो पहले ही ब्योरे से बता दिया कि सरकार की यह कोशिश थी कि यह काम बड़े पैमाने पर हो और प्रादेशिक सरकार ने तय किया था कि हम काफी रुपया इस काम के लिये नकद देंगे। इसमें एक कठिनाई यह भी थी कि गत वर्षों के कार्य टेक्निकल हैंड्स और इंजीनियर्स की कमी की वजह से पूरे नहीं हो सके लेकिन पिछले साल फिर भी हम ने काफी काम किया। अब तक का खर्च का ब्योरा साढ़े ३ करोड़ रुपये का है और इस साल के लिये भी ढाई करोड़ का प्रबन्ध किया गया है लेकिन संकटकालीन स्थिति के कारण केन्द्र ने इस रुपये को आधा कर दिया और १ करोड़ ४६ लाख घटा दिया। परन्तु हमारी मुख्य मंत्री जी ने इस सम्बन्ध में अभी प्रधान मंत्री को लिखा है और भूतपूर्व प्रधान मंत्री जी को पहले भी लिखा था और आशा है कि अधिक मिल सकेगा।

श्री बैजनाथसिंह वैद्य (जिला सुल्तानपुर)—

क्या मंत्री जी को मालूम है कि सुल्तानपुर जिले की अमेठी ककवा रोड जो इस स्कीम में ले ली गई थी, वह सड़क भी कुछ बन गई थी और सारी कार्यवाही समाप्त हो गई थी और श्री बंशीधर पांडेय ने स्वयं उस सड़क को जाकर देखा था और वहां पर पब्लिक में आश्वासन भी दिया था कि इसको जल्द पूरा किया जायगा लेकिन संकटकालीन स्थिति के कारण वह मुल्तवी हो गई थी, तो क्या मंत्री जी उसको अब जल्द लेने की कृपा करेंगे।

श्री राममूर्ति—

श्रीमन्, जैसा कि आप देख रहे हैं माननीय सदस्यों की जनशक्ति योजना के कामों से बड़ी दिलचस्पी है। हर आदमी अपने क्षेत्र की तरक्की चाहता है लेकिन हमारी दिक्कत यह है कि हमारे लिये यहां एक एक योजना के बारे में ब्योरा बताना कठिन है। अगर किसी माननीय सदस्य का किसी विशेष योजना से सम्बन्ध हो तो वह लिख कर भेज दें।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

माननीय मंत्री जी ने कहा कि केन्द्रीय सरकार ने बजट कम कर दिया, १ करोड़ ४६ लाख का कम कर दिया। तो मैं जानना चाहता हूं कि जब ३ करोड़ में से १ करोड़ ४४ लाख का ही मंजूर किया और काम ३ करोड़ का होता रहा तो शेष काम तो आप ही बन्द हो जायेंगे, यह कैसे है कि काम बन्द नहीं होंगे, वह तो होंगे ही?

श्री बंशीधर पांडेय—

माननीय सदस्यों को भ्रम सा हो गया है, मैंने तो अभी तक के कामों का ब्योरा दिया जो ६२-६३ से पिछले साल तक के थे जो साढ़े ३ करोड़ का था, इस साल भी ढाई करोड़ की मंजूरी थी। स्कीम तो १२ करोड़ की मंजूर थी उसमें से काम १ करोड़ ४ लाख का हो गया है, बजट का प्राविधान पूरा होता तो वह भी हो जाता।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय (जिला जौनपुर)—

मैंने माननीय मंत्री जी को गोधूनी-मूलगंज सड़क, जिला जौनपुर, ब्लाक मछलीशहर के बारे में लिखा था फिर क्या कारण था कि मेरी दिलचस्पी लेने पर भी माननीय मंत्री जी ने उसको योजना में सम्मिलित नहीं किया ?

श्री बंशीधर पांडेय—

गवर्नमेंट आफ इंडिया ने १७९ ब्लाकों के बारे में स्वीकृति दी थी। अगर आप का ब्लाक उनकी योजना में नहीं आता तो यहां से योजना में सम्मिलित किया जाना असंभव है।

श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल (जिला इटावा)—

क्या माननीय मंत्री जी जनशक्ति योजना के अन्तर्गत होने वाले शेष कार्यों को कराने के लिये भारत सरकार पर जोर डालेंगे ?

श्री अध्यक्ष—

वह कहते हैं कि वे रुपया देने को तो तैयार हैं, लेकिन आपत्कालीन स्थिति के कारण नहीं दे रहे हैं।

श्री बृजबिहारी—

क्या माननीय मंत्री जी ऐसे आदेश देने की कृपा करेंगे कि जिन जिलों में ये कार्य प्रारम्भ हो गये हैं, वे चालू रखे जांय, जिससे वहां जिलों में जो भ्रम पैदा हो गया है, वह न रहे ?

श्री राममूर्ति—

माननीय सदस्यों के दिमाग में भ्रम है, सरकारी अधिकारियों के दिमाग में भ्रम नहीं है।

श्री केशरी प्रसाद पांडेय—

क्या माननीय मंत्री जी मछलीशहर ब्लाक को सन् ६६ में जनशक्ति योजना के अन्तर्गत ले लेंगे ?

(उत्तर के लिये मंत्री को नहीं पुकारा गया।)

प्रधान मंत्री की मृत्यु पर औद्योगिक प्रतिष्ठानों में श्रमिकों को सवेतन छुट्टी न मिलना

*७—श्री सन्तसिंह यूसुफ—

क्या श्रम मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि औद्योगिक तथा व्यापारिक प्रतिष्ठानों में स्वर्गीय प्रधान मन्त्री, लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के समय दो दिन की छुट्टी में से केवल एक दिन का वेतन दिया गया है ? यदि हां, तो सरकार एक दिन के बकाया वेतन की अदायगी के लिये क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री बंशीधर पांडेय—

जी हां। कुछ प्रतिष्ठानों में ११ और १२ जनवरी, १९६६ दोनों दिन श्रमिकों को सवेतन छुट्टी दी गई, परन्तु बहुत से प्रतिष्ठानों में १२ जनवरी, १९६६ को सवेतन छुट्टी नहीं दी गई। उत्तर भारत सेवायोजक संघ द्वारा केवल ११ जनवरी की सवेतन छुट्टी घोषित की गई थी। अभी तक वह १२ तारीख की छुट्टी का वेतन देने को तैयार नहीं हैं।

श्री सन्तसिंह यूसुफ—

गवर्नमेंट आफ इंडिया के ११ और १२ दोनों तारीख को वेतन सहित छुट्टी दिये जाने का का ऐलान करने के बावजूद भी छोटे कारखानों ने तो दोनों दिन को छुट्टी दी लेकिन बड़े वालों ने केवल ११ तारीख का वेतन दिया लेकिन १२ का नहीं दिया। इस १२ तारीख का पैसा दिलाने के लिये सरकार क्या कर रही है ?

श्री बंशीधर पांडेय—

गवर्नमेंट आफ इंडिया का जो तार आया था उसमें यह कहा गया था कि प्राइम मिनिस्टर की मृत्यु हो जाने पर ११ तारीख पेड हालीडे होगा और १२ तारीख क्लोज्ड डे होगा। इस पर कुछ कारखानों ने दोनों दिन का पैसा दे दिया, कुछ ने एक दिन का दिया। लेबर कमिश्नर इस बात को देख रहे हैं।

श्री शराफत हुसैन रिजवी (जिला मुरादाबाद)—

क्या श्रम मंत्री जी को मालूम है कि बीड़ी के कारखानदारों ने एक दिन की भी मजदूरी नहीं दी है ? उनके खिलाफ सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री बंशीधर पांडेय—

इस संबंध में लेबर कमिश्नर आवश्यक कार्यवाही कर रहे हैं।

श्री चन्द्रजीत यादव—

क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि सारे भारत में दो दिन शोक मनाया गया था यानी एक दिन प्रधान मंत्री का शव आया और दूसरे दिन उसका दाह संस्कार हुआ। रेडियो से तत्काल ही एनाउन्स किया गया था कि सारे कन्सन्स में दो दिन का पेड हालीडे होगा। क्या मुख्य मंत्री जी स्वयं यह देखकर कि ऐसे राष्ट्रीय संकट के आदेश को भी कारखानेदार पालन नहीं कर रहे हैं इस बारे में कुछ करेंगी, उनके ऊपर प्रेशर डालेंगी ताकि इस मामूली-सी समस्या के ऊपर किसी आन्दोलन के करने की आवश्यकता न पड़े ?

मुख्य मंत्री (श्रीमती सुचेता कृपालानी)—

लेबर कमिश्नर इस मामले को देख ही रहे हैं और अगर जरूरत होगी तो लेबर मिनिस्टर भी इसको देखेंगे। अगर उनसे भी कोई कार्य न हो तो आप मेरे पास आ सकते हैं।

२३ फरवरी, १९६६ के लिए निर्धारित तारांकित प्रश्न

बाराबंकी जिले में मार्गों का निर्माण

*१—श्री रामकिशोर त्रिपाठी—

क्या यह बात सही है कि विगत ८ मई, १९६५ को मुख्य मंत्री के पास कोई ऐसा सुझाव आया है कि हैदरगढ़, त्रिवेदीगंज, सिद्धौर, जिला बाराबंकी को जनशक्ति योजना के अन्तर्गत शामिल कर सड़क निर्माण का कार्य किया जाय ? यदि हां, तो क्या सरकार उन सुझावों की एक प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री बंशीधर पांडेय—

जी हां, एक प्रतिलिपि संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ५८० पर)

*२—श्री रामकिशोर त्रिपाठी—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उक्त सुझावों के अनुसार जिले के किन-किन ब्लाकों के मार्गों को जनशक्ति योजना में शामिल कर पक्का बनाने की योजना बनाई गई है ?

[श्री राम किशोर त्रिपाठी]

क्या सरकार ने कोई उक्त योजना की पूर्ति हेतु छान बीन कराई है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार उक्त ब्लाकों को इस योजना में शामिल करने के लक्ष्य में उक्त ब्लाकों को भी शामिल करने पर विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो कितना धन प्रत्येक मार्ग पर व्यय करने की योजना है और यह कार्य कब तक प्रारम्भ हो जायगा ?

श्री बंशीधर पांडेय—

राज्य स्तर पर निर्मित ग्रामीण जन शक्ति समिति के एक निर्णयानुसार तीन अधिकारियों की एक उप समिति को यह कार्य सौंपा गया था कि वह चतुर्थ पंचवर्षीय योजना काल में ग्रामीण जन शक्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत लिये जाने वाले नये विकास क्षेत्रों का विचार करें। उक्त समिति ने प्रश्न एक में वर्णित सभी विकास क्षेत्रों को इस योजना में लिये जाने की सिफारिश की थी परन्तु वर्तमान आपतकालीन परिस्थितियोंवश भारत सरकार ने ग्रामीण जनशक्ति योजना के बजट में भारी कटौती कर दी है इस कारण इस योजना का विस्तार नये विकास खण्डों में संभव नहीं है। अतः बाराबंकी जिले के किसी भी ब्लाक के मार्ग को पक्का कराने का प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री रामकिशोर त्रिपाठी—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो समिति गठित की गयी थी उसने बाराबंकी जिले को छोड़ कर और किन-किन ब्लाकों को योजना में शामिल करने के लिये कहा है ?

श्री बंशीधर पांडेय—

श्रीमन्, इसके लिये सूचना की आवश्यकता होगी। इस समय मेरे पास ब्योरेवार सूचना नहीं है।

श्री रामकिशोर त्रिपाठी—

माननीय मंत्री जी ने पहले प्रश्न के उत्तर में कहा है कि बजट में कटौती के कारण जन शक्ति योजना के अन्तर्गत किये जाने वाले कार्य समाप्त कर दिये थे तो क्या माननीय मंत्री जी अब आश्वासन देंगे कि बजट में वृद्धि हो जाने पर हैदरगढ़, त्रिवेदीगंज, सिद्धौर ब्लाकों को फिर से शामिल कर लिया जायगा ?

श्री बंशीधर पांडेय—

जब बजट की हालत ठीक हो जायगी तो इस पर विचार किया जा सकता है।

श्री कृष्णानन्द राय—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जितना रुपया १९६५–६६ के लिये मिला है उस रुपये को नये ब्लाकों को न लिये जाने के कारण मार्च के महीने तक युटिलाइज हो सकेगा ?

श्री बंशीधर पांडेय—

अभी तो कटौती हो जाने से उससे ज्यादा रुपया खर्च हो जायगा जिसको एडजेस्ट करना पड़ेगा।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

अभी माननीय मंत्री जी ने कहा था कि जिन योजनाओं के सम्बन्ध में माननीय सदस्यों को दिलचस्पी हो, उनको लिख कर दे दें। जहां तक मुझे मालूम है इस सम्बन्ध में एक समिति भी राज्य स्तर पर गठित हुई थी तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या उस समिति ने वाराणसी के बड़ा गांव इंदरा ब्लाक को लेने के लिये लिखा था ?

श्री बंशीधर पांडेय—

कमेटी की रिपोर्ट की कोई सूचना तो नहीं है ।

श्री रघुनाथसिंह (जिला बाराणसी)—

जैसा कि पहले प्रश्नों में और इस प्रश्न के उत्तर में भी माननीय मंत्री जी ने कहा है कि भारत सरकार से अधिक पैसा न मिलने के कारण इन कामों को बन्द कर दिया गया । तो मैं जानना चाहता हूं कि जब राष्ट्रीय संकट नहीं था और उस समय भारतीय सरकार ने जन शक्ति योजना चलाने के लिये धन भी दिया था तो उस समय क्या सभी योजनायें पूरी कर दी गयीं ? यदि नहीं, तो कितने परसेन्ट पूरी की गयीं ?

श्री बंशीधर पांडेय—

मैं समझता हूं कि इस बजट के वर्ष से माननीय सदस्य का मतलब है कि बजट में जो एलाट-मेंन्ट था, उसमें कितना खर्च हुआ ?

श्री रघुनाथसिंह—

राष्ट्रीय संकट के पहले जो रुपया मिला, मेरा उससे मतलब है ।

श्री बंशीधर पांडेय—

इसके लिये सूचना की आवश्यकता है ।

श्री कृष्णानन्द राय—

श्रीमन्, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । सदन के सारे माननीय सदस्यों को यह जानकारी है कि १९६५–६६ में जितना भी रुपया केन्द्रीय सरकार से प्रदेशीय सरकार को प्राप्त हुआ था वह इस योजना के अन्तर्गत खर्च नहीं हुआ । अब तक जिलों से रुपया वापिस किया जा रहा है लेकिन माननीय मंत्री जी ने अभी उससे अधिक खर्च होने की बात कही तो क्या माननीय मंत्री जी एक हाई लेविल कमेटी बैठाने का कष्ट करेंगे जो इस चीज की जांच करें और यह देखे कि सब रुपया मार्च तक युटिलाइज हो सके । मेरे ही जिले से रिंग बांध का ४०,००० रुपया लौट रहा है ।

श्री बंशीधर पांडेय—

श्रीमन्, माननीय कृष्णानन्द राय जी ने जो कहा वह बजट के ज्ञाता हैं, वह मेरे साथ बैठ कर देख लेंगे । जब इस पर उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने इंजीनियर्स वगैरह को इस कार्यक्रम में लगा कर शुरू किया तो इस साल हमारा साढ़े तीन करोड़ रुपया खर्च करने का सवाल था और जब बजट कट कर १ करोड़ ४ लाख कर दिया गया तो मेरे पास रिपोर्ट है कि विभागों ने अब तक लगभग २ करोड़ रुपया खर्च किया है ।

श्री रामकिशोर त्रिपाठी—

क्या माननीय मंत्री जी इस बात को देखते हुए कि किसी भी ब्लाक में काम को शुरू करने के लिये एक ब्लाक शामिल करना जरूरी है, जैसी कमेटी ने रिपोर्ट दी है कि हैदरगढ़ और त्रिवेदी-गंज को शामिल कर लिया जाय तो क्या मंत्री जी विचार कर रहे हैं कि इन ब्लाकों को शामिल किया जाय ताकि जब बजट अलग करें तो काम शुरू किया जा सके ?

श्री बंशीधर पांडेय—

श्रीमन्, ब्लाक्स में बड़ी गलतफहमी है । ये ब्लाक हमारे अधिकार की बात नहीं है । यह गवर्नमेंट आफ इंडिया कहती है कि ५, १०० और २०० ब्लाक्स में यह योजना स्वीकृत होगी । तो अभी उन्होंने ५०० ब्लाक्स किये हैं जिनमें से १६९ ब्लाक्स उत्तर प्रदेश में हैं । आशा यह थी कि ५०० ब्लाक्स और लेंगे जिस में से १०० ब्लाक्स हम को देंगे । उस के बाद ही उत्तर प्रदेश ब्लाकों का निर्धारण कर सकेगा ।

वाराणसी को सड़ा गेंहूं

*३—श्री रामसुन्दर पांडेय—

क्या विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अभी हाल ही में वाराणसी में अमरीकी ४०० बोरा गेहूं जो उत्तर प्रदेश सरकार को पी० एल० ४८० के अन्तर्गत मिला था, रेलवे स्टेशन पर वैगनों के खुला रहने के कारण सड़ गया है और उसमें से बदबू निकल रही है ? तथा अधिकारियों ने उसे अखाद्य घोषित कर दिया है ? यदि हां, तो पूर्ण विवरण देने की कृपा करेंगे ?

श्री बंशीधर पांडेय—

२५२ बोरा गेहूं बम्बई से आते समय रास्ते में सड़ गया था जिसका विवरण इस प्रकार है:—

दिनांक ३ एवं ४ जून, १९६५ को ६ खुले वैगनों में ३६०० बोरे गेहूं बम्बई से वाराणसी के लिये भेजे गये थे जिनमें से ५ वैगन ८ जुलाई '६५ को तथा १ वैगन २८ जुलाई, ६५ को वाराणसी रेलवे स्टेशन पर पहुंचे। उन्हीं तारीखों में वैगनों से बोरे उतार लिये गये थे। डिलीवरी लेते समय १३९ बोरे पूरी तरह नष्ट हो चुके थे और उनमें दुर्गन्ध पैदा हो गई थी। अतः वे म्यूनिसिपल स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा अखाद्य घोषित किये जाने से नष्ट कर दिये गये। इसके अतिरिक्त ११३ बोरे गेहूं ऐसा था जिसमें '७० प्रतिशत खाद्यान्न नष्ट हो गया था। जिला मैजिस्ट्रेट, वाराणसी के आदेश से इसे १,८०० रुपये में नीलाम कर दिया गया था।

गेहूं के नुक्सान के मुआवजे के संबंध में भारत सरकार तथा रेलवे विभाग से लिखा पढ़ी चल रही है।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

क्या विकास मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि बम्बई में जब रेलवे वैगन्स पर यह बोरे लादे गये तो उस वक्त प्रादेशिक सरकार की ओर से कोई अधिकारी या कर्मचारी वहां मौजूद था या नहीं ? अगर था तो उस की देख-रेख में ये वैगन बिना ढके हुए क्यों भेजे गये ?

श्री राममूर्ति—

बम्बई में रीजनल डायरेक्टर फूड है, उस के जरिये से गेहूं सब जगह भेजा जाता है। वहां हमारे यहां का कोई आदमी नहीं है। हमारे यहां ११ जून को एक तार आया कि इतना गेहूं आ रहा है इसकी हमको डिलीवरी लेनी चाहिये। लिहाजा हमारे यहां जब गेहूं पहुंचा तो उसकी डिलीवरी ले ली गई। जो हालत है वह आप को मालूम है।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

क्या विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जो उनके फूड कंट्रोलर रहे हैं उन से जानकारी हासिल की गई थी कि उन्होंने ऐसी लापरवाही क्यों की जिससे इतना खाद्यान्न खराब हो गया और उनके खिलाफ कुछ कार्यवाही इनकी ओर से भारत सरकार के जरिये की जा रही है ?

श्री बंशीधर पांडेय—

इस संबंध में भारत सरकार से और रेलवे मंत्रालय से सारी बातों की लिखा पढ़ी चल रही है।

श्री लखपतराम शर्मा—

क्या मंत्री जी की जानकारी में यह है कि अमरीका से जो गेहूं हिन्दुस्तान के लिए सप्लाई हो रहा है उसमें अधिकांश मात्रा में वहीं से गेहूं खराब आ रहा है, क्या इसकी जानकारी उन को है ?

श्री अध्यक्ष—

आप का मतलब यह है कि वहां से ही खराब गेहूं आया इसलिये सड़ गया ?

श्री लखपतराम शर्मा—

अमरीका से जो भारत को गेहूं की सप्लाई हो रही है क्या इस तरह की शिकायत है कि वहीं से खराब गेहूं भेजा जा रहा है इसीलिये वह गेहूं यहां आने पर और खराब हो गया ?

श्री राममूर्ति—

यह नाजुक मसला है। इसमें माननीय सदस्य अपने विभाग की जिम्नास्टिक्स न करें। मैंने कह दिया कि जो अथारिटी बम्बई में हैं वह गेहूं डिस्ट्रिब्यूट किया करती हैं हमारे पास तो खाली इत्तला इस बात की आयी कि आप के लिये गेहूं भेजा जा रहा है, इसकी डिलीवरी वाराणसी में ले ली जाय। हमारे आफिसर्स ने डिलीवरी ली। जो खराब पाया गया उसे नष्ट कर दिया गया। कुछ को आक्शन किया गया जो कुक्कुट पालन के काम में आयेगा।

श्री लखपतराम शर्मा—

सवाल यह है कि वहां से गेहूं खराब आया है या नहीं ?

श्री अध्यक्ष—

उन्होंने कहा है कि यह नाजुक प्रश्न है।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय—

चूंकि गेहूं बम्बई से खुले वैगन में आया इसलिये उसमें १५६ बोरे खराब निकला ?

श्री राममूर्ति—

२५२ बोरे उसमें खराब निकला। ६२५ मन खराब गल्ला था। वैसे वह खुले वैगन में आया था।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय—

गेहूं ऐसी चीज खुले वैगन में बम्बई से वाराणसी तक भेजी गयी इसका क्या कारण है ?

श्री राममूर्ति—

इसीलिये रेलवे के लिये गवर्नमेंट आफ इंडिया की सब-अथारिटीज को लिखा जा रहा है। लिखा पढ़ी हो रही है। हमारे आफिसर्स लाते तो इसका सवाल हो सकता था।

श्री लखीसिंह (जिला मथुरा)—

क्या यह सत्य है कि यह गेहूं ऐसा है कि अमेरिका के पशु भी उसको नहीं खाते ?

(उत्तर के लिये मंत्री को नहीं पुकारा गया।)

श्री शारदानन्द (जिला सीतापुर)—

यह गेहूं बम्बई से किस तारीख में चला और बनारस कितने दिन के बाद पहुंचा ?

श्री राममूर्ति—

३,४ जून को वहां से चला। तार आया कि ११ जून को आ रहा है लेकिन रिसीव किया ५ जुलाई को।

विकास खंड, मुहम्मदाबाद गोहना के कर्मचारियों का बकाया

*४—श्री रामसुन्दर पांडेय—

क्या विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विकास खंड मुहम्मदाबाद मोहना, जिला आजमगढ़ के किन-किन कर्मचारियों का कितने-कितने समय का और कितनी-कितनी धनराशि, वेतन, यात्रा भत्ता एवं वेतन बढोत्तरी का बाकी है और क्यों ?

श्री बंशीधर पांडेय—

विकास खंड, मुहम्मदाबाद, गोहना, आजमगढ़ के निम्नांकित कर्मचारियों के वेतन एवं वेतन बढ़ोत्तरी के अवशेष का विवरण यह है:—

(१) श्रीमती इन्दुमती शुक्ला, सहायक विकास अधिकारी (महिला)—

श्रीमती शुक्ला की वेतन बढ़ोत्तरी दिनांक ११-९-६० से ३१-१२-६२ तक की ३१४.३४ रु० बाकी है। इनकी सेवा पुस्तिका बांदा जनपद से विलम्ब से आने के कारण वेतन बढ़ोत्तरी समय से नहीं निकाली जा सकी।

(२) श्री चन्द्रभान पांडेय, ग्राम सेवक—

श्री पांडेय का माह जून १९५९ के २१ दिन का वेतन मु० ८४-०० रु० अवशेष है। ९ दिन कार्य से अनुपस्थित रहने के कारण इनका वेतन रोका गया था, जिसका निर्णय न होने के फलस्वरूप वेतन नहीं निकाला जा सका। यात्रा-भत्ता किसी का अवशेष नहीं है।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

क्या माननीय मंत्री बतलायेंगे कि श्रीमती शुक्ला, सहायक विकास अधिकारी की वेतन बढ़ोत्तरी के सिलसिले में सर्विस बुक संबंधित अधिकारी के पास नहीं पहुंचाई गयी, तो इसका कारण क्या था ?

श्री बंशीधर पांडेय—

हमारे यहां से कई बार उनको पत्र लिखे गये लेकिन जिला नियोजन अधिकारी के यहां से किन्हीं कारणों से पुस्तिका नहीं आई। अब आ गयी है और वह आजमगढ़ भेज दी गयी है।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

क्या कारण थे कि तबादले के साथ उनकी पुस्तिका नहीं भेजी गयी और उनके खिलाफ क्या कार्यवाही हुई ?

श्री राममूर्ति—

यह तो रोटीन कार्य है। ट्रांसफर होता है तो पुस्तकें रह जाती हैं और यहां रह गयी तो यह कोई नई बात नहीं है। ऐसे केसेज होते हैं लेकिन किसी का पैसा रुकता नहीं, सब का पेमेंट हो जाता है।

श्री रामसुन्दर पान्डेय—

मंत्री जी को ऐसा जवाब नहीं देना चाहिये। ५९-६० का बकाया है और कहते हैं कि ऐसा होता रहता है ?

श्री अध्यक्ष—

उनका मतलब यह है कि गलती हो गयी।

श्री हरीश कुमार गंगवार (जिला बरेली)—

श्रीमन्, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। जब मंत्रिगण प्रश्न का उत्तर देते हैं तो आप कह देते हैं कि सूचना हो तो बता दीजिये तो स्पष्ट संकेत होता है कि सूचना नहीं है। दूसरे यह कि मंत्री जी का यह कहना है कि गलती हुई तो श्रीमन्, जो आप कहते हैं, क्या आपको यह कहना चाहिये ?

श्री अध्यक्ष—

माननीय गंगवार जी, जब मैं यह समझता हूं कि आपका प्रश्न असंगत है तो बजाय इसके कि मैं यह कहूं कि आपको मैं पूछने नहीं दूंगा, मैं आपको मौका देता हूं कि यदि मंत्री जी के पास सूचना हो तो वह दे दें यद्यपि वह प्रश्न असंगत है, तो मेरा मतलब यह रहता है कि मैं आपकी सेवा करूं। दूसरे यह कि मंत्री जी जब गलती करते हैं तो कह देता हूं कि वह मान रहे हैं कि गलती है। मैं कहता हूं कि गलती है और वे इन्कार नहीं करते हैं, तो इसके माने हैं कि वह मानते हैं कि गलती हुई।

श्री चन्द्रजीत यादव—

श्रीमन्, मंत्री जी ने कहा कि इस तरह की बात होती रहती हैं। लेकिन वस्तु स्थिति यह है कि जो इमीडियेट आफिसर होता है वह तबादले आदि के मामलों में जल्दी निर्णय नहीं लेता है, इससे विलम्ब हो जाता है और छोटे कर्मचारियों को नुक्सान उठाना पड़ता है, तो क्या मंत्री जी आदेश देंगे कि मामलों में आफिसर्स जल्दी निर्णय लिया करें जिससे कर्मचारियों को परेशानी न हो ?

श्री राममूर्ति—

अध्यक्ष महोदय, इस संबंध में संबंधित अधिकारी को ताकीद कर दी गई है कि इस प्रकार की बात आइंदा न हुआ करे।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि दोनों कर्मचारियों को वेतन प्राप्त हो गया है ?

श्री बंशीधर पांडेय—

श्रीमन्, उनकी सेवा मुक्ति का आजमगढ़ में भेज दी गई है और उनको मिल गई होगी।

आजमगढ़ सदर अस्पताल

*५—श्री रामसुन्दर पांडेय—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले के सदर अस्पताल में कुछ कर्मचारी सस्पेंड हैं ? यदि हां, तो क्या सस्पेंड कर्मचारियों को सस्पेंशन अलाउन्स मिल रहा है ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

सदर अस्पताल, आजमगढ़ का कोई कर्मचारी सस्पेंड नहीं है।

भगतपुर विकास खंड को अनुदान

*६—श्री रियासत हुसैन—

क्या विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ब्लाक भगतपुर, जिला मुरादाबाद में दिनांक १ जनवरी, १९६५ के बाद ३० नवम्बर, १९६५ तक कितना ग्रांट इन-एड का रुपया पशुपालन, हार्टीकल्चर, मछली पालन, मुर्गी पालन इत्यादि में किस-किस आदमी को दिया गया ?

श्री बंशीधर पांडेय—

भगतपुर टांडा विकास क्षेत्र, जिला मुरादाबाद में उक्त अवधि में जो रुपया जिस-जिस आदमी को पशुपालन, हार्टीकल्चर, मछली पालन, मुर्गी पालन में दिया गया है उसका विवरण संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ५८१ पर)

श्री रियासत हुसैन—

क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि इन मदों में इस ब्लाक में कुल कितना रुपया रखा गया है और किनको देना रह गया है, उसका क्या कारण है ?

श्री राममूर्ति—

श्रीमन्, यह तो बिलकुल नया सवाल है। इसके लिये सूचना की आवश्यकता है।

श्री रियासत हुसैन—

श्रीमन्, इन चारों मदों में तीन हजार रुपया रखा गया है। तो मैं जानना चाहता हूं कि...

श्री अध्यक्ष—

वे कहते हैं कि नोटिस की आवश्यकता है।

भगतपुर ब्लाक में सीमेंट वितरण

*७—श्री रियासत हुसैन—

क्या विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भगतपुर, जिला मुरादाबाद में १ जनवरी, १९६५ के बाद किन-किन लोगों को कितने गितने बोरी सीमेन्ट के परमिट जारी किये गये ?

श्री बंशीधर पांडेय—

इस काल में भरतपुर, जिला मुरादाबाद में जिन व्यक्तियों को जितनी-जितनी बोरी सीमेन्ट के परमिट जारी किये गये इसकी सूची बड़ी है। अतः इसको मेरे कार्यालय में देखने की कृपा करें।

श्री रियासत हुसैन—

क्या मंत्री जी को मालूम है कि सीमेंट के वितरण के संबंध में इस ब्लाक में आम शिकायत है कि सेक्रेटरी और बी० एल० डब्लू० परमिट ले लेते हैं और उसको बेच लेते हैं ? इसकी सूचना जिला नियोजन अधिकारी को भी दी गई है, क्या इसकी जांच की गई ? यदि हां, तो इसका क्या नतीजा निकला?

श्री राममूर्ति—

श्रीमन्, दरख्वास्त किस अधिकारी को दी गई इसकी सूचना नहीं है जिसको दी गई होगी वे जांच कर रहे होंगे। करीब ३६० आदमियों को सीमेन्ट दी गई। १०–११ आदमियों को १०-१२ बोरियां बांटी गई हैं बाकियों को ३।४ बोरियां दी गईं। यदि माननीय सदस्य को किसी खास अधिकारी के बारे में कोई शिकायत है तो वह लिख कर दे दें, मैं उसको देख लूंगा।

श्री शराफत हुसैन रिजवी (जिला मुरादाबाद)—

क्या माननीय मंत्री बतायेंगे कि जिन को दस-बारह बोरी दिया गया है उन्हें रहट के कुंए बनाने के लिये या मकान बनाने के लिए दिया गया है ?

श्री राममूर्ति—

ज्यादातर कुंए बनवाने दिया गया है।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

क्या विकास मंत्री सूची को देखने के बाद बताने की कृपा करेंगे कि इस ब्लाक में सरकार की ओर से जो अनुदान दिये गये थे प्राइमरी पाठशालायें बनाने के लिये क्या उन विद्यालयों के निर्माण के लिए सीमेंट दिया गया है ?

श्री राममूर्ति—

कइयों को दिया गया है।

श्री रियासत हुसैन—

मेरा निश्चित सवाल है। इस ब्लाक में आम शिकायत है कि मंत्री और बी० एल० डब्लू० सीमेंट की परमिट ले लेते हैं और प्रधान को परमिट न देकर किसी दूसरे को ब्लैक में परमिट दे देते हैं यह आम शिकायत है, उदाहरण के तौर पर प्रधान, हमीरपुर और प्रधान, सिरसवां गौड़ के नाम परमिट कटी, और कुछ लोगों ने दरख्वास्त दी कि हमें सीमेंट नहीं मिलती है, इस सम्बन्ध में कोई खास जांच करवाएंगे ?

श्री राममूर्ति—

प्रधान हमीरपुर ने क्या किया वह मुझे मालूम नहीं। लेकिन यह बात मालूम है कि जो सीमेंट बटा है उसमें पाठशाला वगैरह को भी दिया गया, रहट के लिए दिया गया है, गांव पंचायत के लिए दिया गया है। इसके अलावा मैं यह भी निवेदन कर दूं कि ब्लाक में एग्जिक्यूटिव कमेटी को यह काम दिया गया है कि वह परमिट बांटे। अगर किसी खास व्यक्ति के खिलाफ कोई शिकायत हो तो उसकी जांच करवा ली जायगी।

श्री अध्यक्ष—

वह पूछते हैं कि कोई शिकायत आपके कान तक पहुंची है ?

श्री राममूर्ति—

इसकी इस वक्त कोई मालूमात नहीं है।

बस्ती जिले में अवैध बधशालायें

*८—श्री जगदीशप्रसाद पांडेय (जिला बहराइच)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि नौगढ़ विकास खण्ड, जिला बस्ती में बिना लाइसेंस के अवैध रूप से बधशालायें चलाई जा रही हैं ? ये कितने हैं, किनकी हैं, और रोक कर फिर चलने देने का क्या कारण है ?

श्री बंशीधर पांडेय—

नौगढ़ विकास खंड, जिला बस्ती में बिना लाइसेंस के तीन वधशालायें वेलसड़, खजुरिया तथा मधुबेनी में क्रमशः सर्वश्री सैय्यद सुजातअली व सरवत अली, सर्वश्री मौलाबख्श व कदीम बख्श, और श्री अब्दुल जब्बार द्वारा चलाई जा रही हैं।

इसके पूर्व परगनाधीश। नौगढ़ ने भारतीय दन्ड विधान की धारा १४४ के अन्तर्गत शांति बनाए रखने के लिये रोक लगा दिया था जिनकी अवधि समाप्त होने पर मे वधशालायें पुनः चलने लगीं। इस सम्बन्ध में क्षेत्र समिति उचित कार्यवाही कर रही है। जिला परिषद् एवं क्षेत्र समिति एक्ट की धारा १६३ की उपधारा (२) के अनुसार नियन्त्रित ग्राम क्षेत्र (Controlled Rural area) की घोषणा करने के पश्चात् ऐसे उप नियम बनाये जायेंगे कि अवैध रूप से चलने वाली बधशालायें बन्द की जा सकें।

*९—श्री जगदीशप्रसाद पांडेय—

क्या यह सच है कि उपरोक्त विकास खण्ड ने अपनी बैठकों में कई बार प्रस्ताव करके इस काम को मना किया लेकिन जिला अधिकारियों ने ध्यान नहीं दिया ?

श्री बंशीधर पान्डेय—

९—विकास खण्ड नौगढ़ ने इन बधशालाओं को रोकने के लिये अनुमति की याचना जिलाधीश से की थी किन्तु इस याचना में कुछ वैधानिक दोष रह गया था जिसके कारण जिलाधीश से अनुमति प्राप्त नहीं हो सकी। इस वैधानिक दोष को दूर करने के लिये क्षेत्र समिति कार्यवाही कर रही है और क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम की धारा १६३ की उपधारा २ के अनुसार नियन्त्रित ग्राम क्षेत्र (Controlled Rural Area) की घोषणा करने के पश्चात् ऐसे अनियमित ढंग से चलने वाली पशु बधशालाओं को बन्द करने की कार्यवाही की जा सकेगी। जहां तक जिला परिषद्, बस्ती का संबन्ध है उसने इस बारे में उपनियम बना लिये हैं और उन्हें जनता की सूचनार्थ प्रकाशित करके जनता को आपत्ति करने का अवसर दिया है।

इन उपनियमों के लागू हो जाने पर परिषद् इस दिशा में वैधानिक कार्यवाही कर सकेगी।

*१०—श्री जगदीशप्रसाद पांडेय—

क्या उपरोक्त बधशालाओं में कटने वाले पशु कमजोर तथा बीमार अथवा चोरी के होते हैं ? इसे रोकने के लिये सरकार का क्या प्रबन्ध है ?

श्री बंशीधर पांडेय—

इस सम्बन्ध में कोई सूचना उपलब्ध नहीं है।

श्री जगदीशप्रसाद पांडेय—

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि क्षेत्र समिति ने एक बार नहीं कई बार जिलाधीश को अनियमित बधशाला रोकने के लिये प्रार्थना की लेकिन ढिलाई के कारण उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया ?

श्री बंशीधर पांडेय—

कुछ अनियमितता थी, उसको ठीक करना था। जिला परिषद् नियमावली जो बनी हुई है, उसको आब्जेक्शन के लिए प्रकाशित किया जा चुका है, और उसके बाद जब नियम लागू हो जायेंगे तो एनफोर्स कर देंगे।

श्री जगदीशप्रसाद पांडेय—

क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि नियम बनाये हुये ६ महीने से ज्यादा हो गये हैं, लेकिन अब तक उसे आप रोकने में असमर्थ रहे हैं, नियम जो क्षेत्र समिति ने बना लिये हैं, उसके प्रकाशन आदि की प्रक्रिया कब तक पूरी हो जायेगी ?

श्री अध्यक्ष—

यह कार्यवाही तो वहां हो रही है, यह क्या करें ?

श्री जगदीशप्रसाद पांडेय—

नहीं, यह आ गयी है।

श्री अध्यक्ष—

(मन्त्री से) क्या आपके पास कागजात आ गये हैं और उसके ऊपर जो कार्यवाही सरकार को करनी है, वह कितने दिन में हो जाएगी ?

श्री बंशीधर पांडेय—

यह जिला परिषद् और क्षेत्र समिति अपने नियम प्रकाशित करते हैं और उस पर जनता से आब्जेक्शन इन्वाइट करते हैं, जिसके आब्जेक्शन आते हैं, उस पर विचार किया जाता है, उन्हें दूर किया जाता है तो इसमें समय लगता है और उसके बाद यह हो जायेंगे।

श्री नाथूराम शिक्षक (जिला इलाहाबाद)—

अभी माननीय मन्त्री महोदय ने यह बताया कि अभी इसमें कुछ समय लग सकता है—नियमों को बनवाने या शुद्ध करने में या एलाउ करने में। लेकिन मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि तब तक जब तक कि यह नियम लागू न हो जाएं सरकार इन अवैध रूप से चलने वाली बधशालाओं को रोकने के लिये कोई आदेश निकालने की कृपा करेगी।

श्री अध्यक्ष—

जब तक नियमों से सम्बन्धित कार्य फाइनल न हो जाए तब तक क्या सरकार कोई अन्तरिम आदेश निकालेगी, यह वह जानना चाहते हैं।

श्री राममूर्ति—

यह तो बताया गया है कि दफा १४४ लगायी गयी है—

श्री नाथूराम शिक्षक—

आप इसके लिये क्या कदम उठा रहे हैं?

श्री राममूर्ति—

यह पंचायत राज है, अकबर बादशाह का राज्य नहीं है। जो नियमों के अन्तर्गत होगा वही किया जाएगा।

श्री नाथूराम शिक्षक—

करारी कस्बा मझंनपुर में कोई स्वीकृत दूकान नहीं है, लेकिन वहां पर फिर भी दर्जनों घरों में पशुवध हो रहा है, जिससे वहां के निवासियों में तनाव का अंदेशा उत्पन्न होता जा रहा है, लेकिन सरकार उन अवैध पशु-बधशालाओं को बन्द करने पर ध्यान नहीं दे रही है।

श्री रक्षपालसिंह (जिला फतेहपुर)—

अब तक प्रदेश में जितनी भी पशुबधशालाएं चलती थीं वह सब डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ऐक्ट के अन्तर्गत चलती थीं, लेकिन अब जिला परिषद् ऐक्ट के कारण वह समाप्त हो गया है। अब इसके लिये प्रदेशीय स्तर पर कोई एक कानून नहीं है, हर परिषद् के अधिकार क्षेत्र में है कि वह अपने अपने यहां इसके लिये नियम बनावे, इससे इस नियम के अन्दर काफी असमानता रहती है, हर क्षेत्र में नियमों में फर्क रहता है। हर एक का अलग-अलग अधिकार है कि वह अपने क्षेत्र के लिये इस सम्बन्ध में कानून बनाये जो कि अभी अधिकतर जगह बन नहीं पाये हैं। तो क्या माननीय मन्त्री जी ऐसा आदेश देने की कृपा करेंगे कि बिना लाइसेंस के जो प्रदेश के अन्दर बधशालायें चल रही हैं वह तब तक न चलें जब तक कि वह क्षेत्र समिति या जिला परिषद् से लाइसेंस न ले लें?

श्री राममूर्ति—

वह तो कानून के अन्तर्गत हर जिला परिषद् को अधिकार है अब हमें उसमें आदेश देने की क्या आवश्यकता है।

श्री हरीशकुमार गंगवार—

यह देखते हुए कि अवैध पशु बधशालाओं के चलने के कारण बहुत से पशु चोरी होने लगे हैं और वहां पर वह कटवाये जाते हैं, जिससे शान्ति व्यवस्था भंग होती है, लोगों में आपस में तनाव

की स्थिति उत्पन्न होती है। इसे देखते हुए क्या माननीय मन्त्री जी कम से कम दफा १४४ ही वहां पर लागू करने की कृपा करेंगे ?

श्री राममूर्ति—

जिलाधीशों को तो यह अधिकार प्राप्त ही हैं, हम उसमें क्या करेंगे इसके लिये।

श्री हरीशकुमार गंगवार—

यह देखते हुए कि इससे तनाव बढ़ता जाता है, क्या डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट आदेश देंगे कि जब तक यह नियम नहीं बनते हैं तब तक दफा १४४ के द्वारा कार्यवाही करके वहां शान्ति स्थापित की जाय ?

श्री राममूर्ति—

अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों के विचारों का बहुत आदर करता हूं किन्तु कानून तो अपने रास्ते पर चलता है। अगर शान्ति भंग की सम्भावना होगी तो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट अवश्य कानून के अन्दर कार्यवाही करेंगे।

विकास खण्ड, वार के कर्मचारियों का बकाया वेतन

*११—श्री विजय सिंह (जिला जालौन)

क्या विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला झांसी के विकास खण्ड वार में कर्मचारियों का वेतन १९६२ में मार्च से जून के बीच का रोका गया ? यदि हां, तो उपयुक्त कलाक्ष में उनकी नाम वार सूची देने की कृपा करेंगे ?

श्री बंशीधर पांडेय—

वांछित सूचना माननीय सदस्य को मेज पर प्रस्तुत है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ५८२ पर)

श्री विजयसिंह—

दयाराम कामदार को तन्खवाह किस आधार पर रोकी गयी है ?

श्री बंशीधर पांडेय—

इन्होंने एक महीने की छुट्टी ली थी। उनको छुट्टी दी गयी थी। बाद में यह बिना कहे हुये और रह गये। मान्यवर, दो दिन का वेतन और ज्यादा चला गया है, उसकी वसूली की कार्यवाही के लिये लिखा गया है।

श्री विजयसिंह—

छुट्टी कैंसिल करने के लिये कोई प्रमाणपत्र है। यह तार द्वारा या किसी पत्र द्वारा उनको छुट्टी कैंसिल की गयी थी ?

श्री बंशीधर पांडेय—

श्रीमन्, उनको एक महीने की छुट्टी दी गयी थी लेकिन वे और एक महीने अनधिकृत रूप से छुट्टी पर रहे।

श्री विजयसिंह—

जो सूचना दी गयी थी उस को गलत दिया गया था क्या उसकी जांच आप करवायेंगे ?

श्री अध्यक्ष—

अब वे इसकी जांच करवा लेंगे।

*१२—श्री विजयसिंह—

[इसे तारांकित के लिये स्थगित किया गया।]

जच्चा-बच्चा केंद्र, गरियांव का किराया

*१३—श्री केशरीप्रसाद पांडेय—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जच्चा-बच्चा केन्द्र गरियांव तहसील मछलीशहर, जिला जौनपुर पर कितने वर्षों का किराया बाकी है? क्या इस सिलसिले में मकान मालिक और जिला स्वास्थ्य अधिकारी जौनपुर में कोई पत्र व्यवहार चल रहा है? यदि हां, तो अब तक उक्त केन्द्र के किराये की अदायगी किसकी असावधानी से नहीं हो सकी है?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

जच्चा-बच्चा केन्द्र गरियांव तहसील मछलीशहर का किराया केवल जनवरी, १९६२ से फरवरी, १९६३ तक का बाकी है। इस सम्बन्ध में मकान मालिक का एक पत्र अगस्त, १९६३ में जिला स्वास्थ्य अधिकारी के कार्यालय में आया था।

२—किराये के भुगतान के बारे में और इस सम्बन्ध में यदि कोई असावधानी हुई हो, तो उस विषय में समुचित कार्यवाही करायी जा रही है।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय—

१४ महीने का किराया बाकी है और तीन वर्ष तक उनको न देने का क्या कारण है?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

श्रीमन्, यह २५ रुपये महीने के हिसाब से बाकी है। न देने का कारण यह है कि १ जनवरी का किराया उनको भेजा गया मनीआर्डर से, वह लौट आया कि उनका पतना हीं लगा। उसके बाद फिर भेजा गया अप्रैल में तो फिर वह लौट आया। इस तरह से इनका पता नहीं लगा। उसके बाद जब १९६३ में इनका पत्र आया तब से इनका किराया बराबर अदा होता रहा है। बीच का जितना किराया रह गया है वह प्रिमाडिट में जा कर जैसे ही सूचना आयेगी दे दिया जायगा।

श्री यादवेन्द्रदत्त (जिला जौनपुर)—

जनवरी में बताया कि लौटा और फिर अप्रैल में लौटा। एक बार लौटा दूसरी बार लौटा तो क्या सरकार ने पता लगाने की चेष्टा की कि उनका सही पता क्या है ताकि उनको दिया जा सके?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

मछलीशहर का जो उनका पता लिखा था उसी नाम से उनके पते पर भेजा गया। वह लौट आया तो फिर दूसरी बार पता लगाने की कार्यवाही करने की आवश्यकता नहीं समझी गई।

नोट—तारांकित प्रश्न १३ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

गर्भपात

*१४—श्री मुमताज मुहम्मद खां (जिला बुलन्दशहर) तथा श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि परिवार नियोजन के सम्बन्ध में क्या यह प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है कि एबोर्शन यानी गर्भ गिराने को कानूनन जायज करार दे दिया जाय?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

जी नहीं। ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

*१५—श्री मुमताज मुहम्मद खां तथा श्री कमलासिंह यादव—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस सम्बन्ध में क्या सरकार को हिदायत केन्द्रीय नियोजन आयोग ने भी अभी हाल ही में दी है? यदि हां, तो वह क्या है?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

जी नहीं। इस सम्बन्ध में केन्द्रीय नियोजन आयोग से कोई हिदायत सरकार को प्राप्त नहीं हुई है।

जिला परिषदों के कार्य अधिकारियों के लिए सक्राम्य संवर्ग

*१६—श्री सुखलाल (जिला इटावा)—

क्या सरकार जिला परिषदों के सेक्रेटरी के पद का प्रान्तीयकरण करने जा रही है? यदि हां, तो कब तक?

श्री राममूर्ति—

जी नहीं।

उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम की धारा ४४ के अन्तर्गत सरकार जिला परिषदों के कार्य अधिकारियों के लिये एक केन्द्रीय सक्राम्य संवर्ग बनाने जा रही है जिस के नियम शीघ्र ही प्रकाशित किये जायेंगे।

*१७-१८—श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

[गोपनीय विषय से सम्बान्धत होने के कारण हटा दिये गये।]

सिंचाई अनुसंधान

*१९—श्री हरीशकुमार गंगवार—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि अल्प सिंचाई में दो वर्ष पहले जो रिसर्च सेक्शन खोला गया था उस पर अब तक कितना खर्चा किया गया है और क्या-क्या अनुसन्धान किये गये और उन से क्या लाभ हुआ?

श्री राममूर्ति—

अल्प सिंचाई योजना के अन्तर्गत अनुसन्धान योजना शासन द्वारा १९६२-६३ में स्वीकृत की गई थी तथा इस योजना पर दिसम्बर, १९६५ तक कुल २,८३,४३०-०० रुपया व्यय हुआ है। निदेशक अनुसन्धान द्वारा किए गए अनुसंधान तथा उनसे प्राप्त लाभ का विवरण तालिका "क" पर संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ५८३ पर।)

*२०—श्री हरीशकुमार गंगवार—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इस रिसर्च सेक्शन में काम करने वाले उच्च आफिसरों की योग्यतायें तथा अनुभव क्या-क्या थे और सिंचाई विभाग से बुलाये गये इन अफसरों को इस संबंध में कोई तजुरबा पहले से था जिसका वे अनुसन्धान कर रहे हैं ? यदि हां, तो किस-किस को ?

श्री राममूर्ति—

इस रिसर्च सेक्शन के लिये निम्नलिखित अधिकारी स्वीकृत हैं जिनकी योग्यता एवं अनुभव उनके सम्मुख दिये जा रहे हैं -:—

१—निदेशक————————१

इस पद पर श्री एस० डी० शर्मा दिनांक १३-६-६४ से कार्य कर रहे हैं और इनकी योग्यता एवं अनुभव संलग्न "ख"पर है।

२—सहायक अभियन्ता————————२

इन पदों पर इस समय काम करने वाले निम्नलिखित हैं :—

१—श्री बी० पी० गर्ग, सहायक अभियन्ता, योग्यता एवं अनुभव संलग्न "ग" पर है ।

२—श्री एस० आर० यादव, सहायक अभियन्ता, योग्यता एवं अनुभव संलग्न "घ", पर है ।

उपरोक्त तीन अधिकारियों में से सर्वश्री एस० डी० शर्मा तथा बी० पी० गर्ग, सिंचाई विभाग से बुलाये गये हैं । इनकी योग्यता व अनुभव तालिका "ख" व "ग" पर दिया गया है ।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ५८४-५८५ पर)

खजुहा विकास खण्ड के कर्मचारी तथा ग्राम सेवकों का भत्ता

*२१—श्री रामकिशोर वर्मा (जिला फतेहपुर)—

क्या विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फतेहपुर जिले के विकास खंड खजुहा के उन ग्राम सेवकों के नाम क्या हैं जिनका वेतन, यात्रिक भत्ता एवं निलम्बन भत्ता, १ अप्रैल, १९६५ से २३ नवम्बर, १९६५ तक की मध्य अवधि का ५ दिसम्बर, १९६५ तक भुगतान नहीं किया गया और क्यों ?

श्री राममूर्ति—

इस जनपद के विकास खंड खजुहा में १ अप्रैल, १९६५ से २३ नवम्बर, १९६५ तक की मध्य अवधि का, ५ दिसम्बर १९६५ तक, निम्नलिखित ग्राम सेवकों को उनके सम्मुख दर्शाया गया वेतन, यात्रिक भत्ता एवं निलम्बन भत्ता नहीं दिया जा सका :—

१—श्री चन्द्रपाल सिंह — वेतन

२—सर्वश्री

सिद्ध गोपाल
चन्द्रपाल सिंह
रामस्वरूप वर्मा
श्री कृष्ण दीन सचान
सूर्य नरायन
राजेश्वर सिंह
राम निधि

} .. यात्रिक भत्ता

३—सर्वश्री

चन्द्रपाल सिंह
राम स्वरूप वर्मा .. निलंबन भत्ता
कृष्ण दीन सचान

श्री चन्द्र पाल सिंह का वेतन उनकी सेवा पुस्तिका के अभाव में उपर्युक्त ७ ग्राम सेवकों को यात्रिक भत्ता उनके भत्ता बिपत्रों पर ट्रेजरी द्वारा उठाई गई आपत्तियों का निराकरण कर संबंधित ग्राम सेवकों से विपत्र न प्राप्त होने के कारण तथा शेष उपर्युक्त तीन ग्राम सेवकों का निलम्बन भत्ता उनके बिल पर खजाने से दो बार आपत्तियां उठाये जाने के कारण भुगतान नहीं हो सका ।

*२२—श्री रामकिशोर वर्मा—

क्या विकास मंत्री यह बतायेंगे कि खजुहा विकास खंड में ३० नवम्बर, १९६५ को सेवारत समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों के पद सहित नाम क्या हैं और वह कब से उन विकास खंड में सेवा कार्य कर रहे हैं ?

श्री राममूर्ति—

वांछित सूचना संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ ५८६--५८७ पर)

जालौन जिले के ब्लाकों का पुनर्गठन

*२३—श्री विजयसिंह—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जालौन जिले में सरकार की ओर से कितने ब्लाक १९६५–६६ में समाप्त किये जा रहे हैं उनकी नामवार सूची देने की कृपा करेगी ?

श्री राममूर्ति—

वर्ष १९६५–६६ में जालौन जिले में कोई भी ब्लाक कम नहीं किया जा रहा है परन्तु जिला अधिकारियों से प्राप्त विकास खंडों के पुनर्गठन के प्रस्तावों पर विचार किया जा रहा है ।

*२४–२६—श्री कल्यानचन्द्र मोहिले (जिला इलाहाबाद)—

[५वें बुधवार के लिये स्थगित किये गये ।]

फतेहपुर जिले में पंचायती राज विभाग से हटाए गए चपरासी

*२७—श्री रघुवीरसहाय कैथवार (जिला फतेहपुर)—

क्या विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकार के आदेशानुसार फतेहपुर जिले में पंचायत राज विभाग के कौन-कौन ए० डी० ओ० और चपरासी जैसे चतुर्थ वर्ग के कर्मचारी किस तिथि को सेवामुक्त किये गये और उनमें से किनको कृषि व प्लानिंग विभाग में रिक्त हुये स्थानों पर रखा गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राममूर्ति—

फतेहपुर जिले में पंचायती राज विभाग के किसी ए० डी० ओ० की सेवायें समाप्त नहीं की गई हैं । केवल चार अस्थाई चपरासियों (पंचायत निरीक्षकों के वाहकों) की सेवायें दिनांक ३०–४–६५ को समाप्त की गई थी क्योंकि इन वाहकों के पद समाप्त कर दिये गये थे । अलहदा किये गये उक्त चपरासियों में से किसी को कृषि व प्लानिंग विभाग में नहीं रखा गया । केवल एक व्यक्ति की नियुक्ति जिला परिषद्, फतेहपुर में हो गई है । चूंकि शेष तीन चपरासी अस्थाई पदों पर काम कर रहे थे, अतः उनके दूसरे स्थानों पर रखे जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

*२८—श्री रघुवीरसहाय कैथवार—

क्या विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उक्त कर्मचारियों को रिक्त स्थानों पर सरकार के आदेश के बावजूद न रखने पर प्रश्नकर्ता द्वारा भेजे गये दिनांक २० मई, १९६५ व २ सितम्बर, १९६५ के पत्र उन्हें मिले हैं ? यदि हां, तो उन पर क्या आदेश व कार्यवाहियां हुई हैं ?

श्री राममूर्ति—

मान्यवर, सदस्य के पत्र दिनांक २०–५–६५ व २–९–६५ मिले थे और उन पर आवश्यक जांच कराई गई थी। जांच से यह पता चला कि चूंकि जिन व्यक्तियों की सेवायें समाप्त की गई थी वे चपरासी के अस्थाई पदों पर काम कर रहे थे, अतः उन्हें किसी अन्य स्थान पर रखना संभव नहीं था।

डाक्टरों और वैद्यों के वेतन में असमानता

*२९—श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़)—

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि राज्य सरकार का ध्यान गुजरात सरकार के उस निर्णय की ओर गया है जिसके अनुसार उसने नवम्बर, १९६५ से सार्वजनिक स्वास्थ्य और आयुर्वेदिक अस्पतालों में काम करने वाले डाक्टरों और वैद्यों के वेतनक्रम के बीच की असमानता दूर कर दिया है और सरकारी अस्पतालों, दवाखानों और सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग में काम करने वाले डाक्टरों और वैद्यों के लिये तीन नये वेतन क्रम निश्चित किये हैं ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

इस सम्बध में कोई अधिकृत सूचना सरकार को प्राप्त नहीं है।

*३०—श्री झारखंडे राय—

यदि हां, तो क्या सरकार उत्तर प्रदेश में डाक्टरों और वैद्यों के बीच की असमानता दूर करने की योजना पर विचार कर रही है ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

आयुर्वेदिक तथा यूनानी पद्धति के चिकित्सा अधिकारियों के संबंध में शासन अभी हाल में वेतन अभिनवीकरण समिति की सिफारिशों के आधार पर विचार कर चुकी है। अतः अब इस विषय पर पुनः विचार करने का प्रश्न नहीं उठता।

जिला चिकित्सालयों में दन्त चिकित्सक

*३१—श्री रामसुन्दर शास्त्री (जिला गाजीपुर)—

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि क्या प्रदेश के जिला चिकित्सालयों में पूर्णकालिक डेंटल सर्जन नियुक्त किये जा रहे हैं और अवैतनिक डेंटल सर्जनों को जो कि पन्द्रह बीस वर्ष से अधिक समय से सेवा कर रहे थे हटाया जा रहा है ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

जिन जिला चिकित्सालयों में पूर्ण कालिक डेन्टल सर्जनों के पद स्वीकृत हो गये हैं वहां उनकी नियुक्ति या तो कर दी गयी है या की जा रही है। ऐसे चिकित्सालयों से जहां पर केवल पूर्ण कालिक डेन्टल सर्जन से ही दन्त चिकित्सा का पूरा काम चल सकता है वहां से अवैतनिक डेन्टल सर्जनों के हटाने का प्रश्न शासन के विचाराधीन है।

*३२—श्री रामसुन्दर शास्त्री—

क्या सरकार इस संबंध में आदेश जारी करने का कष्ट करेगी कि उन अवैतनिक डेंटल सर्जनों को जिनका काम सन्तोषप्रद रहा है उनको पूर्णकालिक सेवा में नियुक्ति में प्राथमिकता दी जाय ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

पूर्ण कालिक सेवा में डेन्टल सर्जनों की नियुक्ति के लिये कुछ अर्हतायें निर्धारित हैं और जो अभ्यर्थी उन अर्हताओं की पूर्ति करते हैं उनकी नियुक्ति लोक सेवा आयोग की संस्तुतियों के आधार पर की जाती है। किसी वर्ग विशेष के अभ्यर्थी को दूसरे योग्य अभ्यर्थियों के ऊपर प्राथमिकता देने के लिये आदेश जारी करना प्रशासनिक दृष्टि से उचित न होगा।

जिला स्वास्थ्य अधिकारी फतेहपुर की मोटर की मरम्मत

*३३—श्री दीपनारायण सिंह (जिला फतेहपुर)—

क्या उत्तर प्रदेश सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि जिला स्वास्थ्य विभाग, फतेहपुर की मोटर गाड़ी कब से किस अधिकारी द्वारा किस फर्म में भेजी जाकर मरम्मत के लिये अब तक पड़ी है, गाड़ी की मरम्मत में विलम्ब होने का कारण क्या है ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

जिला स्वास्थ्य अधिकारी, फतेहपुर की मोटर गाड़ी दिनांक १५-५-६३ को मेसर्स यूनाइटेड मोटर्स, कानपुर को मरम्मत हेतु दी गई थी। चूंकि इस गाड़ी में पहले भी कई मर्तबा मरम्मत हो चुकी थी अतएव उन मरम्मतों का पूरा विवरण जानना आवश्यक था। इसमें काफी समय लग गया। इस के अतिरिक्त इस समय जो मरम्मत करवानी थी उसके लिये भिन्न-भिन्न फर्मों से कोटेशंस लेने में भी पर्याप्त समय लग गया।

आई० टी० आई०, ग्राम पयागपुर की इमारत

*३४—श्री यादवेन्द्रदत्त—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि करंजाकला, डाक जिला जौनपुर में फरीदाबाद ग्राम के सम्मुख जौनपुर शहर से ६वें मील जो आई० टी० आई० की बिल्डिंग बन कर तैयार है उसमें अब तक बनारस से स्कूल क्यों नहीं आया और विलम्ब का क्या कारण है ?

सहकारिता मंत्री (श्री बनारसीदास)—

आई० टी० आई० की इमारत, ग्राम पयागपुर, परगना हवेली, जिला जौनपुर में बन रही है। उसमें केवल भवन निर्माण का कार्य ही संपन्न हुआ है। बिजली लगाने का कार्य चल रहा है। इसके समाप्त होते ही आई० टी० आई० को बनारस से ले आया जायेगा।

गांव पंचायत, बिनौर की धनराशि

*३५—श्री चन्द्रजीत यादव—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या यह सत्य है कि गांव पंचायत बिनौर, परगना व जिला कानपुर के भूतपूर्व प्रधान मनोहर सिंह ने अपने प्रधान के पद का चार्ज वर्तमान प्रधान छेदा-सिंह को देते समय कई हजार रुपये गांव पंचायत की धनराशि भी चार्ज में दी थी ? यदि हां, तो गांव पंचायत की वह धनराशि कितने हजार रुपये की थी और उसे भूतपूर्व प्रधान मनोहर सिंह ने यू० पी० पंचायत राज ऐक्ट के नियम की धारा १९३ के अन्तर्गत डाकखाना या राज्य कोष में जमा क्यों नहीं किया था और वर्तमान प्रधान छेदासिंह ने उस धनराशि को कब राज्य कोष या डाकखाने में जमा किया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राममूर्ति—

गांव पंचायत, बिनौर, परगना व जिला कानपुर के भूतपूर्व प्रधान श्री मनोहर सिंह ने अपने प्रधान के पद का चार्ज श्री अर्जुन सिंह उप-प्रधान को दिया था न कि श्री छेदा सिंह, वर्तमान प्रधान को। श्री मनोहर सिंह ने चार्ज देते समय १३९८.७७ रुपये श्री अर्जुन सिंह, उप-

प्रधान को दिये थे। श्री मनोहर सिंह ने यह रुपया डाकखाने ने इसलिये नहीं जमा किया बताया जाता है कि इस रुपये से पंचायत के प्रस्ताव के अनुसार निर्माण कार्य किया जाना था। वर्तमान प्रधान, श्री छेदा सिंह ने श्री अर्जुन सिंह, उप-प्रधान से प्रधान के पद पर चुने जाने पर ९४८ रुपये २८ पैसे प्राप्त कये थे। इस रुपये को श्री छेदा सिंह ने पोस्ट आफिस में जमा नहीं किया और वे इसे गांव पंचायत में चल रहे निर्माण कार्य हेतु रखे रहे।

*३६—श्री कमलासिंह यादव—

[६वें सोमवार के लिये प्रश्न सं० २७ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

*३७–३८—श्री कमलासिंह यादव—

[६वें सोमवार के लिये प्रश्न संख्या ३९–४० के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

*३९–४०—श्री चन्द्रजीत यादव—

[५वें बुधवार के लिये स्थगित किये गये।]

विकास खंडों का पुनर्गठन

*४१—श्री हरीशकुमार गंगवार—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उत्तर प्रदेश में विकास क्षेत्रों का पुनर्गठन कब तक पूरा हो जायगा ?

श्री राममूर्ति—

प्रयत्न किया जा रहा है कि विकास खंडों का पुनर्गठन अगले वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ में लागू हो जाय।

*४२–४३—श्री जयगोपाल (जिला सहारनपुर)—

[५वें बुधवार के लिये स्थगित किये गये।]

कानपुर में विदेशी शराब की दूकान

*४४—श्री मुरलीधर कुरील (जिला कानपुर)—

क्या आबकारी मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर नगर में विदेशी शराब की कितनी दूकानें चल रही हैं ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

कानपुर नगर में विदेशी शराब की २४ दूकानें चल रही हैं जिनका विवरण नीचे दिया हुआ है :

किस्म दूकान	संख्या
एफ० एल० २ (थोक)	४
एफ० एल० ४ (खुली व बन्द बोतल)	२
एफ० एल० ५ (फुटकर केवल बन्द बोतल)	९
एफ० एल० ६ (होटल)	३
एफ ०एल० ७ (बार)	६
कुल ..	२४

*४५-४७—श्री काशीनाथ मिश्र—

[५वें बुधवार के लिये स्थगित किये गये ।]

फतेहपुर में विकास सम्मेलन व प्रदर्शनी

*४८—श्री रघुवीर सहाय कैथवार—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिलाधीश, फतेहपुर द्वारा २६, २७ और २८ दिसम्बर, १९६४ को मुस्लिम इन्टर कालेज फतेहपुर के मैदान में विकास सम्मेलन व प्रदर्शिनी आयोजित की गई थी जिसका कि उद्घाटन मुख्य मंत्री ने दिनांक २८ दिसम्बर, १९६४ को किया था ? यदि हां, तो उसके आयोजन में किस मद से कितना धन खर्च हुआ ?

श्री राममूर्ति—

जी हां । सूचना विवरण संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ ५९८ पर)

*४९—श्री लोकपालसिंह (जिला एटा)—

[५वें बुधवार के लिये स्थगित किया गया ।]

*५०-५२—श्री उग्रसेन—

[५वें बुधवार के लिये स्थगित किये गये ।]

एटा जिले में विकास खंड

*५३—श्री राजेन्द्रसिंह (जिला एटा)—

क्या विकास मंत्री जी कृपया बतावेंगे कि जिला एटा सामुदायिक विकास में कौन-कौन से विकास खंड समाप्त किये जा रहे हैं और कब तक ?

श्री राममूर्ति—

जिले से प्राप्त प्रस्तावों पर विचार किया जा रहा है ।

*५४—श्री राजेन्द्रसिंह—

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण हटा दिया गया ।]

*५५—श्री सन्तसिंह यूसुफ—

[६वें सोमवार के लिये प्र० सं० ५० के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

नेशनल होम्योपैथिक कालेज, लखनऊ को अनुदान

*५६—श्री कृष्णानन्द राय—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री कृपया बतलायेंगे कि इस प्रदेश में कितने होम्योपैथिक डिग्री कालेज हैं और किसको कितना अनुदान वित्तीय वर्ष १९६३-६४ में दिया गया है ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

इस समय प्रदेश में नेशनल होम्योपैथिक कालेज एवं हास्पिटल लखनऊ ही एक मात्र ऐसी संस्था है जो होम्योपैथिक में डिग्री कोर्स की शिक्षा प्रदान करती है। इसे वित्तीय वर्ष १९६३-६४ में दिये गये अनुदान की धनराशि ६९,०७८ रूपये है।

*५७—श्री कृष्णानन्द राय—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बतायेंगे कि प्रदेश के सरकारी अस्पतालों और डिस्पेंसरीज में दवाओं के लिये प्रत्येक अस्पतालों में रुपया भेज दिया जाता है अथवा दवाओं की खरीद प्रदेशीय सरकार खुद स्वयं करके दवायें भेज देती है ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

प्रदेश के सरकारी अस्पतालों और डिस्पेंसरीज में दवाओं के लिये प्रत्येक सिविल सर्जन तथा कुछ प्रमुख चिकित्सालयों के पास बजट एलाटमेन्ट रहता है और उसी से वे दवायें खरीदते हैं ।

*५८—श्री ऊदल—

[प्रश्नकर्त्ता द्वारा वापस ले लिया गया ।]

दूकानों के खुले रहने का समय

*५९—श्री सुखदेवप्रसाद (जिला गोंडा)—

क्या सरकार को ज्ञात है कि उत्तर प्रदेश में दूकानों के खुलने व बन्द होने का समय गर्मियों में ९ बजे प्रातः से रात्रि ८ बजे तक तथा जाड़ों में १० बजे प्रातः से ८ बजे तक है ? जिससे विद्यार्थियों व कार्यालयों के कर्मचारियों को खरीदारी का समय न तो सुबह मिलता है और न शाम को ? क्या सरकार दूकानों के समय में आवश्यक परिवर्तन करने की कृपा करेगी ?

श्री बनारसीदास—

दूकानों के कारोबार का समय भली प्रकार विचार करने के बाद निर्धारित किया गया । इसमें परिवर्तन करने की कोई आवश्यकता नहीं मालूम होती है ।

*६०—श्री कल्पनाथसिंह (जिला गोरखपुर)—

[५वें बुधवार के लिये स्थगित किया गया ।]

नौगढ़ ब्लाक में पेय जल कष्ट

*६१—श्री ऊदल—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गांव पथरौल, जमसोत्र, शाहपुर, डेडरी, औखाटांड, पंडी, लेरहा, जमसोती, लौआरी, नरकटी, वैगाड़, विजयपुर, ब्लाक नौगढ़ तहसील चकिया, जिला वाराणसी में पानी पीने के कुयें नहीं हैं और लोग झरनों का पानी पीते हैं ? यदि हां, तो उपरोक्त गांव के लिये सरकार पानी पीने के कुवें खुदवाने पर विचार करेगी ?

श्री राममूर्ति—

प्रश्नगत १२ गांवों के नाम शुद्ध कराये जाने पर भी उनमें से ३ गांव पथरौस, पन्डी और सीमारी का वजूद नहीं मिला। इनके स्थान पर पथरौर, मंडी और शेमर नाम के गांव होने की सूचना मिली है । ८ गांवों पथरौर, जमसोट, औखाटांडा, शाहपुर, लेड़हा, जमसोटी, नरकटी और विजयपुर में कुयें नहीं हैं और शेष ४ गांव में कुवें हैं। सरकार ने इस क्षेत्र में पेय जल की व्यवस्था के लिये सर्वेक्षण के आदेश दे दिये हैं और उसकी विस्तृत सूचना प्राप्त होने पर ही उचित कदम उठाया जा सकता है ।

काष्ठ कला उद्योग प्रशिक्षण केन्द, प्रयाग में छात्रवृत्ति

*६२—श्री नाथूराम शिक्षक —

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रयाग नगर में स्थापित काष्ठ कला उद्योग प्रशिक्षण केन्द्र में कितने छात्र १९६४–६५ में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे थे ?

श्री बनारसीदास—

१६८ छात्र ।

*६३—श्री नाथूराम शिक्षक—

उपरोक्त छात्रों में से कितने छात्रों को आवर्तक तथा कितनों को अनावर्तक छात्रवृत्ति दी गई ?

श्री बनारसीदास—

११७ छात्रों को आवर्तक तथा एक छात्र को अनावर्तक छात्रवृत्ति दी गई।

*६४—श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

(५वें बुधवार के लिये स्थगित किया गया।]

अतारांकित प्रश्न

गांव सभाओं का पुनर्गठन

१—श्री हरीशकुमार गंगवार—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रदेश में ग्राम सभाओं के पुनर्गठन का कार्य कब तक पूरा हो जावेगा ?

श्री राममूर्ति—

गांव सभाओं के पुनर्गठन का कोई कार्य इस समय नहीं किया जा रहा है। अतः यह प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्नों को सूची से हटा दिए जाने के संबंध में जानकारी

*श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

श्रीमन्, मैंने १७, १८ नम्बर पर प्रश्न किये थे उनको गोपनीय विषय से सम्बन्धित होने के कारण हटा दिया गया है। इसके बारे में मुझे यह निवेदन करना है कि पहले तो मेरे प्रश्न स्वीकार हो गये। मैं समझता था कि इनका उत्तर आयेगा लेकिन आज जब मैं आया तो इसमें लिखा देखा कि इनको गोपनीय विषय से सम्बन्धित होने के कारण हटा दिया गया है। यह बड़ा गम्भीर विषय है कि इनको गोपनीय विषय कर अक्सर टाल दिया जाता है। मैंने इसमें ये प्रश्न किये थे कि क्या यह सत्य है कि खाद्य उत्पादन को प्रोत्साहन देने के लिये राज्य मंत्रि-परिषद के सदस्यों को कुछ-कुछ जिले सौंपे गये थे यदि हां, तो किस-किस सदस्य को कौन-कौन से जिले दिये गये ?

दूसरा यह है कि क्या उक्त प्रश्न के उत्तर में लिखित सदस्यों के सम्बन्ध में यह बतलाने की सरकार कृपा करेगी कि नवम्बर, १९६५ में किस-किस सदस्य द्वारा उन्हें सौंपे गये क्षेत्र में क्या-क्या प्रयास किये गये ? तो मैं आपसे यह व्यवस्था चाहता हूं कि इस प्रकार के प्रश्न किस प्रकार गोपनीय हो सकते हैं। यहां कोई कैबिनेट की बात हम जानना नहीं चाहते हैं। हम वास्तविकता जानना चाहते हैं कि वास्तव में ये लोग जो कहते हैं उसमें कुछ सचाई है या जनता की आंख में धूल झोंकने के लिये यह कहते हैं ?

श्री अध्यक्ष—

मैं इसको देख लूंगा।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उत्तर प्रदेश विनियोग (१९६५-६६ का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, १९६६

सचिव, विधान सभा—

मैं उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम १५५ के अन्तर्गत सदन को सूचित करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (१९६५-६६ का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, १९६६ जो विधान सभा द्वारा १५ फरवरी, १९६६ को पारित किया गया था तथा श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के, दिनांक २२ फरवरी, १९६६ को वापस प्राप्त हो गया है।

। कतिपय विषय

श्री नाथूराम शिक्षक (जिला इलाहाबाद)—

श्रीमन्, मैं आपसे यह व्यवस्था मांगता हूं कि यहां सदन में बराबर यह बात कही जाती है कि हरिजनों के लिये बहुत कर रहे हैं ? मैंने यह प्रश्न किया था कि १९६४-६५ में काष्ठ कला उद्योग प्रशिक्षण विद्यालय, इलाहाबाद में कितने छात्रों को आवर्तक तथा कितने छात्रों को अनावर्तक छात्रवृत्ति दी गई ? उस विद्यालय में १६८ छात्र थे जो पढ़ रहे थे। उनमें ११७ को आवर्तक छात्रवृत्ति दी गई और केवल एक विद्यार्थी को १ अनावर्तक छात्रवृत्ति दी गई ? तो मैं यह आपसे व्यवस्था चाहता हूं कि यदि इस प्रकार से हरिजनों को सहायता दी जाती है तो इसको बन्द कर दिया जाय ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया।)

उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रतिनिहित विधायन समिति का षष्ठ प्रतिवेदन†

श्री बृजभूषण शरण (जिला देहरादून)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से, सभापति प्रतिनिहित विधायन समिति की हैसियत से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रतिनिहित विधायन समिति का षष्ठ प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं। अध्यक्ष महोदय, इस प्रतिवेदन में ७ अक्तूबर से २० जनवरी तक जो कार्य संपादन समिति द्वारा हुआ है उसकी रिपोर्ट है। एक रिपोर्ट यह समिति अपने कार्य की पहले भी दे चुकी है। विशेष तौर पर आपके ध्यान में लाने के लायक समिति ने उचित यह समझा कि जो नियम हम लोग इस समिति में निरीक्षण करते हैं उनमें खास तौर से ड्राफ्टिंग की गलतियां बहुत ज्यादा होती हैं और बहुत गौर से देखने के बाद यह समझ में आया कि यह ड्राफ्टिंग की गलतियां इसलिये होती हैं कि पहले नियम अंग्रेजी में ड्राफ्ट किये जाते हैं और फिर उनका अनुवाद हिन्दी में कर दिया जाता है। दरअसल जो बात नियम बनाये जाने चाहिये वे हिन्दी में ही बनाये जाने चाहिये। हिन्दी हमारी भाषा है और उसका अनुवाद फिर अंग्रेजी में किया जाना चाहिये। लेकिन पहले यहां अंग्रेजी में नियम बनाकर उनका अनुवाद हिन्दी में किया जाता है इस कारण भाषा क्लिष्ट हो जाती है और आमतौर से मतलब समझ में नहीं आता। मैं आपका ध्यान खासतौर से मंडी विधेयक जो है उसकी ओर आकर्षित करूंगा। उसके अन्तर्गत जो नियमावली बनायी गयी है उसको मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं। उससे आपको विदित हो जायगा कि यह नियमावली तमाम की तमाम पहले अंग्रेजी में बनायी गयी और फिर उसका अनुवाद हिन्दी में किया गया। जगह जगह पर वह उचित भी नहीं है। श्रीमन्, समिति ने यह भी अनुभव किया कि इससे पिछले प्रतिवेदन में उत्तर प्रदेश

---

†छापा नहीं गया।

स्त्रियों तथा लड़कियों का अवैधानिक व्यापार रोकने के लिये नियमावली, १९६१ पर संस्तुति की जा चुकी है, उसमें स्त्रियों और लड़कियों के लिये जो नियम बनाये गये हैं वे इस प्रकार के हैं मानों जेल मैनुअल में कैदियों के लिये वे नियम बनाये गये हों। समिति ने यह अनुभव किया और यह मुनासिब समझा कि इस आदरणीय सदन के ध्यान में यह बात लायी जाय कि स्त्रियों के संबंध में नियम बना कर उनमें उन्होंने कैदियों की तरह से ट्रीट करना उनके आगे के जीवन के लिये अच्छा नहीं होगा।

श्री अध्यक्ष—

उसके बदलने का तरीका क्या है ?

श्री बृजभूषणशरण—

हमने उसमें कुछ तो सुझाव दिये हैं।

श्रीमन्, अपने कार्य के संपादन में जो सहयोग श्री कौशलपाल गुप्त, श्री देवकीनन्दन मित्थल, श्री श्रीपति सहाय, श्रीगिरधारी लाल, श्री चितरंजन देव, श्री राजा घनश्याम तथा श्री देवीसिंह से मिला, उसके लिये समिति उनका आभार प्रकट करती है। मैं माननीय सदस्यों का भी आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने अपना पूर्ण सहयोग इस समिति के कार्य में दिया और अपने सुझावों से समिति को लाभान्वित किया।

श्री अध्यक्ष —

माननीय उपनेता सदन, मैं एक बात निवेदन करना चाहता हूं। सभापति, प्रतिनिहित विधायन समिति ने कहा कि कुछ ऐसे नियम बने हैं लड़कियों और स्त्रियों के संबंध में उनका अनैतिक व्यापार रोकने के लिये कि जिन के संबंध में बहुत कुछ संस्तुतियां इस समिति ने की हैं। जो भी संबंधित मंत्री हैं वह कृपा कर उनका अध्ययन कर लें ताकि वह इस सदन के समक्ष आ कर या तो वक्तव्य द्वारा सिद्ध करें कि वे नियम ठीक हैं अथवा उनमें परिवर्तन कराने का प्रबन्ध करें। यह मैं चाहूंगा। आप कृपा कर इस विषय को दसादन के बाद मुझे स्मरण करा दें।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

आप उपनेता महोदय से यह भी कह दें कि हिन्दी में नियमावली नहीं बन रही है, वे नियम अंग्रेजी में बनाये जाते हैं। आपने सदन में कई बार आश्वासन दिया है कि सारा काम हिन्दी में होगा, लेकिन अंग्रेजी ही चल रही है। तो इसके लिये आप की ओर से सरकार को ताकीद की जानी चाहिये।

श्री अध्यक्ष—

आपने कहा कि भाषा क्लिष्ट हो जाती है। भाषा क्लिष्ट होने के बजाय सारा संदर्भ और तारतम्य नष्ट हो जाता है और भाषा समझ में नहीं आती।

कार्य-स्थगन प्रस्ताव तथा नियम ५२ के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष—

एक कामरोको प्रस्ताव मेरे पास आया है। उसको मैंने स्वीकार नहीं किया है।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

मेरे जिले में दो हजार परिवारों के घर उजड़ने का सवाल है।

श्री अध्यक्ष—

मैंने आप से स्वयं कहा था कि मैं उसको गंभीर विषय समझता हूं और ध्यान दिलाने के लिये भेज रहा हूं। उन्होंने लिखा है बलिया-बैरिया बांध पर गायघाट गांव के सामने गंगा नदी के कटान को रोकने के लिये लकड़ी का जो स्तर बना था उसमें कटान रुक नहीं पाया वहां पर नदी तेजी से काट रही है। बांध की दूरी नदी से अब केवल २५ फीट रह गयी है। लोग वहां से हटाये जा रहे हैं। इसको मैं विशेष रूप से मंत्री महोदय के पास भेज रहा हूं कि वह इस पर ध्यान दें। वह कटान तो रोक नहीं सकते, लेकिन उसका उचित प्रबन्ध होना चाहिये।

मैं माननीय टम्बेश्वरप्रसाद, माननीय रक्षपालसिंह, माननीय शिवनारायसिंह, माननीय काशीनाथ, माननीय रतीपालसिंह, माननीय गिरजाप्रसाद, और माननीय मैनेजरसिंह आदि की नियम ५२ की सूचनाओं को मंत्रियों के पास विशेष ध्यान के लिये भेज रहा हूं।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—

नियम ५२ की सूचना थी कि हमारे दल के सम्मानित सदस्य तेजमानसिंह जी विधान भवन के सामने अनशन कर रहे हैं। कम से कम सरकार से पूछा जाय कि उनकी जायज मांगों के बारे में उन्हें क्या कहना है। मैं चाहता था कि आप उसे सरकार को भेजें।

प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्र में सूखा से रबी की फसल को क्षति के संबंध में वक्तव्य

खाद्य मंत्री (श्री जगमोहनसिंह नेगी)—

उत्तराखंड तथा कुमायूं की खाद्य स्थिति से शासन पूर्णतया अवगत है और वहां पर सस्ते गल्ले का वितरण निरन्तर चालू है। इस समय इन पर्वतीय जिलों को कुल ४९७५ मीट्रिक टन गल्ला प्रति माह दिया जा रहा है। अब २०० मीट्रिक टन बढ़ा दिया गया है। इसके अतिरिक्त मोटा गल्ला जो सरकार के पास उपलब्ध है जहां कहीं भी उसकी मांग होती है सरकार काफी मात्रा में भेजने को तैयार है। इन जिलों में कुल सस्ते गल्ले की दूकानों की संख्या ३१ दिसम्बर, १९६५ को १३३४ थी, अतः यह कहना ठीक न होगा कि सस्ते गल्ले की दूकानें बहुत कम हैं।

देहाती क्षेत्र में एक परिवार प्रत्येक माह में अभी तक २५ रुपये का गल्ला इन दूकानों से खरीद सकता है पर अब ऐसे आदेश दिये जा रहे हैं कि प्रत्येक परिवार इन दूकानों से प्रति माह ३० रुपये का गल्ला खरीद सकेगा।

गल्ला इन लोगों को महंगा न पड़े इसलिये सरकार रेल हेड से सरकारी गोदाम तक का विदेशी गेहूं की ढुलाई का भाड़ा स्वयं वहन करती है। चावल के मामले में १०.७२ से अधिक जितना भाड़ा प्रति क्विंटल रेल हेड से सरकारी गोदामों तक पड़ता है उसे सरकार वहन करती है।

इसलिये शासन की ओर से पर्वतीय क्षेत्रों में गल्ला पहुंचाने तथा वितरण का समुचित प्रबन्ध किया हुआ है और वहां गोदामों में पर्याप्त गल्ला उपलब्ध भी है। आवश्यकता पड़ने पर और अधिक गल्ले का प्रबन्ध करने तथा पर्वतीय जिलों तक पहुंचाने का हर संभव प्रयत्न किया जा रहा है और किया जायगा।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)—

मैंने जिस ओर मंत्री जी का ध्यान आकर्षित किया था उसमें विशेष बात खरीफ की फसल के बारे में थी। इसके अतिरिक्त चावल वहां का मुख्य भोजन है। उसके साथ ही भावों में तेजी की बात है। मंत्री जी ने भावों में गिरावट के बारे में कोई संकेत नहीं किया।

श्री अध्यक्ष—

आपने लिखा था, वहां सरकारी सस्ते गल्ले की दूकानें बहुत कम मात्रा में हैं और जो हैं भी उनमें स्टाक की कमी है। इतना ही आपने लिखा था।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

मैंने यह भी लिखा था कि रबी की फसल एक दम नष्ट हो गयी है और खरीफ की भी कम है और विशेष रूप से चावल उनका भोजन है और चावल की ही कमी है। चावल का उन्होंने कोई जिक्र ही नहीं किया।

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

अध्यक्ष महोदय, वहां चावल लोग एक टाइम खाते हैं और शाम को लोग रोटी खाते हैं। यह वहां की आदतें हैं। इसके अलावा खुला बाजार हम ने छोड़ रखा है और देश में हम कोई चावल नहीं देते हैं। वहां पर किलोग्राम शहरों में हर एक व्यक्ति को मिलता है, देहात के लिये भी हम चावल भेजते हैं।

श्री मुकंदीलाल बैरिस्टर (जिला गढ़वाल)—

मुझे निवेदन करना है। मैंने कल भी कहा था कि कोटद्वार में जो अपने लिये खाने के लिये चावल कुटवाते हैं....

१९६६-६७ के आय-व्ययक पर सामान्य विवाद (क्रमागत)*

श्री भीखालाल (जिला उन्नाव)—

बजट के संबंध में सामान्य वाद-विवाद कल समाप्त हो जायगा और परसों से ग्रांट्स पर बहस होगी जिसका कार्य-क्रम भी आ गयी है और राजस्व विभाग की बहस है, लेकिन उसका कार्य-विवरण अभी तक नहीं मिला है तो उस कार्य-क्रम के पहले कम से कम मिल जाय।

श्री अध्यक्ष—

ठीक है।

श्री रघुवीरसहाय कैथवार (जिला फतेहपुर)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, कल मैं आपके माध्यम से सरकार और सदन के माननीय सदस्यों को जानकारी दे रहा था कि सरकार पर नौकरशाही के हावी होने के कारण ही सरकार ने गुटबन्दी के आधार पर अयोग्य अधिकारियों को जिलों में बैठाल रक्खा है और इसी प्रकार के सबसे पिछड़े जिले फतेहपुर में श्री अनिरुद्ध जी पांडेय को जिलाधीश बनाकर भेजा है जिनके कैरेक्टर रोल में सरकार की तरफ से यह ऐंट्री दी गई कि वह प्रशासन और कलेक्टर की जगह काम करने के लिये पूर्णतया अयोग्य हैं। अस्तु एक तरफ तो सरकार की ओर से सिद्ध है कि वह अयोग्य हैं और दूसरी तरफ उन्होंने फतेहपुर का चार्ज लेने के बाद गुटबन्दी करके जो जनतंत्र विरोधी घातक व जातिवादी एवं भ्रष्ट कार्य किये उनसे भी अयोग्य सिद्ध हैं। जिन अधिकारियों ने उनकी गुटबन्दी और कार्यनीति को ठीक नहीं माना उनका जिले से ट्रांस्फर कराया और श्री जे०डी० शुक्ल कमिश्नर और मुख्य सचिव के सहयोग से अपने स्वजातीय अधिकारियों को फतेहपुर के हर विभाग में भरवा दिया। यही नहीं, हमारे जिलाधीश महोदय ने हर कार्यालय के दुधारू पदों पर अपने स्वजातीय कर्मचारियों को तैनात किया और कराया है। और अछूतों और पद दलित जातियों के सुरक्षित अधिकारों का हनन करके उनके स्थानों पर ब्राह्मणों को भरवाया और जो दो चार हरिजन थे उनको भी निकाल बाहर कराया। जिलाधीश

---

*२२ फरवरी, १९६६ की कार्यवाही से।

ने पूर्ति विभाग में भयानक भ्रष्टाचार कराया । अगस्त सितम्बर, ६४ की भुखमरी के समय उन्होंने गल्ले का वितरण जिस तरह रोक कर जिले का गल्ला बाहर भेजा उससे बड़ी भयानक स्थिति पैदा हुई । अस्तु जिले के दो कांग्रेसी और हम तीन विरोधी विधायकों ने जिला परिषद के कांग्रेस के अध्यक्ष श्री हर प्रसाद ने इसका विरोध किया । श्री हरप्रसाद अध्यक्ष का प्रतिनिधि मंडल मुख्यमंत्री से मिला और खुली जांच की मांग की । मैंने भी १८–११–६४ को ९ पृष्टों का एक पत्र दिया और खाद्य वितरण व्यवस्था के संबंध में एक पर्चा छपाया जो उसी तारीख को वितरित किया और २१–११–६४ को न्याय प्रणाली को दूषित करने के बारे में पर्चा छपाकर बांटा जिनसे खीझकर जिलाधीश ने मेरे विरुद्ध ५–६ मुकदमे चलवाये और मुझे खतरा पहुंचाने का षड्यंत्र रचा । अन्त में मैं स्वयं माननीया मुख्य मंत्री जी के दरबार में ८ आदमियों के प्रतिनिधि मंडल के साथ दिनांक २०–११–६५ को उपस्थित हुआ और प्रार्थना की कि मैंने जो आरोप जिलाधीश के खिलाफ लगाये हैं और १४ आरोप दे रहा हूं उनकी खुली जांच करावें । इस पर भी जब कोई ध्यान नहीं दिया गया तो मैंने विवश होकर जिलाधीश महोदय के विरुद्ध उनके २२ घातक कारनामे अपने एक परचे में २९–११–६५ को प्रकाशित कराये और खुली जांच की मांग की और ३१–१२–६५ के परचे में भी खुली जांच की मांग की ।

श्री अध्यक्ष—

एक निवेदन कर दूं कि सामान्य विवाद में कोई विशेष घटनाओं का जिक्र नहीं होता है बोलने को तो आप जो चाहें बोल सकते हैं । लेकिन समान चर्चा के समय नीतियों के ऊपर बहस होती है । उसका विवरण देते हुए आप एकआध उदाहरण तो दे दें लेकिन नीतियों के संबंध में अधिक बल देने के लिये आप उदाहरणों के अधिक विवरण में न जायं ।

श्री रघुबीरसहाय कैथवार—

मान्यवर, मैं नीतियों के संबंध में ही मैं बोल रहा हूं । यह जो मैं बता रहा हूं वह चीज एक मेरे ही जिले में नहीं हो रही है बल्कि लगभग सारे उत्तर प्रदेश में हो रही है । हमारे जिलाधीश महोदय जिले के सारे अधिकारियों के ऊपर अपना अधिकार जमा कर उनके स्वच्छ न्याय और प्रशासन करने के मार्ग में जो बाधा पैदा करते हैं वैसा ही लगभग सब जगह होता है । उन्होंने अपने मनमाने कारनामों से न्याय प्रणाली, खाद्य वितरण व्यवस्था और जब से सुरक्षा कोष की वसूली के समाजवादी नीतियों की अवहेलना करके जो एक गुटबन्द सामन्तवादी शासन का जन्म हमारे जिले में दिया है उससे जनता पिसी जा रही है और जन स्तर गिरता जा रहा है । इसीलिये विवश होकर जब कि हमारी बात को सरकार ने नहीं सुना, मुख्य मंत्री ने नहीं सुना, कमिश्नर और चीफ सेक्रेटरी ने नहीं सुना, तब अन्त में मैंने २८–११–६५ को २२ आरोपों का उपरोक्त परचा छपवाया जिसमें मैंने मांग की कि इन सारी बातों की खुली जांच की जाय और जिलाधीश और उनके सजातीय संबंधित अधिकारियों का यहां से ट्रांसफर किया जाय । वैसे तो इस परचे का अधिकारियों ने बड़ा विरोध किया और मुझे जेल भेजने की कोशिश की पर जिलाधीश व डी०पी०ओ० आदि के ट्रांसफर का आदेश किसी तरह हो गया तो उनके स्वजातीय व गुट के नेताओं ने उनको रोकवाने की बड़ी कोशिश की, खासकर हमारे माननीय बनारसीदास और माननीय मंगलाप्रसाद जी ने एम०एल०सी० जो फतेहपुर के ठेकेदार बने हुये हैं, ने बड़ा जोर लगाया और यह कह कर उन लोगों का ट्रांसफर रोकवा दिया कि वहां पार्टी भी चलाना है और आने वाला चुनाव जीतना है । श्रीमन्, जब मैंने पर्चा छपवाया तो कलक्टर साहब ने मेरे खिलाफ जब कि मैं लखनऊ में श्रम मीटिंग के सिलसिले में मौजूद था, डी०आई०आर० के अन्तर्गत केस चलाने की कोशिश की । मैं बड़ा आभारी हूं माननीय माधव प्रसाद त्रिपाठी तथा माननीय शिव प्रसाद गुप्त जी का जिन्होंने इस बात पर जोर दिया कि मेरे खिलाफ कोई गलत कार्यवाही न की जाय । विरोधी दल का होने के नाते जिलाधीश ने मेरे खिलाफ इस अंतिम परचे पर भी केस चलाने की अब सरकार से इजाजत मांगी है और उनके शुभ

[श्री रघुवीरसहाय कैथ ार]

चिन्तक सचिव इजाजत दे सकते हैं पर मेरी मांग पर न तो खुली जांच हुई और न नालायक सिद्ध होने पर भी उन्हें वहां से हटाया। आज भी जिलाधीश मेरे खिलाफ ५–६ मुकदमे चला रहे हैं। एक पुलिस के मुकदमे में तो मेरे ऊपर जुर्माना होने की गलत सूचना आपको देकर मेरे अधिकारों की अवहेलना की गई। वह जुर्माना नहीं जबरन मुलजिम को हर्जाना देने का आदेश किया गया है जो अपील से रद्द हो जाने की आशा है। अब उसमें जिलाधीश मुझे खत्म करने के षड़यंत्र कर रहे हैं। यदि मेरी जान व माल को खतरा पहुंचा तो उसके जिम्मेदार हों। जिलाधीश श्री पाण्डेय व उनके प्रधीन उनके स्वजातीय अधिकारी मुख्य सचिव कमिश्नर और मुख्य मंत्री होंगे।

श्री अध्यक्ष—

अब आपका समय समाप्त।

श्री नवलकिशोर (जिला बरेली)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय वित्त मंत्री को इस बात के लिये बधाई देता हूं कि उन्होंने अस्वस्थ्य होते हुये भी एक संतुलित बजट पेश करने की कोशिश की और उन्होंने पिछले ट्रेडिशन को भी मेनटेन किया। पिछले साल डेफिसिट बजट था। ऐसे में डेफिसिट बजट को भी नहीं मानता हूं क्योंकि डेवलपिंग इकोनामी में डेफिसिट बजट का होना स्वाभाविक है लेकिन कमाल तो यह है कि वह डेफिसिट बजट हमेशा सरप्लस बजट हो जाता है। मैं सब आंकड़े तो नहीं दे सकता हूं लेकिन ६०–६१ व उसके बाद का आंकड़ा मेरे पास है। उन सालों में करोड़ रुपये का डेफिसिट था जो करोड़ों रुपये सरप्लस में चेंज हो गया। इस वर्ष उन्होंने डेफिसिट बजट के ट्रेडिशन को मेनटेन किया है मगर डेफिसिट केवल ३१ लाख का ही है जिसे समझता हूं कि अन्त में जाकर वह सरप्लस बजट बन ही जायगा।

मान्यवर, जब यह बजट सरप्लस बजट बन जाता है तो होता यह है कि रेवेन्यू बढ़ जाता है और रेवेन्यू एक्सपेंडीचर को घटा हुआ बताया जाता है मगर रेवेन्यू एक्सपेंडीचर किन-किन चीजों में घट गया इनके कोई आंकड़े हमारे सामने पेश नहीं हो पाते हैं। तो हमको यह पता नहीं चलता, क्योंकि निश्चित तो होता नहीं है कि कौन से आइटम में खर्च नहीं होगा या कौन से आइटम को काट दिया या खर्चा नहीं कर पाये। क्योंकि खर्चा करने या न करने से ही किसी एडमिनिस्ट्रेशन को क्षमता के मापदंड का पता चलता है। मैं जानता हूं और पी०ए०सी० के अन्दर यह बात अक्सर आती है कि ग्रांट्स तो दे दी जाती हैं लेकिन उनका युटिलाइजेशन नहीं होता है। ३१ मार्च को लाखों नहीं करोड़ों की तादाद में रुपया ड्रा कर लेते हैं। और अपने निजी लेजर में रख लेते हैं। नतीजा यह होता है कि दिखाई तो यह देता है कि एक्सपेन्डीचर हुआ है पर सही मानों में वह नहीं होता। कल माननीय नेकराम शर्मा ने आंकड़े दिये थे कि कैपिटल एक्सपेंडीचर के लिये १२० करोड़ रुपया दिया गया था और खर्चा ८४ करोड़ का ही हुआ यानी ७० प्रतिशत खर्चा हुआ। जब कि सरकार को सूद देना पड़ेगा। मैं उन आंकड़ों में नहीं जाना चाहता। लेकिन श्रीमन्, मैं आपके जरिये माननीय वित्त मंत्री से दरख्वास्त करूंगा कि मेहरबानी करके वे इस तरह का संकेत भी बजट में किया करें कि आपका खर्चा कहां नहीं हुआ और क्यों नहीं हुआ ?

बजट की दूसरी खूबी यह है कि अबकी टैक्स नहीं लगाया गया है केवल १०।। करोड़का कर्जा बाजार से लिया जायेगा। इसके लिये मैं माननीय वित्त मंत्री को बधाई देता हूं। इस बजट की तीसरी खूबी यह है कि पहिली मर्तबा आपने कहा है कि साढे चार करोड़ की बचत हुई है और तीन करोड़ की बचत अन्डर कान्सीडरेशन है। यानी साढे सात करोड़ की बचत दिखाई गई है। आपने रकम तो दे दी पर साढे सात करोड़ की बचत किन-किन आइटम्स में आप करने वाले हैं इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया गया है। साफ है कि कुछ स्कीमें खत्म की गई होंगी फिर भी अगर आइटीज आपने गलत फिक्स की या कुछ स्कीमों को काटना चाहते हैं जो जरूरी नहीं हैं तो भी

में इसके लिये बधाई देने को तैयार हूं, मगर पता तो चले कि वे स्कीम्स क्यों आई थीं और बाद में क्यों काट दी गईं। इन सबका उल्लेख होने पर ही सही बात का अन्दाज हो सकता है। बजट में जो संतुलित भाषा का प्रयोग किया गया है वह सही किया गया है। मैं जानता हूं कि माननीय वित्त मंत्री जी चूंकि मैथेमिटशियन हैं इसलिये कोई लम्बे चौड़े वायदे नहीं किये। वस्तुस्थिति को जहां तक सामने ला सकते थे उसको लाने की कोशिश की गई है। खाद्य की कठिनाई को भी बताया गया है, लम्बी चौड़ी बात नहीं की गई है। भाषा का संतुलन रखा गया है जिसके लिये मैं उन्हें बधाई देता हूं। मान्यवर, वैसे तो विरोधी पक्ष की ओर से बहुत कुछ कहा गया कि इन पंद्रह सालों में कुछ नहीं किया गया और हमारी स्पीचों से पता चला कि जितना हो सकता था वह सब कुछ कर दिया गया है। लेकिन सच्चाई यह है कि वस्तुस्थिति दोनों के बीच में है।

मान्यवर, मैं माननीय वित्त मंत्री को इस बात के लिये विशेष तौर पर बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने फैमिली प्लानिंग पर भी काफी जोर दिया है। और यह बात ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाना जिसके अपनी कोई सही मानी में फैमिली न हो, और जिसका उनको स्वयं अनुभव भी नहीं है, बड़े महत्व की है कि उन्होंने फैमिली प्लानिंग को, टाप प्रायोरिटी दी है। अगर यह बात सहकारिता मंत्री की ओर से होती तो मेरी कुछ समझ में भी आ सकता था, मगर बिना एक्सपीरियन्स के भी उन्होंने अच्छी बात कही है उसके लिये मैं उनको बधाई देना चाहता हूं। इसके अलावा उन्होंने एग्रीकल्चर के लिये प्रायोरिटी दी है। सही बात है कि हमारे यहां खाद की कमी है। हमने पाकिस्तानी आक्रमण के समय महसूस किया कि हमें खाद्य स्थिति में स्वावलम्बी बनना चाहिये नहीं तो जो हमारा स्वाभिमान है हम उसकी शायद पूरी रक्षा नहीं कर सकेंगे। मगर मान्यवर, मैं आंकड़े क्या पेश करूं। जब मैं देखता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि एग्रीकल्चर के अन्दर भी चारों तरफ, जिस तरफ आप देखें, इन्वेस्टमेंट हर साल बढ़ता जा रहा है। खाद का वितरण बढ़ता जा रहा है। नाईट्रोजन खाद का वितरण दस साल पहिले ५५-५६ में ८१ हजार टन था वह अब ६५-६६ में पांच लाख टन हो गया। फास्फेट १८०० टन से सवा लाख टन हो गया, ग्रीन मेन्योर, ५६ हजार एकड़ से बढ़कर ३० लाख एकड़ हुआ, कम्पोस्ट ४.४१ लाख टन से साढे छः लाख टन हो गया। सब्जी बढ़ी पोटेटो बढ़ा, इम्प्रूव्ड सीड के आंकड़े भी ड्योढ़े हो गये। प्लांट प्रोटेक्शन भी ४१ हजार एकड़ से ४५ लाख एकड़ में हो गया। यह सब कुछ हुआ लेकिन इसके बावजूद ईल्ड पर-एकड़ विशेष रूप से नहीं बढ़ी,। चौथी पंचवर्षीय योजना नामक पुस्तक में आंकड़ों को मैंने देखा है। चावल, गेहूं, ज्वार, बाजरा, चना और गन्ना में से गन्ना तो बढ़ा है और बाकी करीब करीब स्टेटिक रहे हैं। मक्का को छोड़कर कुछ उतने ही हैं या कुछ घटे हैं। राजस्थान और पंजाब के मुकाबले में हम गेहूं में बहुत पीछे हैं। चावल में आंध्र, मद्रास आदि से पीछे हैं। तो हमने प्रायोरिटीज तो दी हैं, यह सही है। इस बात से कोई इन्कार नहीं किया जा सकता कि आपने खाद बढ़ाई है, एकरेज भी बढ़ा है। आबपाशी का पोटेंशियल भी बढ़ा है, ७६ लाख एकड़ से १३६ लाख एकड़ हो गया है। कैनाल की लंबाई १९ हजार मील से २९ हजार मील हो गयी है। ट्यूबवेल्स २३०० से बढ़कर ८ हजार हो गये हैं। पावर के अन्दर बेहद इम्प्रूवमेन्ट हुआ है। करीब करीब चार गुनी बढ़ गयी है। सब कुछ हुआ लेकिन इसके बावजूद चौथी पंचवर्षीय योजना के सिलसिले में जो सर्वे हुआ उसमें २८९ जिले जो सारे हिन्दुस्तान है उनमें से ५८ जिले पिछड़े हुए छांटे गये, उनमें से २२ जिले उत्तर प्रदेश में हैं, यह बात भी अपनी जगह पर सही है।

मान्यवर, इंडस्ट्रीज के बारे में क्या अर्ज करूं। इंडस्ट्रीज में उत्तर प्रदेश बहुत पिछड़ा हुआ है। इंडस्ट्री पर ५ प्रतिशत व्यय हुआ है और एग्रीकल्चर पर २८ प्रतिशत खर्च किया है, जो बहुत ही कम है। जब तक इन दोनों में संतुलन नहीं होगा तब तक इसकी हालत ठीक नहीं हो सकती।

[श्री नवल किशोर]

इसके अतिरिक्त एक बात और वित्त मंत्री जी से मुझे कहनी है कि इन फीगर्स से हमें बड़ी कठिनाई होती है क्योंकि हमें किन्हीं दो किताबों में या एक किताब के दो पन्नों में एक से आंकड़े किसी चीज के नहीं मिल पाते । हम नहीं जानते कौन शख्स किस समय कौन सा आंकड़ा पेश कर रहा है । मिसाल के तौर पर जब गवर्नर साहब के संभाषण पर बहस हो रही थी तो माननीय मुख्य मंत्री जी ने आबपाशी के आंकड़े पेश करते हुए बताया कि वह नहर की आबपाशी २३ लाख से बढ़कर २५ लाख एकड़ हो गयी जब कि इस साल सूखा पड़ा और १९०१ से आज तक इतना सूखा नहीं पड़ा, नदियां ड्राई नहीं लेकिन कैनाल का इर्रीगेशन २३ लाख से २५ लाख एकड़ हो गया । वित्त मंत्री जी ने कहा कि १५ से २० लाख एकड़ हो गया । फिर माननीया मुख्य मंत्री ने बताया ओवर आल सिंचाई ३० लाख से बढ़कर ३२ लाख एकड़ हो गयी और ट्यूबवेल्स में ११९ लाख घंटों से बढ़कर १८१ लाख घंटे हो गया । वित्त मंत्री जी ने कहा कि १२० लाख से १९० लाख घंटे हो गया । यानी ५० प्रतिशत ट्यूबवेल्स के घंटे बढ़ गये, इसके लिये मैं उनको बधाई देता हूं । लेकिन देखना यह है कि क्या उसके साथ ५० प्रतिशत आमदनी भी बढ़ी है । अगर आमदनी नहीं बढ़ी तो कहीं गोलमाल अवश्य है, या तो उसमें कमी है जिसके मानी है कि आबपाशी के फिगर्स जो दिये हैं वे सही नहीं हैं ।

एक बात और वित्त मंत्री जी से कहना चाहता हूं । उन्होंने अपने भाषण के पृष्ठ ९ पर कहा है—

"आगामी वर्ष के लिये हमने १७ करोड़ ३० लाख रुपये की व्यवस्था निजी छोटी सिंचाई की स्कीमों के लिये और ३ करोड़ ५० लाख रुपये की व्यवस्था राजकीय नलकूपों के लिये की है । आशा की जाती है कि अगले साल निजी छोटी सिंचाई की स्कीमों के द्वारा ११ लाख एकड़ भूमि सिंचाई योग्य बनायी जा सकेगी और राजकीय नलकूपों से सिंचित भूमि में १ लाख एकड़ की वृद्धि की जा सकेगी । ये सभी प्रयास चौथी योजना की अवधि तक खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए आधार बनेंगे ।"

यानी २० करोड़ ८० लाख रुपया खर्च करके १२ लाख एकड़ में सिंचाई बढ़ाई जा सकेगी यह बहुत अच्छी बात है । मगर उसके बाद कहते हैं:—

"अगले वर्ष के लिये बड़ी और मध्यम सिंचाई के निमित्त १४ करोड़ ५० लाख रुपये की व्यवस्था की गयी है और १ लाख १९ हजार एकड़ अतिरिक्त भूमि में सिंचाई का प्रबन्ध हो जाने की आशा है ।" इसमें साढ़े १४ करोड़ खर्च करके करीब सवा लाख एकड़ में सिंचाई की व्यवस्था होगी । और २० करोड़ ८० लाख का खर्च १२ लाख एकड़ में आ रहा है । मैं आपकी मार्फत वित्त मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करूंगा कि वह इस को देखें । उद्योगों के बारे में भी जैसा कि मैंने कहा कि यहां पैसा कम खर्च होता है । इसमें सदेह नहीं है कि ४ नये उद्योग इलाहाबाद को मिले हैं और उस के लिये मैं सरकार को और माननीय मुख्य मंत्री जी को बधाई देता हूं । इससे पहले तीन योजनाओं में हमारे यहां उद्योगों को आगे बढाने के लिये बहुत कम ध्यान दिया गया और बहुत कम पैसा लगाया गया है । आप के यहां जो मिडिल और स्माल स्केल इंडस्ट्रीज हैं उनको रा-मेटीरियल नहीं मिलता, जितनी जरूरत होती है उसके दस प्रतिशत का ही एलोकेशन होता है और जितनी हम मांग करते हैं उस में भी केंद्र कमी कर देता और अन्त में एक डेढ़ प्रतिशत से अधिक नहीं मिल पाता है। मेरी समझ में यह नहीं आता कि जब हम इतने पीछे हैं उद्योग में और जब प्रदेश की आबादी देश की आबादी का १/६ भाग है और इतना बड़ा क्षेत्र है तो उसी प्रोपोर्शन में हमें रा-मेटीरियल क्यों नहीं दिया जाता है । लोन्स की सहूलियत की बात कही जाती है लेकिन जब हमने इस चीज को जांचा तो पता लगा कि जो लोग उद्योग लगाना चाहते हैं उनको कर्जा मिलने में बहुत सी दिक्कतें पेश की जाती हैं, दूसरी भी दिक्कतें हैं जैसे हमारे पास मिनरल्स नहीं हैं और एन्टरप्राइजिंग लोगों की भी कमी है । प्रथम व दूसरी योजनाओं के संबंध में माननीय मुख्य मंत्री जी ने बड़ी कोशिश करके एक सर्वे उत्तर प्रदेश का कराया और उस संबन्ध में टेक्नो ऐंड एकोनामिक सर्वे के नाम से रिपोर्ट

आई है। उन्होंने स्वयं कहा है कि जो सब से बड़ी दिक्कत है वह यह है कि यहां पोटेंशियल हैं, मैन पावर भी हैं लेकिन चूंकि यहां प्रशासकीय कोआर्डिनेशन की कमी है और स्कीम्स का इन्टेग्रेशन नहीं है इसलिये यहां औद्योगिक तथा अन्य विकास नहीं हो पाता है। उन्होंने कहा है कि यहां मेशीनरीज पुरानी हैं और इस सबको देखने के लिये एक इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट ई बनाया जाय तो अच्छा है।

एक बात और कहूंगा क्योंकि समय कम है और वह यह है कि हर फील्ड में विकास हुआ है मगर दिक्कत यह है कि चूंकि कोई इन्टेग्रेटेड एफर्ट सारी योजनाओं को लेकर नहीं की गई है। इसलिये उसका कोई इन्टेग्रेटेड इम्पैक्ट हमारी अर्थ व्यवस्था पर नहीं हुआ है, अब मैं आप की इजाजत से यह थोड़ा सा अंग्रेजी में पढ़ रहा हूं।

श्री अध्यक्ष—

यह आप कहां से पढ़ रहे हैं?

श्री नवलकिशोर—

यह टेक्निकल एकोनामिक सर्वे की रिपोर्ट के पेज १८ से मैं पढ़ रहा हूं।

"As the level of the State Government also there were serious lacuna in planning, execution of schemes and co-ordination. The various departments of the Government view the plan schemes as items of expenditure to be incurred during a particular year and do not realise their importance in the context of the overall developmental plan. The result is that there is no integration of the schemes executed from year to year and from one department to another. The full details of the schemes and their phasing are not properly worked out. There is a tendency to speed up the expenditure at the close of the financial year with the result that there is delay and waste."

एक और पढ़ूंगा आपकी आज्ञा से, यह पेज १० पर त्रिफ्रेस से है:—

"The experience of Planning, in this country, as well as in many other countries has shown that it is not only the financial investments that generate growth in the economy; there are many non-economic factors which are equally important for the promotion of growth. Administrative efficiency, institutional arrangements and the social outlook of the people are a few of such factors. Uttar Pradesh will have to pay adequate attention to them. In particular, the Government will have to streamline its administration with a view to effectively raise the necessary financial resources and utilise them purposefully."

मान्यवर, मैं जल्दी से २–३ बातें कह कर अपनी बात को समाप्त करूंगा। आपने इर्रीगेशन का पोटेन्शियल बढ़ाया है लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं हुआ जैसा कि मैंने अभी आंकड़ों से बताया है। मैं यह भी जानता हूं कि पर कैपिटा आय बहुत कम है और पर कैपिटा इन्वेस्टमेंट भी कम है। तीन प्लानों में २३, ३४ और ६८ रु० फी व्यक्ति तक बढ़ता गया है। फिर भी औरों से काफी कम है। मैं जानना चाहता हूं कि हमने खर्च तो किया तीसरी योजना में ५८ करोड़, ज्यादा खर्च करेंगे मगर उसके अनुपात में हमने एचीवमेंट किया तो क्या किया। कुछ माननीय साथियों की शिकायत है कि उन्हें बजट में समाजवाद देखने को नहीं मिला। मैंने तो बजट में समाजवाद देखने की कोशिश भी नहीं की क्योंकि मैं जानता हूं कि समाजवाद बजट से नहीं आता है। यह तो हमारी मनोवृत्ति है और यह तो हमारी एप्रोच की बात है। समाजवाद में भी सड़कें बनती हैं कारखाने बनते हैं, पुल बनते हैं। यह तो खाली एक मेंटल दृष्टिकोण और साइकोलौजिकल बात है। लेकिन यह बात जरूर है कि जितनी तेजी से हमें उस तरफ बढ़ना चाहिये थ, उतनी तेजी से हम नहीं बढ़ पाये हैं।

[श्री नवल किशोर]

श्रीमन, यहां पर शुगर इन्डस्ट्री को नेशनलाइजेशन की बात कही गयी कि इस इन्डस्ट्री को नेशनलाइजेशन कर दिया जाय। मैं मानता हूं कि राष्ट्रीयकरण भी होना चाहिये लेकिन यह तो स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में नहीं है। यह केन्द्रीय सरकार के हाथ में है और जब वे चाहेंगे तभी हम नेशनलाइज कर सकते हैं। दूसरी बात जो इसमें है वह यह है कि पुरानी खचड़ी मशीनों को लेने से क्या फायदा है। नयी २ इन्डस्ट्रीज जो हैं, वे ही पब्लिक सेक्टर में बनायी जायं तो अच्छा हो।

कुछ लोगों ने यू० पी० के २ टुकड़े करने की बात कही। मैं तो यह ही कहूंगा कि "It was the cry of despair" मेरा तो यह खयाल है कि छोटी स्टेट न तो एकानामिकली ठीक हो सकती है और न ऐडमिनिस्ट्रेटिवली ही अच्छी हो सकती है। इसलिये मैं इसका विरोध करता हूं।

श्रीमन्, टिहरी में गया था। वहां पर लैण्ड रेवेन्यू बहुत अधिक है। मेरी बातचीत वहां के किसानों से हुई थी, उनकी यह मांग सही है और मैं माननीया मुख्य मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वहां का लैण्ड रेवेन्यू पौड़ी गढ़वाल में जो है, उसे उसके समकक्ष कर दिया जाय।

जहां तक एन० डी० एफ० का प्रश्न है उस सम्बन्ध में कुछ लोगों को इस बात का भ्रम है कि जो ट्रस्ट बना है यह एन० डी० एफ० के रुपये का ट्रस्ट बना है। टैक्निकली यह एन० डी० एफ० के रुपये का ट्रस्ट नहीं है। जिस समय चीन का हमला हुआ था, उस समय एक चीफ मिनिस्टर डिफेन्स फंड आरम्भ हुआ था। उसमें लगभग १ करोड़ ५६ लाख रुपया इकट्ठा हुआ था। उसके बाद एन० डी० एफ० में रुपया जमा होना शुरू हुआ वह सब एन० डी० एफ० में जमा हो गया। उसमें से ४ लाख रुपया नागरिक परिषद् को दे दिया गया और कुछ फौजी जवानों के परिवारों की सहायतार्थ दिया गया। इस प्रकार १ करोड़ ५० लाख जो बचा उसका एक ट्रस्ट कायम कर दिया गया। उस ट्रस्ट के चेयरमैन गवर्नर महोदय हैं जिनका पोलिटिक्स से कोई सम्बन्ध नहीं है। उसके वाइस प्रेसीडेन्ट हैं मुख्य मंत्री। एक मेम्बर हैं माननीय चन्द्र भानु गुप्त और एक मेम्बर हैं माननीय कैलाश प्रकाश, जो कि विधान परिषद के मेम्बर होने के नाते नहीं हैं लेकिन चूंकि वे उस समय सिटीजन्स कौंसिल के जनरल सेक्रेटरी थे। एक माननीय मंगला प्रसाद जी इसके सदस्य हैं, एक रिटायर्ड फौजी अफसर की बात है। एक एक पैसे का हिसाब वहां पर रखा जाता है। हमारे प्रदेश में ही नहीं आज पंजाब और महाराष्ट्र में उसी तरह के ट्रस्ट बनाने की योजना है। आज जवानों की समस्या स्थायी समस्या है, उनके परिवारों की समस्या है, उनके बच्चों की शिक्षा की समस्या है, ये सब चीजें हैं।

जनतंत्र के अन्दर बहुत आवश्यक है कि जनता के जो नुमाइन्दे हैं, उनको भी अपना उचित स्थान प्राप्त हो। अगर कोई वारण्ट आफ प्रिसीडेंस नहीं है तो उसकी अपनी कोई उचित परिस्थिति कहीं भी नहीं हो पाती है। उत्तर प्रदेश में वारन्ट आफ प्रिसीडेंस अवश्य बनना चाहिये। औफिशियल्स फंकशन्स होते हैं। जन प्रतिनिधि कैसे बैठें कोई प्रबन्ध नहीं होता है। माननीय मुरारजी भाई को भी अपने कमीशन के सम्बन्ध में इस प्रकार का प्रश्न उठाना पड़ा। मैं आपके जरिये माननीया मुख्य मंत्री से प्रार्थना करूंगा कि आप अपने टाइम में वारन्ट आफ प्रिसीडेंस की मांग, जो १५ साल से चल रही है, और जिस के न होने से बड़ी दिक्कत पैदा होती है, उसको पूरा करने की चेष्टा करें।

एक शब्द मैं कहना चाहता हूं ऐडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। स्ट्रीम लाइनिंग आफ एडमिनिस्ट्रेशन की बात कही गई है। जहां तक ४५ हजार फाइलों की जगह १२ हजार फाइलें कर दी गईं यह एक अच्छी बात है, १३१ आफिसर्स की जगह १२१ हो गये यह भी अच्छी बात है। लेकिन पिछले तीन साल में सेक्रेटेरियट में सेक्रेटरी कम कमिश्नर कितने बढ़े हैं, कमिश्नर कितने बढ़े हैं? आम शिकायत यह है कि आई० ए० एस० के लिये यह पद बढ़ाये जाते हैं और उन्हीं के वास्ते और पद घटते हैं। आपने पे रेशनेलाइजेशन कमेटी की सिफारिश

पर अमल करके १५ करोड़ का इजाफा सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाह और भत्ते में कर दिया और चौथी योजना में ११७ करोड़ ५ साल में खर्च होगा जिसमें ८३ करोड़ के करीब केन्द्रीय सरकार देगी और शेष ३४ करोड़ रुपया प्रदेशीय सरकार देगी। मगर हम क्या जवाब दें जब गवर्नमेंट आफ इंडिया अपने कर्मचारियों का डी० ए० बढ़ाती जाती है। हमने ५ रुपया चपरासियों का बढ़ाया तो केन्द्रीय सरकार ने कमिश्नर्स का ग्रेड ५०० रु० और ज्यादा कर दिया। मैं समझता हूं कि इस समस्या का कोई हल होना चाहिये। मुझे खुशी इसी में होगी, चाहे मैं सरकार में रहूं या न रहूं, मगर एक कांग्रेस का सिपाही होने के नाते, अगर लोग प्रशासन की तारीफ करें। मगर लोगों की जो धारा बन गई है कि नौकरशाही हावी और मजबूत है इस धारणा को मुख्य मंत्री जी को बदलना पड़ेगा और बदलना चाहिये। इन शब्दों के साथ में बजट का समर्थन करता हूं।

श्री यादवेन्द्र दत्त (जिला जौनपुर)—

श्रीमन्, कुछ कहने के पहले आपसे प्रार्थना करूंगा कि मुझे भी वही सहूलियत और समय दें जो आपने माननीय नवल किशोर जी को प्रदान किया है।

अध्यक्ष महोदय, बजट जो होता है किसी भी राज्य का वह उसकी नीतियों का प्रतीक हुआ करता है। परन्तु जो बजट हम सब के सम्मुख आया और यही बजट को मैं तो १० वर्षों से देख रहा हूं, जितने भी बजट आये उसमें नीति का कोई भी रूप नहीं आया। मैं कोई ज्यादा समय नहीं लेता परन्तु एक छोटी सी बात कहता हूं। आखिर आज भी प्रशासन का ढांचा वही है, पुलिस का ढांचा वही है, सर्विसेज का ढांचा वही है जो अंग्रेजों के काल में था। उन्होंने इस ढांचे की रचना की तो अपने दृष्टिकोण से की, उनका दृष्टिकोण बड़ा स्पष्ट था कि वह इस देश के ऊपर किसी प्रकार से बलात् राज्य करें। इसलिये ऐसा ढांचा उनके लिये आवश्यक था उस ढांचे की वह प्रेस्टिज बनाते, उसकी प्रेस्टीज रखने के लिये अन्याय भी होता था तो उसको वह दर गुजर करते थे। लेकिन आप का तो कहना है कि हमने वेलफेयर राज्य बनाया तो वेलफेयर राज्य का अर्थ क्या हुआ? उस वेलफेयर राज्य का निर्माण, और दैनिक व्यवहार में, प्रयोग में, विचारों में वही मेंटेलिटी आनी चाहिये जो इस भाव के पीछे है। परन्तु आज हमारा यह जो स्टील फ्रेम है जिसके बारे में माननीय मुख्य मंत्री ने बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी के इंसीडेंट के ऊपर भाषण देते हुये कहा था, वही स्टील फ्रेम की क्या मेंटेलिटी, उसकी वृत्ति बदली है? नहीं बदली है। उसकी वृत्ति, वही साहबियत आज भी मौजूद है और अगर आज या कल का अखबार देखा होगा तो बराबर यह बात सदन में आयी है कि एक आई० ए० एस० अफसर सेक्रेटेरियट में आना ज्यादा पसन्द करता है, डिस्ट्रिक्ट में जाना पसन्द नहीं करता। क्यों? क्योंकि उसको जो सहूलियतें, और साहबियत यहां मिल सकती है वह जिले में नहीं मिलती। छोटा सा प्रमाण आप देख सकते हैं। आज कल दौरे होते हैं, मैं माननीया मुख्य मंत्री से साग्रह निवेदन करूंगा, जरा किसी भी जिले में चली जायं और अफसरों की दौरों की डायरी मंगा लें कि एस० डी० ओ० या डी० एम० किस प्रकार का दौरा करते हैं। डायरी में लिखा मिलेगा कि फलां जगह का दौरा किया लेकिन रात को जा कर देखें तो कैम्प उनका सूना मिलेगा। रात को अफसर अपने घर में मौजूद है, जब कि टी० ए०, डी० ए० उसी हिसाब से बनेगा जैसा कि दौरे का बनता है। मैं पूछना चाहता हूं कि जब वह गांव में नहीं जायंगे, वहां रहेंगे नहीं तो कैसे वहां की समस्याओं का उनको ज्ञान होगा, कैसे उनकी समस्याओं को हल कर सकते हैं।

आज वही आई० सी० एस० मेंटेलिटी है मैं माननीय मुख्य मंत्री को बधाई दूंगा कि उस मेंटेलिटी को उन्होंने बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी में हुये वाकये पर बोलते हुए स्वीकार किया, हमारे अफसरों में मौजूद है। बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी के इंसीडेंट पर बोलते हुये जहां तक मुझे याद है, गलत कहता हूं तो सही किया जाऊंगा, जिस वक्त जुडीशियल इंक्वायरी की मांग हुई मुख्य मंत्री ने कहा कि एक ओर स्टील फ्रेम है और दूसरी ओर पापूलर गवर्नमेंट है। स्टील फ्रेम पापुलर गवर्नमेंट को रिसेंट करता है, इसलिये बीच का रास्ता निकाला गया। मैं पूछता

[श्री यादवेन्द्र दत्त]

हूं कि घोड़े पर सवार मुख्य मंत्री है या चीफ सेक्रेटरी और स्टील फ्रेम है ? इसलिये मध्य-मार्ग निकालना पड़ा । मुख्य मंत्री को रास्ता निकालना पड़ेगा या आज्ञा देनी पड़ेगी अगर स्टील फ्रेम गलतियां करता है । रीसेंट करता है तो करने दीजिये । मध्य मार्ग नहीं निकालना है । दबने से काम नहीं चलने वाला है । शासन जो नीतियां निर्माण होंगी उनको कार्यान्वित करेगा । अगर शासक को यह सोचना पड़े कि उसका चीफ सेक्रेटरी और आई० ए० एस० आफिसर्स खुश होंगे या नाराज होंगे और नाराज होने पर मध्यम मार्ग निकालना पड़े तो बलिहारी है ऐसे शासन की । मैं इसके लिये उनको बधाई देता हूं । आज का शासन वर्ग जिसके हाथमें शासन की बागडोर है वह अधिकारी वर्ग से इतना दबा हुआ है जिससे प्रतीत होता है कि तलवार से तलवार चलाने वाला दब रहा है । अगर आज प्रशासक वर्ग श स वर्ग पर चढ़ रहा है तो यह आरोप गलत नहीं है । यह सइ बात का द्योतक है कि शासक कमजोर है । इस कमजोरी का कारण क्या है ? जब अफसरों से सही या गलत काम करवाते हैं, जब हम अफसर पर जोर डाल कर पर्मिट दे कर, लाइसेंस कोटा दे कर इंक्वायरी को दबाते हैं तो हमारे पास यह ताकत नहीं रह जाती है कि वह गड़बड़ी करें तो हम उस गड़बड़ी को दबा सकें । इस सदन में जो आरोप लगाया गया है भ्रष्टाचार का और जो जज नियुक्त किया गया है उसको फियेट का पर्मिट दिया गया है और सुपुत्र को पेट्रोल पम्प दिया गया है और जब दरख्वास्त पड़ी तो कहा गया कि इसकी इंक्वायरी नहीं होगी । यही कारण है कि आज शासन में इतनी गड़बड़ी है । यही कारण है कि शासक वर्ग अपात्र है ।

आंकड़ों के खेल में, मैं नहीं जाना चाहता, जब जैसा मन में आया आंकड़े निकाल दिये । यह एक तोप हो गयी है जिसमें छुछुन्दर में छुछुन्दर निकल आता है । यह उत्तर प्रदेश की आय पुस्तिका है । बड़ा हल्ला मचता है कि हमारी इनकम बढ़ गयी है कि एवरेज बड़ा अच्छा है । इसमें ६१–६२ के आंकड़े दिये गये हैं २५७ प्वाइंट कुछ और, ६४–६५ के भाव के आगे लिखा है शून्य–अन्य आंकड़ों की कमी के कारण वर्तमान भाव पर ६४–६५ के भाव नहीं निकाले जा सके । आंकड़े नहीं हैं लेकिन आमदनी बढ़ गयी । इलेक्शन ईयर है । ऐसे गलत आंकड़े देकर सदन को ब्लफ किया जाता है । जनता को भ्रम में डाला जाता है यह बड़ा अशोभनीय है । यह इसलिये है कि राजा अपात्र है और बहुत ही चतुर अफसर है । और दोनों मिल कर देश की लुटिया डुबो रहे हैं । श्रीमन्, कानून बनता है उसी उत्तर प्रदेश में कि सोमवार सीरियल-लैस डे रहेगा और इस दिन गल्ले की कोई चीज नहीं मिलेगी । लेकिन मेफेयर सिनेमा चले जाइये, वहां एक कंज्यूमर्स कोआपरेटिव स्टोर है जिसको बड़े-बड़े आफिसर्स की धर्मपत्नियां चला रही हैं । वहां आप सोमवार के दिन भी डबलरोटी और मक्खन खरीद सकते हैं, बिस्कुट खरीद सकते हैं । इसके लिये सोमवार नहीं है बल्कि रोटी के लिये सोमवार है । इस देश का और प्रदेश का दुर्भाग्य यह है कि हमारी सरकार देश का विभाजन करके बुद्धि का विभाजन भी कर चुकी है । डबलरोटी खाने वाले १५ फीसदी आफिसर्स और बड़े बड़े लोग हैं और रोटी खाने वाले ८५ फीसदी हैं । जो देश में कानून बनता है उसको १५ फीसदी लोगों के लिये तोड़ा जाता है और उनका कोई प्रोसीक्यूशन नहीं होता है और ८५ फीसदी वाले लोगों को रोटी की कोई चिन्ता नहीं की जाती है । इसके माने यह है कि यह सरकार डबल रोटी वालों की सरकार है । इसको ८५ फीसदी लोगों से कोई सरोकार नहीं है ।

श्रीमन्, आंकड़ों का जंजाल बड़ा भीषण है । आज कल शोर और हल्ला मचा रखा है कि अकाल पड़ रहा है । मैं भारत सरकार के आंकड़े देता हूं कि १९५२ से लेकर १९६५ तक केवल २३ परसेंट आबादी बढ़ी और इम्पोर्टेड व्हीट ६०० परसेंट बढ़ गया है । सब ड्रा बैक्स के बावजूद हमारे यहां व्हीट का प्रोडक्शन ७५ परसेंट बढ़ा है । आबादी बढ़ रही है, इसलिये बच्चों को मार कर भ्रूण हत्या करके यह समाज की समस्या को हल करना चाहते हैं । जब ये आंकड़े हैं तो मेरी समझ में नहीं आता कि अकाल कहां पड़ रहा है ? केवल एक फसल मारी गई और अकाल पड़ गया । आप जो अमरीका से गेहूं मंगाते हैं वह

पता है कि कहां चला जाता है। वह आपकी मिलों में चला जाता है। इनसे पता चलता है कि हमारे यहां गेहूं की कमी नहीं है बल्कि मैदे की कमी हो सकती है। हमारे देश को विदेशों में जाकर भीख मांगनी पड़े यह बड़े दुर्भाग्य की बात है।

मैं माननीया मुख्य मंत्री जी को एक एक्सपेरीमेंट कहे देता हूं। जो अमरीका का गेहूं आता है उसमें चना मिलवा दीजिये। आपको मालूम होगा कि हम लोग गेहूं में चना मिलाकर खाते हैं और गांवों में भी चने मिलाकर रोटी बनाई जाती है। अगर आप गेहूं में जरा मिला दें फिर देखें कि वह नहीं बिकेगा और कोई कमी नहीं रहेगी। इस गेहूं को मैदा बनाने वाले खरीद लेते हैं। यह पक्षपात पूर्ण व्यवहार आप समाप्त कीजिये। सही आंकड़े रखिये और सही विचार रखिये और प्रशासन के ऊपर जरा कड़ाई रखिये।

आज कल मंहगाई का बड़ा हल्ला मचा रखा है कि मंहगाई बढ़ गई है। लेकिन आपके रिजर्व बैंक के आंकड़े क्या कहते हैं। जरा इसको देखने की कृपा करें। रुपये का जो मूल्य १६ आने था या १०० नये पैसे था आज उसका मूल्य केवल १५ नये पैसे है। आज रुपये की कीमत सात गुना गिर गई है। आज इनफ्लेशन सात गुना है। आज आपके रुपये की कीमत सात गुना गिर गई है। फिर आप क्यों गाली देते हैं। महंगाई आपके इनफ्लेशन के ऊपर है। आप इसको क्यों नहीं रोकते हैं। आज आप हल्ला करते हैं कि प्रति व्यक्ति आमदनी सात गुना बढ़ गई है। अगर आपकी इस बात को मान भी लिया जाये तो उसकी परचेजिंग पावर आज क्या है? उसका मूल्य उतना ही है जितना ४७–४८ में था। परचेजिंग पावर वही है। आज भी हम उसी स्थान पर हैं जिस पर १९३६ में थे। यदि आमदनी बढ़ी है तो उसकी परचेजिंग पावर कम हो गई है क्योंकि रुपये की कीमत सात गुना गिर गई है।

अध्यक्ष महोदय, जब कोई नई बात कही जाती है तो उधर से जवाब आता है रिसोर्सेज नहीं हैं। हम आशा करते थे कि बजट में अवश्य कुछ न कुछ रिसोर्सेज होंगे। लेकिन हमें निराशा ही नजर आई। जनसंघ ने बराबर मांग की कि लाखों करोड़ों रुपयों का टैक्स इवेजन हो रहा है। इसके लिये जो कानून में लूपहोल्स हैं उनको रोकने के लिये कुछ नहीं किया गया है। मैं प्रमाण देता हूं और माननीय मुख्य मंत्री जी से कहता हूं कि आदमी भेज पर जांच कराये बी० आई० सी० जो हमारी सरकार के अधीन है जिसके चेयरमैन श्री सतीशचन्द्र जी हैं, आज कल श्री प्रकाश जी हैं। वह किस प्रकार सेल्स टैक्स का सी फार्म पर इवेजन कर रही है उसके यह सारे नम्बर दिये हुये हैं, कितना आसाम में इवेजन हुआ है इस कम्पनी के द्वारा....

वित्त मंत्री (श्री कैलाशप्रकाश)—

क्या कागज है?

श्री यादवेन्द्रदत्त—

देखने की कोशिश करें। मैं बुद्धि दे सकता हूं आंख नहीं दे सकता हूं।

मुख्य मंत्री (श्रीमती सुचेता कृपालानी)—

अपनी बुद्धि के जरिये से और अपने हाथ के जरिये से भेज दीजिये।

श्री यादवेन्द्रदत्त—

मैं आवाहन करता हूं कि सारे नम्बरों को लेकर इसकी जांच करवाएं।

तीसरी बात है नेशनल सिक्योरिटी की। अगर देश की रक्षा नहीं हुई तो यहां कुछ रहने वाला नहीं है। अभी ऋषिकेश में एक जर्मन पकड़ा गया जिसके पास ट्रांसमीटर था। कहा जाता है कि वह चायनीज भी जानता है। कितने पकड़ा? सेंट्रल सी० आई० डी० ने। आपकी सी० आई० डी० क्या कर रही थी? आज अफसरों का एक बहाना है। ८–९ बजे फोन कीजिये तो जवाब मिलेगा पूजा कर रहे हैं और मुहम्मदबाग क्लब में होती है —ब्लैक हार्स व्हिस्की की पूजा। १ से ३ बजे तक लंच होता है जैसा कि बोगरा

[श्री यादवेन्द्र दत्त]

खां की चारपाई पर मनों पुलाव रखा जाता था। दूसरा मैं उदाहरण देता हूं। देहरादून में इसी प्रकार की घटना थी। आजमगढ़, शाहजहांपुर, बरेली सारे अड्डे हैं पाकिस्तानी एलिमेंट्स के जहां से सारी जासूसी होती है। आपने कितने पकड़े? कुंवर श्रीपाल सिंह ने कहा लखनऊ से ट्रांसमिशन होता है, कहा गया लिख कर दीजिये लिख कर दिया। उसके बाद कितने स्थान पर आपने ट्रासमिशन पकड़े? यह सिक्योरिटी का हाल है।

करप्शन आज बढ़ा है इससे इनकार नहीं किया जा सकता। मुझे जानकारी मिली है, मैं नहीं जानता कहां तक सही है या गलत, वह माननीय मुख्य मंत्री के सामने रख देता हूं। माधव प्रसाद जी ने प्रश्न किया था खाद्य समस्या के विषय में कि किन किन मंत्रियों ने कितना दौरा किया। उसमें कहा गया कि गोपनीय है। मेरी सूचना के अनुसार एक मंत्री ने ३६५ दिन में ७६८ बार दौरा किया। तो यह कैसे हुआ जरा इसको देखना चाहिये। आखिर यह सदन भी वर्ष में कुछ माह चला है या नहीं, कहीं और कुछ काम हुआ है या नहीं या वर्ष के सारे दिन दौरा ही करते रहे? आखिर कैसे दौरे किये होंगे एक दिन में एक किये होंगे, दो किये होंगे या तीन किये होंगे, यह तो शहीदन खां का हिसाब हो गया, उनके यहां अशर्फियां सुखवाई जाती थीं। १०० मन अशर्फिया सूखने को डालीं जो कि ९० मन रह गयीं तो कह दिया गया कि १० मन सूख गयीं।

दूसरी बात डिस्क्रिशनरी फंड की है। सारा डिस्क्रिशनरी फंड कहां गया? हर मिनिस्टर के पास एक लम्बा चौड़ा रुपया इस फंड में रहता है। मेरी समझ में नहीं आता है कि इतना इतना धन हर एक मंत्री को किस जनतन्त्र के आधार पर दिया जाता है। पैसा जनता का है, टैक्स पेयर्स का है। उसके खर्च की जांच होती है या नहीं यह मैं मुख्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं। इस फंड का नाजायज इस्तेमाल मिनिस्टर्स लोग अपने स्वार्थ के लिये करते हैं, इस धन का सही वितरण सही लोगों में नहीं हो पाता है। डिस्क्रिशनरी फंड हर मिनिस्टर को अलग-अलग न देकर यह केवल एक मुख्य मंत्री के पास होना चाहिये, हर एक मिनिस्टर को अलग अलग देने से क्या मतलब है। जब कि वह रिलीफ कार्यों के लिये दिया जाता है, तो वह एक ही एजेन्सी द्वारा दिया जाना चाहिये। इसलिये मैं मांग करूंगा कि इस डिस्क्रिशनरी फंड को समाप्त किया जाए।

श्री वृजभूषण शरण (जिला देहरादून)—

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस बजट पर माननीय वित्त मंत्री महोदय को इसलिये बधाई देता हूं कि उन्होंने कोई नया टैक्स इस साल में नहीं लगाया। मान्यवर, दुबे जी ने बहुत सी बातें ऐसी कहीं, जिनको सुनकर कुछ रोगटे से खड़े हो जाते हैं और मुझे ऐसा लगा कि शायद यही कारण है कि हमारा प्रजातन्त्र सुचारू रूप से चल नहीं पा रहा है। मैं अपने गत १० साल के अनुभव से कह सकता हूं, कि यहां पर जब भी बजट आता है, गवर्नर का एड्रेस होता है और बहुत से मौके होते हैं, जिनसे ऐसा मालूम होता है कि प्रजातन्त्र का उपहास हो रहा है। इसका विशेष कारण यह है कि बचपन से...

(इस समय १ बज कर ६ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री जगदीशप्रसाद पीठासीन हुए।)

जो हम यह सुनते चले आ रहे हैं वह एक किस्सा है कि एक गड़रिया का लड़का रोज रोज झूठ मूट चिल्लाया करता था भेड़िया भेड़िया किन्तु उसका परिणाम यह हुआ कि एक दिन जब वास्तव में भेड़िया उस लड़के के पास आया तो लोगों ने उसकी बात का कोई विश्वास नहीं किया, यही समझा कि यह तो इसी तरह असत्य चिल्लाया करता है। शायद इसी की प्रक्रिया इस आदरणीय सदन में भी होती है। हमारे माननीय मंत्रीगण रोज रोज इस तरह की बातें सुनकर, सही और गलत छांटना भी उनके लिये मुमकिन नहीं रहता। मुझे ऐसा लगता है कि जब कभी भी बजट पर या महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर यहां बहस होती है तो एक बहुत हास्य-पूर्ण तरीके से हमारे सुझावों को सुना जाता है, उस पर कोई विशेष गौर नहीं किया जाता है,

कभी पार्टी में या सरकार में सीरियस थिंकिंग उन सुझावों के बारे में नहीं हो पाती। उसका कारण यह है कि कुछ इस तरह की बातें यहां पर कह दी जाती हैं जिसमें सच और झूठ का ज्यादा मेल हो जाता है। मैं यहां पर माननीय दुबे जी की बातों का कोई जवाब देने के लिये तो नहीं खड़ा हुआ हूं, फिर भी यदा कदा जो बातें मेरे दिमाग में आईं उसका कहना भी मेरे लिये आवश्यक है।

माननीय दुबे जी ने कहा कि मूल्य बढ़ रहा है, यह ठीक है मूल्य बढ़ रहा है। माननीय दुबे जी ने यह भी कहा कि उसका कारण इन्फ्लेशन है, यह भी ठीक है। लेकिन इन्फ्लेशन जहां तक रोका जा सकता है, उसको अवश्य रोका जाना चाहिये। किन्तु क्या कभी उन्होंने यह भी सोचा है कि इन्फ्लेशन क्यों होता है? इन्फ्लेशन उस स्थिति में होता है जब जो पैसा जनता पर खर्च किया जाता है, उसके बदले में कुछ लौटकर वापस नहीं मिलता है। आज करोड़ों अरबों रुपया एजूकेशन पर खर्च किया जाता है, आपके लड़के जो पांचवे सातवें तक पढ़ते थे अब आठवें दसवें तक पढ़ जाते हैं, लेकिन उससे समाज को लौट कर क्या मिलेगा। आप करोड़ों रुपया दवाओं पर अस्पताल के जरिये खर्च करते हैं, जब वह रुपया बाजार में पहुंचेगा तो इन्फ्लेशन अवश्य होगा, लेकिन इसके लिये क्या किया जाय। हमेशा इन्फ्लेशन उस खर्च से होगा, जिसके बदले में कुछ लौट कर समाज को नहीं मिलेगा। लेकिन एक वैल्फेयर स्टेट में एजूकेशन, स्वास्थ्य आदि सार्वजनिक हित के कार्यों पर किये जाने वाला खर्च किसी भी हालत में रोका नहीं जा सकता है, वह हमें करना ही पड़ेगा। इन चीजों को देखते हुये यह हर वक्त कोशिश होनी चाहिये कि मूल्य और आमदनी में इस प्रकार का अनुपात हो कि लोगों का जीवन दूभर न हो जाए।

उन्होंने यह भी कहा कि आयात किया हुआ गेहूं बड़ी बड़ी फ्लावर मिलों में चला जाता है और वे उससे भारी फायदा उठाते हैं, जनता को लाभ उससे नहीं मिल पाता है। ठीक है, कुछ फ्लावर मिल में भी चला जाता है, लेकिन उसका आटा भी मिलता है और वह मजदूरों में बांटा जाता है। ये ऐसी चीजें नहीं थीं कि जिनका बजट भाषण में बढ़ा चढ़ा कर कहा जाना जरूरी था।

यह बात सही है कि माननीय नवलकिशोर जी ने कहा कि हमारी योजनाओं का इंटीग्रेटेड इम्पेक्ट हमारी इकानामी पर नहीं पड़ा। जिस किताब का माननीय नवल किशोर जी बारबार हवाला दे रहे थे वह है लोकनाथन रिपोर्ट आन टेक्नो एकोनामिक सर्वे आफ इंडिया। उसमें लोकनाथन जी ने हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद दिया है कि उन्होंने सबसे पहले हमारे प्रदेश में सर्वे कराया। लेकिन मैं माननीया मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि जहां उन्होंने इतनी कोशिश करके इतनी एक्सपर्ट सर्वे अपने प्रदेश में कराई कम से कम वे एक एक किताब खरीद करके हर एक मंत्री को अपनी तरफ से प्रोवाइड करें और एक महीने के बाद फिर उन सबका इम्तिहान लें कि उन्होंने पढ़ा भी है या नहीं। वरना मुख्य मंत्री जी चाहे जितनी भी कोशिश करें जब तक इस प्रकार की रिपोर्ट को माननीय मंत्री और माननीय सदस्य पढ़ें और गुनेंगे नहीं तब तक कोई फायदा नहीं होगा और वह लाइब्रेरी की शेल्फ ही सजाया करेंगी। मैं माननीया मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि इस किताब को पढ़ने के बाद सच पूछिये तो मेरे मस्तिष्क पर इतनी बुरी प्रतिक्रिया हुई है कि मैं अब महसूस करने लगा हूं, बावजूद इसके कि मैं आज तक ऐडवोकेट रहा हूं और यह महसूस करता रहता हूं, कि हमारी सरकार ने बहुत कुछ किया है। जहां तक सचाई का ताल्लुक है, उसका पोटेंशल बढ़ाया है, जहां तक पावर का ताल्लुक है उसमें उसने बहुत बढ़ोत्तरी की है, फिर भी उन सबका उतना फायदा हमें क्यों नहीं पहुंचा, उस किताब में कुछ कुछ झलक इसकी मिलती है। उसका कारण हमारे मंत्री गण हर एक अलग अलग अपना अपना महल जैसे अलग बनाकर बैठे हैं। उनमें कोआर्डिनेशन नाम मात्र को नहीं है। मैं जब कल माननीय बनारसीदासजी का भाषण सुन रहा था, फील कर रहा था.....

श्री नाथूराम शिक्षक (जिला इलाहाबाद)—

एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अधिष्ठाता—

क्या आप उनसे कोई प्रश्न करना चाहते हैं, अगर वे बैठ जायं....

श्री नाथूराम शिक्षक—

श्रीमन्, वे बैठ गये । हमारे वक्ता महोदय ने कहा हमारे आपस में गड़बड़ है । एक कहावत है श्रीमन्, "रहमिन अंसुआ नयन ढरि जिय दुख प्रकट करें, जाहि निकारो गेह ते, भेद कस न कहि देय ।"

श्री बृजभूषण शरण—

मैं शिक्षक जी को समझता था कि वे बड़े विद्वान आदमी हैं और शायद मुझसे कोई प्रश्न करना चाहते हैं इसलिये मैं बैठ गया था । मैंने तो कहा नहीं कि आपस में हममें गड़बड़ है । मैंने ये शब्द कभी नहीं कहे, प्रोसीडिंग्स उठाकर देख लें । तो मैं यह कह रहा था कि इस प्रकार की टेक्नो एकानामिक सर्वे रिपोर्ट होती है उनका अध्ययन नहीं होता है क्योंकि न तो हमारे मंत्रियों को फुरसत है, कलेक्टर साहब के पास जाओ, कमिश्नर साहब के पास जाओ, मिनिस्टर साहब के पास जाओ किसी को फुरसत नहीं है । एक ओर हमारा कल्याणकारी राज्य है लेकिन यह देखकर अफसोस होता है कि मजदूर को देखो तो वह परेशान, काश्तकार है वह परेशान जनता कहती है कि हमें मार डाला, व्यापारी कहता है कि हमें मार डाला, एम० एल० ए० कहता है कि नौकरशाही हावी हो गयी है, नौकरशाही कहती है कि एम० एल० ए० हमें परेशान किये हुये हैं काम नहीं करने देते, मंत्री कहते हैं कि एम० एल० ए० हमें परेशान करते हैं, एम० एल० ए० कहता है कि मंत्री हमारी सुनता नहीं । क्या अफसर है, मेरी समझ में नहीं आता । इसके लिये मैं कल ही कहने वाला था जब माननीय बनारसीदास जी भाषण दे रहे थे कि हमें प्रैक्टिकल सोशलिस्ट होना चाहिये । वास्तविक बात यह है कि किताबें पढ़कर जो सोशलिज्म चलाया जाता है उतना ही अव्यावहारिकता हो जाती है । इसी के कारण हमने सीलिंग्ज लैंड पर कर दी और जिसकी वजह से पैदावार कम हुई । हमने बहुत से नारे लगाये लेकिन नतीजा उल्टा निकला ।

इसी तरह का मैं एक उदाहरण और देना चाहता हूं । प्राहिबिशन का एक उदाहरण है । प्राहिबिशन के बावजूद भी बम्बई में शराब खुले आम बिकती है, कानपुर में ही प्राहिबिशन के बावजूद शराब बिकती थी । लेकिन चूंकि संविधान में लिखा हुआ है कि प्राहिबिशन होना चाहिये इसलिये लकीर के फकीर बने हुये हैं । हालांकि प्राहिबिशन से कोई फायदा नहीं हो रहा है और रेविन्यू अलग खराब हो रहा है । हमारे जिले को ही ले लिया जाय । हमारे यहां लार्ज स्केल इल्लिसिट डिस्टिलेशन हो रहा है बावजूद इसके कि एक्साइज स्टाफ ने बहुत बड़ी कोशिश की कि जरायम रुक जाय लेकिन वह कितना रुक पाया है हम नहीं कह सकते । हमारे यहां हजारों की तादाद में रिटायर्ड आर्मी परसोनेल रहते हैं और इसी तरह से और भी लोग हैं जो पहाड़ों में रहते हैं । शराब पीना उनकी एक आदत सी बन गई है । वह कहीं न कहीं से शराब पाने का प्रयत्न करते हैं । तो फिर आप क्यों अपने रेविन्यू को लूज करते है । उनका अगर सुधार करना चाहते हैं तो करें मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है । आप मुसलमानों को ग्रान्ट दीजिये कि वह मस्जिद में अपनी नमाज के दिन इसलाम के अन्तर्गत इस बात का प्रचार करें कि शराब पीना जायज नहीं है । इसी तरह से हिन्दुओं को आप पैसा दें कि वह भी गीता-भवन में इस बात का प्रचार करें । इसाइयों को ग्रान्ट दें ताकि वह भी अपने गिरजाघरों में इस बात का प्रचार करें । इन सब को आप ग्रान्ट दीजिये लेकिन कुछ पुलिस वालों को आप जेब भरने दें या कुछ लोग गलत तरीके से शराब बना कर शराब बेचें और इस तरह से सरकारी रेविन्यू का लास होता जाय तो यह मैं मुनासिब नहीं समझता हूं । मेरा यह निवेदन है कि आप वैसे ही शराब की दुकानें खोलिये और पूरा रेविन्यु वसूल कीजिये तो आपकी आमदनी और इस

विभाग में बढ़ जायगी। आपके यहां इस एक्साइज की आमदनी १४, १५ करोड़ की है तो मेरा अनुमान है कि २, ३ करोड़ की आमदनी इसके अन्दर और बढ़ जायगी। यह जो आपके यहां डेफिसिट रहता है या मुख्य मंत्री जी परेशान रहते हैं कि कैबिनेट का फैसला होने के बाद भी हम उन लोगों को महंगाई भत्ता नहीं दे पा रहे हैं जितना केन्द्रीय सरकार देती है तो यह सब गैप पूरा करने के लिये रुपया आजायेगा।

दूसरा रास्ता यह है कि उत्तर प्रदेश में मंत्री से लेकर चपरासी तक कौन ऐसा आदमी है जो यह नहीं जानता कि मोटर वैहिकिल्स टैक्स में सबसे ज्यादा गबन हो रहा है। इस कारण से यह होता है कि हमारी नीति गलत है। हम यह नहीं जानते हैं कि हमको क्या करना चाहिये। हमारे उत्तर प्रदेश में १५ हजार पब्लिक कैरियर हैं और १७ हजार प्राइवेट कैरियर हैं। उन सबके ऊपर सरकार ने यह नियन्त्रण लगा रखा है कि ५ टन भार वह ले जासकते हैं लेकिन अगर कभी इन्फोर्समेन्ट वालों ने उनको पकड़ा तो अधिक भार उनमें पाया है। वह १० टन से कम नहीं भरते हैं। अगर उसको पकड़ा न जाता तो वह अपने डैस्टिनेशन को पहुंच जाता। जब कभी पकड़े गये हैं ऐसे एक तो उनका चालान हुआ है और जुरमाना भी हुआ है। इस बात को हम सब जानते हैं कि ५ फीसदी ही चोरी पकड़ी जाती है और ९५ फीसदी नहीं पकड़ी जाती है। ९५ फीसदी लोग उसमें से निकल जाते हैं। मैं यह समझता हूं कि इससे सरकार को बड़ी भारी आर्थिक हानि होती है। अगर पी० डब्लू० डी० वाले इस बात पर ध्यान नहीं देते और बिना टैक्स लिये किसी मोटर को जाने देते हैं तो इसमें सरकार को हानि होती है। आप इस तरह से करें कि जिससे उस तरह के माल ले जाने की गुंजायश न रहे। इसका नतीजा यह होता है कि पुलिस वालों की जेब भरती है और स्टेट को नुकसान होता है। मेरा ऐसा अनुमान है कि मोटर वैहिकिल्स के टैक्स के द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार को ४ करोड़ ८१ लाख की आमदनी होती है। अगर इस तरह से उनके ऊपर इस भार को बढ़ा दिया जाय और टैक्स भी बढ़ा दिया तो २, ३ करोड़ रुपये की और आमदनी सरकार को हो सकती है। इकोनामिक सर्वे रिपोर्ट में यह लिखा हुआ है कि जिस तरह से आपके पास जितनी वृद्धि हुई है इंडस्ट्री में, जितनी वृद्धि हुई है एग्रीकल्चर में तो उस हिसाब से आपके पास ट्रान्सपोर्ट के साधन नहीं हैं। ट्रान्सपोर्ट के साधन एक दिन में नहीं बढ़ सकते हैं। ट्रान्सपोर्ट के साधन इस तरह से बढ़ सकते हैं कि आप उनकी लोड केपेसिटी को बढ़ायें, उनकी क्षमता को बढ़ायें तो इससे जनता को साधन आप दे सकेंगे और पब्लिक को आराम मिलेगा, भ्रष्टाचार का मौका कम होगा और राज्य की आमदनी बढ़ेगी।

माननीय दुबे जी ने कुछ सेल्स टैक्स के बारे में जिक्र किया कि कुछ सेल्स टैक्स की बंगलिंग हुई। जो रिपोर्ट दी गई है और जो कागज फेंके गये हैं उनके संबंध में मैं नहीं कह सकता कि कहां तक सत्य हैं लेकिन इस संबंध में हमको सही तरीके से सोचना पड़ेगा। हमारे यहां बहुत सा सामान कानपुर में बनता है और दिल्ली जाकर बिकता है। वहां से फिर उत्तर प्रदेश में आकर बिकता है। सेल्स टैक्स के विषय में हमारी पालिसी ऐसी नहीं है जिससे उत्तर प्रदेश में इंडस्ट्रीज को हम प्रोत्साहन दे सकें।

मान्यवर, सुरक्षा की बात कही जाती है और उसमें काम यह हो रहा है कि भारत प्लाई वुड फैक्ट्री है नजीबाबाद में, उस में एक मुसलमान पार्टनर है जिस का पाकिस्तान से संबंध बताया जाता है। उस के सतीश चन्द्र जी पार्टनर हैं, उस के राजा साहब चरत सिंह प्रेसीडेंट हैं। तो जब उस की पाकिस्तान से संबंध की शिकायत मिली तो सरकार ने इस फैक्ट्री की लकड़ी जो फारेस्ट से मिलती थी, उसे बंद कर दिया। उसका नतीजा क्या हुआ? तमाम मजदूर बेकार हो गये। सुरक्षा के नाम पर उस मुसलमान पार्टनर को गिरफ्तार नहीं किया गया, उसके खिलाफ मुकदमा नहीं चलाया गया, पूरी फैक्ट्री बन्द कर देने की कोशिश कर ली गयी। यह क्या है? यह कौन सा तरीका है सुरक्षा का?

मैं आपका आभारी हूं कि आप ने काफी समय मुझे दिया। अन्त में एक बात और कहना चाहता हूं कि आपने भ्रष्टाचार रोकने के लिये एक विजीलेंस कमीशन बनाया है। उस में मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि जो सब इन्स्पेक्टर या इन्स्पेक्टर रखे गये हैं उन का एक अलग कैडर

[श्री बृजभूषण शरण]

बना दिया जाय अन्यथा वहां से ट्रान्सफर होने पर वे फिर जिलों में पोस्ट किये जा सकते हैं और उन अफसरों के मातहत रह सकते हैं जिन के खिलाफ उन्होंने कभी इन्क्वायरी की हो । ऐसा करना उन की नौकरी को खतरे में डालना है । इसलिये आवश्यक है कि उन का कैडर अलग कर दिया जाय ।

श्री उमाशंकर तिवारी (जिला वाराणसी)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, हमारे भाई नवलकिशोर जी ने वित्त मंत्री जी को इसलिये धन्यवाद दिया है कि उन्होंने बीमारी की हालत में रहते हुये भी, यह बजट पेश किया है । मेरी समझ में यदि वित्त मंत्री महोदय बीमारी की हालत में यह बजट पेश न करते तो ज्यादा अच्छा होता । यह बजट उस कांग्रेस सरकार का बजट नहीं है जो कि दावा करती है कि हम इस देश में समाजवाद लाना चाहते हैं । बजट को देखने से मालूम होता है कि यह नौकरशाही का बजट है । इस बजट के आंकड़ों को आप देखें । जो धन इस में खर्च किया जायगा उस का अधिक भाग नौकरशाही पर खर्च होगा, योजना पर कम खर्च होगा । इसलिये यह कहना कि यह लोकतंत्रीय बजट है, इससे समाजवाद आयेगा, गलत बात करना होगा । पिछले १८ सालों में कांग्रेसी सरकार ने तीन योजनायें चलायीं, लेकिन हमारे देश और प्रदेश में खाद्य की समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है । वही हाल है कि मर्ज बढ़ता गया ज्यों ज्यों दवा की । प्रत्येक योजना में इसे प्राथमिकता दी जाती है, लेकिन होता कुछ नहीं ।

शहरों क्या देहातों में भी लोग भूखों मर रहे हैं । पूर्वी जिलों के लिये सोतेली मां के लड़के का सा व्यवहार किया जा रहा है । वह क्षेत्र सूखे तथा बाढ़ से तबाह हो रहा है इसके बावजूद भी ऐसी कोई योजना नहीं है कि वहां के लोगों की माली हालत को सुधारा जा सके । इसलिये इस बजट से समाजवाद को लाने की बात करना गलत होगा । हर साल बजट घाटे का पेश किया जाता है और घाटे के नाम पर टैक्स लगा दिये जाते हैं । इस बजट में टैक्स नहीं लगाये गये हैं, लेकिन उस के पहले ही किसानों पर मालगुजारी बढ़ा दी गयी है । आज खरीफ की फसल मारी गयी है, रबी की फसल भी कमजोर है, लेकिन आप ने जो चार आना मालगुजारी बढ़ायी थी उसे कम करने की कोशिश नहीं की । इससे हमारे किसानों की हालत दिनों दिन और जर्जर होती जा रही है । जबकि किसान की पैदावार मारी जा रही है और रोजमर्रा की जिन्दगी की चीजों के मूल्य आसमान छू रहे हों, किसान सिर्फ एक गल्ला पैदा करता है, लेकिन उसको और चीजें खरीदनी पड़ती हैं, लेकिन तब भी आपने उस पर तरस नहीं खाया और मालगुजारी को कम करने के लिये मेहरबानी नहीं की । शहरों में जो बेचारे गरीब झोपड़ी में रहते हैं उन पर जो भूमि भवन कर लगाया है वह चाहे रिक्शा चलाने वाला मजदूर है या कोई मजदूर, कोई बचा नहीं है। उसकी इस महंगाई के जमाने में कैसे गुजर होगी, इसका खयाल नहीं किया । इस तरह से यह बजट सिर्फ नौकरशाही का बजट है, इससे किसी आम गरीब जनता को कोई राहत नहीं हुई है । इसमें थोड़ा सा रुपया योजना और परियोजना के नाम से दिखाया जाता है जो विकास खंडों में जाकर वितरित होता है । जो सहायता के नाम से कर्ज का रुपया देते हैं आज जब सिंचाई के लिये कोई मशीनरी खरीदने के लिये किसान कर्जा लेने जाता है तो उसको कानूनी खानापुरी करनी पड़ती है । उसके लिये पटवारी लेखपाल, कानूनगो, तहसीलदार, बी० डी० ओ०, ए० डी० ओ० के दरबार के चक्कर लगाने पड़ते हैं और काफी उसका रुपया व्यय हो जाता है और जब स्वीकृति मिल जाती है और जब वह रुपया लेने जाता है तो कहा जाता है कि सुरक्षा कोष में रुपया दीजिये । हालत यह है कि हम लेते हैं कर्जा और उसमें भी सुरक्षा कोष का नाम लिया जाता है और वह सरकारी कर्मचारी जो सुरक्षा कोष का रुपया कर्जे में वसूल करता है स्वयं अपनी तनख्वाह का रुपया देने के लिये, अगर सरकार ने नहीं मांगा, तो नहीं देता है । यह आज किसानों की और जनता की हालत है ।

सिंचाई के संबंध में बहुत ढिंढोरा पीटा जा रहा है और बहुत उद्योग कर रहे हैं, लेकिन जैसा कि हमारे मुख्य मंत्री ने गवर्नर के संबोधन के समय कहा था कि सिंचाई की भूमि बढ़ी है, साथ ही यह भी कहा कि नदियों में पानी नहीं रहा। हमारी समझ में नहीं आया कि जब नदियों में पानी नहीं रहा तो नहरों में कहां से पानी आ गया? आज कानून यह है कि अगर एक बार भी खेतों में पानी चला जाय तो उस पर रेट लग जाता है, चाहे खेत में फसल हो या न हो और पुर्जियां जो मिलती हैं सिंचाई के रेट की वह फसल के बाद मिलती हैं। अगर बाद में जांच के लिये दरख्वास्त भी दें तो कहा जाता है कि समय पर आपने दरख्वास्त नहीं दी, आपने फसल काट ली। सवाल यह है कि समय पर पुर्जियां नहीं मिलती हैं तो वह कैसे दरख्वास्त दे कि मेरे खेत में सिंचाई नहीं हुई, फसल मारी गयी। नतीजा यह होता है कि किसानों को गलत इन्बराज से रेट देने पड़ते हैं। एक तो बीज का नुकसान हुआ, खेत में जो खर्चा हुआ वह नुकसान हुआ और फिर मालगुजारी और नहर का रेट देना पड़ता है। इस तरह से सिंचाई की आमदनी बढ़ गयी। आपने अपना क्षेत्रफल दिखलाया कि सिंचाई बढ़ी लेकिन वास्तविकता यह है कि सिंचाई नहीं बढ़ी बल्कि सिंचाई कम हुई। जहां तक मुझे अपने जिले की जानकारी है, इस तरीके से आज होता क्या है, पैसा योजनाओं के नाम पर खर्च किया जाता है। मैं मिसाल के तौर पर यह बतला दूं कि हमारे जिले में एक गरई नदी है, वहां गरई, करवा तथा, पैरी पलानी पानी निकासी की एक योजना सन् ५२ से बन रही है, लेकिन जितने अधिशासी अभियन्ता आते हैं योजना बनाते हैं और फिर बिगाड़ते हैं, इस तरह से पचासों बार योजना बन चुकी लेकिन अभी तक वह अन्तिम रूप से नहीं तैयार हो सकी। आज जो वहां हजारों एकड़ जरखेज जमीन किसानों की जलमग्न रहती है, अगर उसमें से पानी को निकाल दिया जाय तो वहां किसान खाद्य समस्या को हल करने के लिये काफी गल्ला पैदा करने में सहायक हो सकते हैं। अधिशासी अभियन्ताओं ने योजनायें बनाने पर हजारों रुपये खर्च कर दिया लेकिन सन् ५२ से ६६ तक वह योजना नहीं बन सकी है। हमारे जिले में बहुत सी ऐसी योजनायें हैं जिनके लिये हजारों बार कहा गया जिलाधीश और सरकार को लिखा गया, उनके पास पत्र भेजा गया कि वे योजनायें बनवा दी जायं लेकिन आज तक कोई योजना पूरी नहीं हो सकी है, वह केवल कागज के रूप में है।

एक बात और है। अभी हमारे माननीय नवलकिशोर जी ने एन० डी० एफ० के बारे में कहा कि उसमें कोई गबन नहीं हुआ है। हम लोग तो यह कहते ही हैं कि उसमें गबन है लेकिन हमारे माननीय चतुर्भुज शर्मा जी जो उनके ही साथी रहे हैं, वे तक कहते हैं कि उसमें गबन हुआ है और उसमें श्री चन्द्रभानु गुप्त ऐसे लोग रहे हैं। तो हमारा कहना यह है कि उसमें विरोधी पार्टी के सदस्य क्यों नहीं रखे जाते जिससे आपकी नेकनीयती मालूम हो कि उसमें कोई गबन नहीं हुआ है।

*डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय वित्त मंत्री द्वारा जो बजट इस सदन में उपस्थित किया गया है, वह देखने में बहुत थोड़ी मात्रा में केवल ३१ लाख का डेफिसिट बजट दिख पड़ता है लेकिन यदि हम पिछले तीन वर्षों के अनुमानित बजट के आंकड़ों पर निगाह डालें तो ऐसा लगता है कि यह बजट वास्तव में आगे चल करके सरप्लस बजट बन जाने वाला है और इसलिये हमारे वित्त मंत्री बधाई के पात्र हैं। उन्होंने वर्तमान आर्थिक कठिनाइयों के बावजूद भी एक सरप्लस बजट ही पेश किया है। यह बात मैं इसलिये कह रही हूं कि जब हम ६४–६५ के बजट अनुमान को देखते हैं तो उसमें करीब करीब ११ करोड़ ५९ लाख रुपये का अनुमानित घाटा था लेकिन अन्त में वह घाटा बदल कर ३ करोड़ २६ लाख रुपये का हो गया और राजस्व व्यय में करीब साढ़े ४ करोड़ रुपये की बचत उस वर्ष में दिखलाई गई। बजट के अन्तर्गत जिन कारणों से यह बचत हुई उसमें एक कारण यह भी बतलाया गया था कि उद्योग के अन्तर्गत करीब १ करोड़ २८ लाख रुपये की कमी हुई है। यह बात थोड़ी हैरानी की

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[डाक्टर राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी]

जरूरी लगती है कि जब हमारा प्रदेश उद्योग धंधों में इतना पिछड़ा हुआ है तो किन कारणों से इतनी बड़ी रकम यानी १ करोड़ २८ लाख रुपये की बचत की गयी। इस बार भी जो बजट है उसमें उद्योग धंधे और कृषि के ऊपर विशेष ध्यान दिया गया है। सन् १९६५-६६ में १४ करोड़ ९१ लाख रुपये का घाटा था जो अन्त में जाकर करीब ५ करोड़ ९ लाख का रह गया। तो जो आज ३१ लाख का घाटा दिखाया गया है मैं समझती हूं कि बाद में यह घाटा भी नहीं रह जायगा।

हमारे अर्थ शास्त्र में जो एकानामिक्स वर्ड है, कहा जाता है कि यह ग्रीक वर्ड "एकानामिको" से निकला और उस वर्ड का अर्थ लगाया जाता है, "मैनेजमेंट आव हाउसहोल्ड अफेयर्स"। एक महिला के हाथ में इस राज्य की बागडोर होने के कारण-जैसे एक अच्छी गृहिणी अपनी जो आमदनी होती है उसके अनुसार ही अपने घर के लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने की कोशिश करती है उसी तरह हमारी मुख्य मंत्री ने भी प्रदेश की आर्थिक स्थिति को उसके व्यावहारिक पहलू को सामने रखते हुये इस प्रदेश की जनता की जो टैक्स देने की विशेष क्षमता है उसको मानते हुये इस बार भी नये टैक्स की घोषणा नहीं की और न इसके लिये संकेत किया है। इसके लिये हम उन्हें बधाई देते हैं और प्रदेश की आठ करोड़ जनता की ओर से आभार प्रकट करते हैं। क्योंकि बजट का यह अधिवेशन महत्वपूर्ण होता है और प्रदेश की जनता बड़ी बेचैनी से इन्तजार करती है कि कब बजट असेम्बली में पेश होगा तथा उस समय पता नहीं क्या-क्या नये कर लगाये जायेंगे। पिछले कई वर्षों से हमने कोशिश की कि प्राइवेट टैक्स न लगाकर इन्डायरेक्ट कुछ टैक्सेज लगायें मगर हम यदि आंकड़ों में जायं तो वे इन्डायरेक्ट टैक्सेज भी काफी भार डाल चुके हैं। आज की जो हमारी मध्यम श्रेणी की और साधारण आमदनी वाली जनता है, समाजवादी, विचार धारा पर विश्वास रखने के नाते इस बात को मानती है कि समाज में आर्थिक विषमता को रोकने के लिये हैवी टैक्सेज एक सीमा तक लगाकर कुछ काफी बड़े हिस्से पर, जो बड़ी आमद वाले लोग हैं, उन पर टैक्स लगा करके हम उस आर्थिक विषमता को हल कर सकते हैं। आज हम इस बात को मानते हैं, जहां पर हमने इस बात को माना है कि डैमोक्रेटिक तरीके से हम समाजवाद को लायेंगे वहां पर हमारे लिये यह भी जरूरी हो जाता है कि हम उन तरीकों को अपनायें जिसके द्वारा जल्द से जल्द हम अपने उस लक्ष्य तक पहुंच पायें। समाजवाद के अन्तर्गत हम यह मानते हैं कि धन के वितरण की विषमता है, वह जल्द से जल्द दूर होनी चाहिये। जो हमारा तरीका होना चाहिये उसको जब हम प्रजातन्त्र के रास्ते पर चलकर अपनाना चाहते हैं तो उसमें कठिनता पैदा होती है और उसी में एक बड़ी कठिनता सरकार के सामने प्रतिवर्ष जो आती है, वह यह है कि जो बड़े बड़े लोग हैं, व्यापारिक वर्ग है और जो कि आमदनी करने वाली जनता है वह टैक्सों से बचकर के ब्लैक मनी पैदा करती है और जब वह बाजार में आता है तो उससे एक ओर इन्फ्लेशन बढ़ता है लेकिन सरकार उसको पूरी तरह कन्ट्रोल नहीं कर पा रही है। ये अखिल भारतीय स्तर पर चीजें हो रही हैं, केवल हमारे प्रदेश में ही नहीं है और उसके शिकार हम सभी लोग हो रहे हैं। तो जरूरत इस बात की है कि हमारे, प्रदेश की जो सरकारी मशीनरी है, हमारे वे अफसर जिनके हाथ में बड़ी जिम्मेदारी है वह सही मानों में टैक्स को वसूल करें। उसको सरकारी खजाने में भेज सकें। उन पर इसका उत्तरदायित्व बहुत बड़ा हो जाता है। आज जब जनता इस बात से अपने को हलका महसूस कर रही है कि नये टैक्स नहीं लगे हैं लेकिन मैं समझती हूं कि अगर हम ऐसे टैक्स लगाते भी तो भी जनता हम पर विश्वास करते हुये देने को तैयार होती क्योंकि वह समझती है कि जो भी टैक्स का पैसा है वह ठीक ठीक इस्तेमाल होगा।

हमारे इस बजट पर जो विशेष जोर डाला गया है वह है सिंचाई और खेती की व्यवस्था और औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि उत्तर प्रदेश पर कृषि की बड़ी भारी जिम्मेदारी है क्योंकि यहां लोग गंगा और जमुना के ऐसे प्रदेश में रहते हैं जहां की जमीन केवल हिन्दुस्तान में ही नहीं बल्कि दुनिया की एक बहुत उपजाऊ धरती है। फिर क्या वजह है कि हम अपना अन्नोत्पादन का लक्ष्य पूरा नहीं कर पाते हैं? और अगर अतिवृष्टि या अनावृष्टि हो जाय तो बड़ी परेशानी हो जाती है? मुझे प्रसन्नता है कि कानपुर में एक फर्टीलाइजर का कारखाना खुलने जा रहा है।

लेकिन क्या यह हमारी नीतियों के अनुरूप होगा कि हम इस फैक्ट्री को प्राइवेट हाथों में दे दें? ३० करोड़ की लागत की फैक्ट्री कोई ऐसी नहीं है जिसे हमारी सरकार न चला सके। अगर फर्टीलाइजर का सही इस्तेमाल किया जाय तो ४० प्रतिशत हमको आज आवश्यकता फर्टीलाइजर की होनी चाहिये। मेरा सुझाव है कि जैसे वायस आफ अमेरिका के खिलाफ एक जन-आन्दोलन हमारे देश में हुआ और उसके बाद हमारे जन-प्रिय प्रधान मंत्री जवाहरलाल जी ने उस डील को खत्म कर दिया था, उन्होंने उस गलती को महसूस किया, इसी तरह हमारी सरकार इस पर पर जोर दे कि केन्द्रीय सरकार ने जो डील किया है फर्टीलाइजर का, वह राष्ट्रीय हित के खिलाफ है और हमारे सदन की यह मजबूत आवाज वह केन्द्र तक पहुंचावे। मैं समझती हूं कि हम कम्पोस्ट खाद और दूसरी तरह की खाद अपनी पूंजी से बनाई हुई अगर किसानों को पहुंचावें तो खाद्यान्न की समस्या अच्छी तरह से हल हो सकती है। इससे सबका भला होगा।

बजट में कहा गया है कि इलाहाबाद में ४ बड़े कारखाने उद्योग के खुलने जा रहे हैं, सरकारी क्षेत्र में। इसके जरिये करीब १६, १७ गांवों को उजाड़ा जा रहा है। उनकी मार्केट वैल्यू पर मुआवजा देने का प्रबन्ध होना चाहिये। इस जनतंत्रीय सरकार का कर्तव्य है कि उनके बसाने का इन्तजाम करे। इलाहाबाद में जो जमुना बैंक है उसकी स्कीम बड़ी पुरानी पड़ी हुई है, उसे चौथे प्लान में सरकार ले। वहां टी० बी० अस्पताल का बहुत बड़ा विंग, करीब ५० बेड्स का, दो साल से खाली है। उसकी साज सज्जा का पूरा इन्तजाम किया जाय।

इन शब्दों के साथ में प्रस्तुत बजट का समर्थन करती हूं।

*श्री रामकिशोर वर्मा (जिला फतेहपुर)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, अगर इस बजट का विश्लेषण किया जाय, तो ऐसा प्रतीत होता है कि यह बजट हमारे राज्य कर्मचारियों का, उनके कार्यालयों का और उनकी अन्य सुख सुविधाओं का ही है। जिन भावनाओं का बजट में समावेश होना चाहिये था और इस प्रदेश के हजारों गांवों को जो झलक मिलनी चाहिये थी उसकी पूर्ण रूप से उपेक्षा की गई है। ऐसा प्रतीत होता है कि यह बजट केवल शहरी क्षेत्रों के लिये बनाया गया है। अगर इसे और गौर से देखा जाय तो इसमें कुछ मंत्रियों के क्षेत्रों और पूर्वी तथा पश्चिमी जिलों को ही सुविधा देने की बात है। इसी को लेकर इसकी रचना की गई है।

मान्यवर, बजट में प्रदेश की जनता की बड़ी आशायें होती हैं। बजट में हर व्यक्ति की सुख-सुविधा का ध्यान होना चाहिये। आज राज्य कर्मचारियों का वेतन बढ़ता चला जा रहा है और बढ़ाया भी जाना चाहिये। खुशी इस पर जाहिर की गई है कि बजट में कोई विशेष घाटा नहीं दिखाया गया है और सामान्यतः यह बजट ऐसा है जिसे बहुत अच्छा समझा जा रहा है गत वर्षों की अपेक्षा।

यह सर्वविदित बात है कि बजट में आमदनी की आवश्यकता होती है। यह सही है कि इसमें नया टैक्स नहीं है। लेकिन इसका एकमात्र कारण यही है कि पिछले महीनों में हमारे प्रदेश में बहुत से टैक्स लगाये गये। किसानों पर आपातिक सवाया के रूप में लगाया, भूमि-भवन कर लगाया और मोटर का किराया बढ़ाया। यह सारा पैसा किसानों पर पड़ता है। बजट के देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि किसानों के लिये कोई कार्य नहीं किया गया है। सामान्यतया वही विकास खंडों की रचना, उनके कर्मचारियों की बढ़ोत्तरी, वेतन-भत्ता और दूसरी तरह की सुविधायें हैं। पिछले बजट में घोषणा की गई थी कि सारे विकास खंडों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जावेंगे। दवाओं का बजट आया, डाक्टरों की सुविधायें कम नहीं की गई और दवाओं के पैसे का बहुत अपव्यय हो रहा है। अगर आप डाक्टर नहीं दे सकते हैं तो दवा देने का अर्थ नहीं रह जाता है। एक-एक पैसा जनता की गाढ़ी कमाई का आता है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रामकिशोर वर्मा]

सड़कों को देख लीजिये। २१० मील लम्बी सड़कें बजट में रखी गईं। यह कहा गया कि सारे जिलों को जन संख्या और क्षेत्रफल के आधार पर सड़कें दी जावेंगी लेकिन जिन जिलों में पहले से ही अधिक सड़कें हैं वहां और अधिक दी गईं, जैसे आगरा। उसका कारण यह है कि मंत्री जी उस जिले के रहने वाले हैं। हरदोई, फतेहपुर, उन्नाव इत्यादि जिलों को उनके अनुपात से सड़कें नहीं मिली हैं। किसान के पैसे से एक मंत्री विशेष अपने क्षेत्र का भला कर लें, इससे जनता का मनोबल गिरता है। जैसा सब ने कहा, राज्य कर्मचारियों के ऊपर सरकार का अंकुश नहीं है।

हमारे एक फतेहपुर के साथी ने एक जिलाधीश की बड़ी शिकायत की। मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि संबंधित जिलाधीश का रवैया बहुत दुखदायी और जनतंत्र को तोड़ने मरोड़ने वाला रहा है। सन् ६७ के कांग्रेस के टिकट उन्होंने पहले ही से बांट दिये हैं, विधायकों को और वहां के जिला परिषद् के अध्यक्ष को। उनका ट्रांसफर हुआ और कैंसिल हुआ। उससे जातपांत को बढ़ावा मिला है, दलबन्दी हुई है, लोगों की सुरक्षा व्यवस्था में ढिलाई हुई है। जन प्रतिनिधियों का महत्व घटा है। जिन मुख्य मंत्री के जमाने में ऐसा होता हो, वह जनतंत्र का गला घोंटने वाला है। यदि ऐसा नहीं है तो माननीय मुख्य मंत्री को उस जिलाधीश का तुरन्त स्थानान्तरण करना चाहिये।

उसको वहां रखा क्यों गया? जिले में मंत्री जी का दौरा होने वाला था उसने कह दिया कि हम सुरक्षा फंड में रुपया दिलायेंगे। भला एक पिछड़ा हुआ जिला, वहां अस्पतालों और सड़कों की कोई सुविधा नहीं, वहां से ९ लाख रुपया इकट्ठा किया गया। यह रुपया किस प्रकार से वसूल किया गया? वहां पर जो बंजर भूमि पड़ी हुई थी उसके लिये लेखपाल से कह दिया कि इसको लगान पर उठा दो। उस का कागजात में कोई इन्दराज नहीं है और वह रुपया सुरक्षा कोष में दे दिया गया इसके अतिरिक्त कलेक्ट्रेट की तरफ से एक नाटक किया गया। उसका तो बहाना था, छोटे-छोटे कर्मचारियों से चन्दा लेकर उसके रुपयों को दिखा कर सुरक्षा कोष में दिया गया। इस तरह से वहां पर बड़ी भारी अराजकता फैली हुई है।

हमारा प्रदेश किसानों का प्रदेश है। किसानों के सुख सुविधा का खयाल सबसे पहले किया जाना चाहिये। उन पर जो २५ प्रतिशत का टैक्स लगाया गया है उसको तुरन्त समाप्त किया जाना चाहिये। इसके अलावा जो भी टैक्स लगते हैं वे भी सब किसानों पर पड़ते हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से।

आप स्कूल बढ़ाने जा रहे हैं लेकिन जो स्कूल छप्परों के और पेड़ों के नीचे लगते हैं उनके भवन बनवाने का कोई प्रबन्ध नहीं किया जा रहा है। पुराने स्कूलों के लिये भवनों का प्रबन्ध किया जाना चाहिये। सिंचाई का भी प्रबन्ध किया जा रहा है लेकिन जिला फतेहपुर में १५–१६ सालों में एक भी नलकूप नहीं लगाया गया। वहां की भूमि उंची नीची है, उसको समतल करने का कोई प्रबन्ध नहीं किया गया है।

*श्री सत्यवीर कुंवर (जिला बिजनौर)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं २६ तारीख से बराबर इस बजट पर बोलने के लिये खड़ा होता रहा लेकिन आज ही मुझे अवसर मिल पाया, उसके लिये मैं आपको धन्यवाद देता हूं। श्रीमन्, माननीय वित्त मंत्री जी ने जो ६६–६७ का बजट सम्मानित सदन के सामने पेश किया है, मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। श्रीमन्, यह बजट एक बड़ा बैलेन्स्ड बजट है। इसमें केवल ३१ लाख का घाटा है। एक और विशेष बात यह है कि इसमें कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया है। जिस समय यह बजट बनाया गया था उस समय प्रदेश में भयंकर सूखा था और पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ था उसका भार प्रदेश पर था। इसके लिये माननीय वित्त मंत्री जी प्रशंसा के पात्र हैं। पिछले वर्ष जब माननीय वित्त मंत्री जी ने बजट प्रस्तुत किया था तो

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उसमें साढ़े १४ करोड़ का घाटा था और उसमें अनेक कर लगाये गये थे और लैंड रेवेन्यू में भी २५ प्रतिशत की वृद्धि की गयी थी। उसके फलस्वरूप तथा केन्द्र के करों के हिस्से के फलस्वरूप हमारी आय में लगभग ३२ करोड़ ६६ लाख की वृद्धि होगी और प्रशासन में तथा कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स में जो भारी कटौती की गई है उससे साढे ७ करोड़ की बचत होगी। इस प्रकार से हमारे प्रदेश की आर्थिक व्यवस्था चौथी पंचवर्षीय योजना को चालू करने में एक सुदृढ़ स्थान लेने जा रही है। इसके लिये माननीया मुख्य मंत्री धन्यवाद की पात्र हैं।

माननीय वित्त मंत्री जी ने अपने इस बजट में कृषि, परिवार नियोजन, बिजली तथा सिंचाई पर विशेष बल दिया है। मैं स्वयं किसान हूं और मुझे आश्चर्य होता है कि यह गंगा और यमुना का प्रदेश जो जलवायु और प्राकृतिक साधनों के लिये सारे भारत में अपना एक उच्च स्थान रखता है तो क्या कारण है कि हमारे प्रदेश में उपज पंजाब, राजस्थान तथा अन्य सूबों के मुकाबले में गिर रही है। जहां तक बिजली का सवाल है हमारे यहां ७८ मेगावाट से ५९० और अब वह ८९९.६५ मेगावाट होने जा रही है। हमारे यहां और बड़ी बड़ी योजनायें बनाने की योजना है, गंडक और रामगंगा योजना का काम हम करने जा रहे हैं। हमारे यहां सिंचित क्षेत्र भी बढ़ा है। सन् ६०-६१ में जो १७८.२३ लाख एकड़ था वह चौथी पंचवर्षीय योजना में ४०० लाख एकड़ तक पहुंचने की आशा है और इस तरह से काफी प्रगति प्रदेश अगली पंचवर्षीय योजना में कर सकेगा। इतना होते हुये भी यदि हम अन्य प्रदेशों में यहां की उपज का मुकाबला करें तो वह कम है, गेंहूं यहां ७१२ पौंड प्रति एकड़, पंजाब में ९५९ पौंड, राजस्थान में ७८८ पौंड और धान इस प्रदेश में ६५५ पौंड, पंजाब में ८२७, राजस्थान में ९७० पौंड, आंध्र में १११९ पौंड, मदरास में १२९३ पौंड। इसी तरह से गन्ने की भी ऐसी ही स्थिति है। इस से यह प्रतीत होता है कि हमारी उपज बराबर गिर रही है।

मान्यवर, हमें विचार करना होगा कि ऐसा क्यों है। जब तक हमारी प्रति एकड़ पैदावार नहीं बढ़ेगी तब तक यह प्रदेश आत्म निर्भर नहीं हो सकता। मैं भी किसान हूं और मैं जानता हूं कि कौन कारण है कि किसान यहां का प्रगति नहीं कर सका है। हमारे यहां कभी इस बात की कोशिश नहीं की गई कि कोई न्याय पंचायत वाइज या ब्लाक वाइज नक्शा तैयार किया जाता कि कहां-कहां कितनी उपज हुई है और अगर कम हुई है तो उस के लिये कौन जिम्मेदार है और उसके कारण क्या हैं। आप के ब्लाक्स हैं, एक्सटेंशन सर्विसेज हैं, ब्लाक हैं न्याय पंचायतों के क्षेत्र हैं वहां पर ए० डी० ओज० हैं बी० डी० ओज० हैं वी० एल० डब्लू० हैं, इन के द्वारा हमें देखना होगा कि अपने अपने क्षेत्रों में उन्होंने कहां तक कृषि के संबंध में एक वैज्ञानिक आउटलुक दिया है। मैं समझता हूं इस दिशा में तो उन्हें जिम्मेदार ठहराया गया है अपने अपने क्षेत्र में और न अभी वह किसानों को इस तरह का आउटलुक दे सके हैं। वह इस तरह से साधन और सहायता देने में असफल रहे हैं। अतः मेरा निवेदन है कि प्रति न्याय पंचायत के स्तर पर आंकड़े और नक्शे तैयार किये जायं और वहां पर उपज के ब्योरे को यह आपके अधिकारी रखें और देखा जाय कि प्रतिवर्ष कितनी प्रगति हुई परन्तु इसकी भी सतर्कता बरती जाय कि वह आंकड़े फर्जी न हों। मैं चाहूंगा कि उनकी प्रगति के अनुसार ही तरक्की दी जाय। केवल यही एक तरीका है जिससे हमारा प्रोग्राम सफल हो सकता है।

किसान अब जागृत है और वह हर सही चीज को समझने लगा है, वह खाद और पानी व अच्छे बीज के प्रभाव को समझने लगा है। जो चर्मकार अभी तक समझने लगे थे कि चमड़े का काम खराब है वह अब फिर इस बात को समझने के लिये मजबूर हो गया है कि उसका हित उसी काम में है। वे चर्म यूनियन बनाने को तैयार हैं। आज के बुनकर अपनी यूनियनें बनाने को तैयार हैं वे, २-२ वर्ष चक्कर काटते फिरते हैं लेकिन उन्हें मान्यता प्राप्त नहीं होती है। किसान पूंजी चाहता है लेकिन उसे आज पूंजी नहीं मिलती है। पूंजी के अभाव में वह किसान आपके कोआपरेटिव सुपरवाइजर के पास जाता है, ए० डी० ओज के पास जाता है, लैंड मार्गेज इन्सपेक्टर के पास जाता है लेकिन वे उसे धुतकारते हैं। हमारे माननीय मंत्री जी रबी अभियान करने जा रहे हैं और कृषि की उन्नति के लिये जोर देते रहते हैं। हमने डबल क्रौपिंग भी किया है और

[श्री सत्यवीर कुंवर]

आलू भी लगाये लेकिन पानी देने की कोई व्यवस्था नहीं की गयी है। आज किसान को ३ चीजों की आवश्यकता है, एक तो पूंजी, दूसरा खाद और तीसरा पानी, लेकिन इन तीनों में हमें मदद नहीं मिली। इसीलिये आज हमारी पैदावार गिर रही है।

श्रीमन्, जहां तक उद्योग का संबंध है, उसमें भी हमारे प्रदेश ने उन्नति की है और इसके लिये विशेषकर ४२१ लाख रुपया बड़ी इन्डस्ट्रीज में और २०० लाख छोटी और मध्यम इन्डस्ट्री में लगाने का विचार है लेकिन जो छोटी-मोटी इन्डस्ट्रीज हैं, जो कोटेज इन्डस्ट्रीज हैं वे सब की सब अव्यवस्थित हैं, उनकी ठीक ढंग से कोई मदद नहीं मिल पाती है। यही कारण है कि आज हमारा उत्पादन दिन प्रति दिन कम हो रहा है लेकिन मैं निवेदन करूंगा कि आज का उत्तर प्रदेश का किसान जो है उसकी अर्थ-व्यवस्था अत्यन्त शोचनीय स्थिति पर पहुंच गयी है।

कृषि में भी हमने एक नया मोड़ लिया है। हमें हताश नहीं होना चाहिये लेकिन मैं निवेदन करूंगा कि हमारे जो ब्लाक में संबंधित अधिकारी हैं उन्हें जितने भी हमारे प्रोग्राम हों, उनको इम्प्लीमेंट करना चाहिये। मेरे विचार में उनकी तरक्की इस बात पर आधारित होनी चाहिये कि उन्होंने कितना गल्ला पैदा करवाया, कितनी इन्डस्ट्रीज उन्होंने अपने इलाके में खुलवायी। जब तक कोई पनिशमेंट या उत्तरदायित्व उन पर नहीं सौंपा जायगा मेरे विचार से प्रदेश तरक्की नहीं कर सकता है।

श्री अधिष्ठाता--

अब आपका समय समाप्त हो गया।

श्री होरीलाल यादव (जिला इटावा)--

अधिष्ठाता महोदय, अभी बजट पर भाषण करते हुये माननीय नवल किशोर जी ने वित्त मंत्री जी को बधाई दी। मेरे भी दिल में था कि मैं भी उनके साथ वित्त मंत्री को बधाई देता परन्तु बधाई देने की एक शर्त थी कि इस बजट को चाहे ३१ लाख के घाटे के बजाय करोड़ों रुपये के घाटे का लाते लेकिन जो आपातिक कर किसान पर लगाया गया था उसको उससे मुक्ति करते। अगर यह चुनाव का साल न होता और यह बजट ३१ लाख के घाटे का ही प्रस्तुत होता तो भी मैं बधाई देता परन्तु चुनाव का साल होने के कारण जनता को भ्रम में डालने की कोशिश की गयी है। साथ ही साथ इसमें यह भी गारन्टी नहीं दी है कि अगले वर्ष में, इस बजट के दौरान में, कोई भी कर नहीं लग सकेगा तब भी मैं शायद इस पर विचार करता कि उनको बधाई दी जाय।

मान्यवर, इस घाटे के बजट को पेश करते समय हर बार यह कहा गया कि घाटे को हम पूरा करेंगे मितव्ययता करके, शासन के खर्चे में कमी कर के, बकाया करों की हम उगाही कर के और करों को जो छिपाया जाता है उसमें तेजी ला कर के इस घाटे को पूरा करेंगे। परन्तु नतीजा हर बार क्या निकला? यह कि करों की ठीक तरह से वसूली नहीं की गई। कर वसूली जो होती है वह बड़े बड़े व्यक्तियों पर सख्ती कर के नहीं होती है बल्कि छोटे छोटे दूकानदारों से, काश्तकारों से बड़ी बेरहमी के साथ वसूली कर ली जाती है। मैं एक मिसाल पेश करना चाहता हूं। हमारे कन्नौज म्युनिसिपैलिटी के चेयरमैन पर करीब ५०, ६० हजार रुपया बकाया है और इसी सदन में मंत्री जी ने कई बार कहा कि अगर वह इतनी रकम निश्चित समय तक अदा नहीं कर देंगे तो उन्हें स्टे आर्डर नहीं दिया जायगा। परन्तु मुझे अच्छी तरह से मालूम है कि उन्होंने कोई रुपया आज तक अदा नहीं किया है और मंत्री जी ने इस पर भी स्टे आर्डर दे दिया। आज तक वह सुरक्षित हैं, और यह इसलिए है कि वे शासक दल के बहुत बड़े समर्थक हैं। अगर यह तरीका इस्तेमाल किया जायगा कि शासक दल के समर्थकों से तो करों की वसूली न की जाय और जो समर्थक नहीं हैं उनसे जोर जुल्म से करों की वसूली की जायगी तो इस तरह शासन की बेहबूदी नहीं हो सकती है, इस तरह के कार्यों से पक्षपात पूर्णतया साबित होता है।

मान्यवर, मैं मानता हूं कि कोई भी सरकार बिना करों के लगाये चल नहीं सकती है और देश व प्रदेश को बनाना है, विकास योजनाओं को चलाना है तो टैक्स लगेंगे। परन्तु टैक्स उन लोगों से लेना चाहिये जिनमें टैक्स देने की क्षमता है और टैक्स का जो प्रतिफल होना चाहिये, जो फल निकलना चाहिए उस का सब में समान बटवारा होना चाहिये। परन्तु टैक्स तो गरीब से गरीब आदमी पर लगता है लेकिन उस का फल कुछ आदमियों के पास जाता है। प्रदेश और देश में गरीब गरीब होता चला जा रहा है और अमीर अमीर होता चला जा रहा है, ऐसी हालत में देश और प्रदेश की तरक्की नहीं हो सकती।

आप जानते हैं मान्यवर, हमारा प्रदेश कृषि प्रधान है और ८० फीसदी लोग यहां के खेती-बारी पर मुनहसिर करते हैं। १८ वर्षों से कांग्रेस का शासन है फिर भी हमारा प्रदेश खाद्य के मामले में भुखमरी की हालत में है। करोड़ों रुपया कृषि सुधार के लिये खर्च किया गया, बहुत से विकास योजनायें इस दिशा में चलाई गयीं फिर भी प्रदेश की पैदावार जहां थी, जो हालत पहले थी वह हालत चली आ रही है, उसमें कोई तबदीली दिखाई नहीं देती है। इसके कारण साफ हैं। भूमि सुधार के सिलसिले में जो हमने कार्यवाही की, जनता को भ्रम में डालने के लिये भूमि बंटवारे का सवाल हमने सामने रखा, हमारे माननीय शरण जी ने कहा कि सीलिंग निर्धारित कर के पैदावार को हमने रोक दिया है। मान्यवर, मुझे मालूम है कि शरण जी भी एक ऐसे काश्तकार हैं, जो चांदनी रात में खेती करते हैं, और प्रान्त का जो साधारण किसान है वह सभी रातों में खेती करता है, यानी उसे कठिनाइयों का सामना करके खेती करनी पड़ती है उन्हें इस बात का ज्ञान नहीं है कि सीलिंग कर देने से पैदावार में कमी नहीं पड़ती है। सीलिंग तो नाम मात्र की हुई है, उससे न जमीन निकली है और न किसी गरीब आदमी को जमीन मिली है। मैं उनसे यह कहना चाहता हूं कि अगर प्रदेश की पैदावार को बढ़ाना चाहते हैं तो फिर किसान पर से जो कर का बोझ है, आपातिक अधिभार है उसे उन्हें हटाना पड़ेगा, भूमि सुधार करना पड़ेगा और यह नियम बनाना पड़ेगा कि जमीन का मालिक वही हो सकता है जो जमीन को अपने हाथ से जोतता और बोता है, वही जमीन का मालिक बन सकता है। मान्यवर, इसके लिये सिंचाई का इंतजाम करना पड़ेगा।

श्री नवल किशोर जी ने कहा कि नदियों में पानी नहीं रहा और इरीगेटेड रकबा बढ़ गया, उन को यह रहस्य समझ में नहीं आया। मैं उन को इस रहस्य को बतलाना चाहता हूं। सिंचाई का यह नियम है कि झील का रकबा जिसमें मेड़ बन्दी नहीं होती यदि उसमें थोड़े से भी भाग में पानी जाने से झील का पूरा रकबा सिंचित कर लिया जाता है चाहे उस सब में सिंचाई न हो पाई हो। मेरा निवेदन है कि सिंचाई की दर कम होनी चाहिए और जो छोटे-छोटे काश्तकार हैं उन पर सिंचाई की दर माफी होनी चाहिए। जब तक उन पर लगान नहीं हटा दिया जायगा, तब तक इस प्रदेश की तरक्की नहीं हो सकती है।

एक बात मैं यह भी बतलाना चाहता हूं कि हमारा प्रान्त चाहे विकास में सब से पीछे हो—जो है, वह रजिस्टर्ड गुंडों के नाम से देश में प्रथम नम्बर पर है। यहां की पुलिस जो है रजिस्टर्ट गुंडों के बल पर जिन्दा को कत्ल किया हुआ बतलाती है, जेलखाने में बन्द आदमी को डकैती में शामिल बतलाती है और १६, १६ आदमी दिन दहाड़े एटा जिले में कत्ल किये जा रहे हैं। पुलिस रक्षक नहीं भक्षक का काम कर रही है। शमशाबाद थाने के अन्तर्गत नगला सेठ में पुलिस के दरोगा ने मिल कर डकैती डलवाई और सुल्तान सिंह पर मिट्टी के तेल को डाल कर उसे जिन्दा जलवा दिया गया। जिलाधीश से बात की तो उन्होंने स्वीकार किया कि उन्हें भी शक है कि उस दरोगा की इस वारदात में साजिश है लेकिन उसे सस्पेंड नहीं किया गया।

श्री अधिष्ठाता—

आपका समय समाप्त।

(श्री वीरसेन का नाम पुकारे जाने पर)

श्री रामभजन (जिला खीरी)—

अधिष्ठाता महोदय, मुझे नम्रता से यह निवेदन करना है कि उधर के सदस्य कम हैं और इधर के सदस्य ज्यादा हैं और सभी माननीय सदस्य अपने अपने विचार प्रकट करना चाहते हैं। ऐसा करिये कि हमको भी बोलने का मौका मिले।

श्री अधिष्ठाता—

आप बैठिये। अपोजीशन को मौका दिया ही जाता है।

*श्री वीरसेन (जिला मेरठ)—

अधिष्ठाता महोदय, जहां माननीय वित्त मंत्री को रस्म के मुताबिक धन्यवाद देता हूं विशेषकर उस हालत में जब कि उन की तबियत ठीक नहीं थी तब भी उन्होंने बजट पेश किया लेकिन उसके साथ में एक बात अर्ज करना चाहता हूं कि गवर्नमेन्ट के मेम्बर जो इस सदन में बैठते हैं उनमें से दो ही मेम्बर्स ऐसे दिखाई देते हैं जो सदन की कार्यवाही में दिलचस्पी रखते हैं या दूसरे तरीके से कहा जाय कि शायद दो मिनिस्टर्स ऐसे हैं जो निकम्मे हैं, जिनको कोई काम नहीं है और जो सदन में बैठे रहते हैं—एक नेगी जी और दूसरे राममूर्ति जी। शायद दूसरा मिनिस्टर अवेलेबिल ही नहीं है जिससे इन दोनों मिनिस्टर्स को बिठा दिया जाता है। मैं इस बात की शिकायत करना चाहता हूं कि बजट जैसी चीज पर सदस्य किसी भी महकमे से सम्बन्धित बात पर बोल सकते हैं उस समय एक दो मिनिस्टर्स का सदन में बैठना शिकायत की बात है। इस मौके पर हर मिनिस्टर को चाहिये कि सदन में बैठें और उन बातों को सुनें जो माननीय सदस्य उनके विभाग के संबंध में कहें।

अधिष्ठाता महोदय, इस सदन में डेमोक्रेसी के सिद्धान्त के मुताबिक विरोधी दलों के सदस्यों का काम विशेष तौर पर आलोचना करने का है और साथ ही समर्थन सरकारी पक्ष के लोग अक्सर करते रहते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि अगर कोई दोष सरकारी एडमिनिस्ट्रेशन में नजर आये तो इस तरफ के बैठने वाले लोगों के लिये प्रतिबंध है कि उधर ध्यान दिलाये। पिछले दिनों में ऐसे सदस्य जो गवर्नमेन्ट में रह चुके हैं उन्होंने इस सदन में सरकारी काम के बारे में नुक्ताचीनी की और मुझे अफसोस है कि सरकार ने और उनके प्रमुख लोगों ने उस नुक्ताचीनी को अच्छी निगाह से नहीं देखा और जिस तरह से उसे रिसीव करना चाहिये था नहीं किया बल्कि एक चिढ़ के साथ उनको एक्सेप्ट किया और कहा कि विरोधी दल के लोगों की आलोचना तो हमें बर्दाश्त है लेकिन घर के लोगों की आलोचना बर्दाश्त नहीं है।

एक बात यह अर्ज करना चाहता हूं और वह यह है कि यह कोई अजीब बात नहीं है कि जो सरकार से बाहर निकल जायं तो वह सरकार की नुक्ताचीनी करें और मैं समझता हूं कि वह स्वाभाविक है। इस सदन में मुझे १४ साल से अनुभव है कि जो मिनिस्टर बाहर आये उन्होंने सरकार की नुक्ताचीनी की। कुछ सरकारी लोगों ने उसे पसन्द किया लेकिन अधिकतर लोगों को उससे एक चिढ़ पैदा हुई। मैं एक बात समझता हूं कि जब गवर्नमेन्ट में कोई आदमी होता है तो उसके दो दृष्टिकोण होते हैं। कोई मिनिस्टर होता है तो यहां पर जब वह बोलता है तो वह अपनी बात नहीं कहता है बल्कि ज्वाइंट रिस्पौंसिबिलिटी का जो सिद्धान्त है, जो कैबिनेट का फैसला हुआ है, उस बात को वह कहता है। लेकिन उसकी पर्सोनेलिटी उससे अलग भी होती है। जो इस कतार में बैठने वाले लोग हैं उनके सामने बहुत से ऐसे मौके आते होंगे जब वे केबिनेट के किसी फैसले से एग्रीन करते हों तो भी उसका समर्थन करते हैं और जोरदार समर्थन करते हैं जब कि उसको वे अपने मन से पसन्द नहीं करते हैं। गवर्नमेन्ट के मेम्बरों की पोजीशन डिफरेंट है, दूसरी बात यह है कि गवर्नमेंट के मेम्बरों के सामने जो दृष्टिकोण आता है, वह पर्दे में छन कर जैसा ब्योरौक्रेसी नक्शा पेश करती है, वह आता है। उस दशा में अगर गवर्नमेंट के लोग सपोर्ट करते हैं तो वह स्वाभाविक बात है क्योंकि जो उनके सामने तस्वीर रखी जाती है उसी की

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उनको जानकारी होती है। लेकिन जो मेम्बर सरकार से बाहर निकल आते हैं उनके बारे में मैं जानता हूं कि बाहर भी देखते हैं और अन्दर भी देखते हैं और उनका जनता से फिर से सीधा सम्पर्क स्थापित हो जाता है। इसलिये सही तस्वीर उनके बाहर आने पर सामने आती है। अगर उस तस्वीर को वे सदन के सामने रखना चाहते हैं तो मैं समझता हूं कि वह कोई पाप नहीं करते हैं और मैं समझता हूं कि सरकारी आदमियों को वजन देना चाहिये और उसे एक्सेप्ट करना चाहिये और चिढ़ के साथ जवाब नहीं देना चाहिये।

अब मैं बजट के संबंध में अर्ज करना चाहूंगा कि जब बजट आता है तो साल भर का नक्शा पेश करता है और आगे के लिये भी पिछले अर्से में क्या किया और आगे क्या करना है उसकी एक दिशा का प्रदर्शन करता है। लेकिन इस बजट में इसका कोई जिक्र नहीं है। पिछली बजट स्पीचेज में और गवर्नर महोदय की स्पीचेज में इसकी चर्चा होती थी कि वेलफेयर स्टेट करना चाहते हैं। फिर कोआपरेटिव कामनवेल्थ की चर्चा और उसके बाद सोशिलस्टिक पैटर्न आफ सोसाइटी की चर्चा हुई। लेकिन न तो गवर्नर के ऐड्रेस में और न बजट स्पीच में कोई चर्चा है कि इतना रुपया खर्च कर रहे हैं और स्टेट को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं। मैं महसूस करता हूं कि यह बजट विदाउट डायरेक्शन है।

एक बात प्रायोरिटी प्लानिंग के बारे में नजर आती है। मैं मिसाल देकर समझाना चाहता हूं कि जाड़े के दिनों में किसी गरीब आदमी की रजाई में ४, ५ घुसे हुये हैं। रजाई छोटी पड़ती है। एक तरफ खींचते हैं तो दूसरी तरफ उघड़ जाती है। यही हालत प्लानिंग की है। यही पालिसी गवर्नमेन्ट की शुरू से आखिर तक रही। जब कभी अनाज ज्यादा कम हुआ तो ऐग्रीकल्चर का जोर हो जाता है, फर्टिलाइजर्स लाओ, पानी लाओ, चाहे पहुंचता न हो। लेकिन अगर एग्रीकल्चर की तरफ रजाई खींच देते हैं तो इंडस्ट्री उघड़ जाती है। पहले कहा बेसिक इंडस्ट्रीज कायम करो, फिर कहा कि अनाज होना चाहिए, फिर कहने लगे कि स्माल स्केल इंडस्ट्री चलना चाहिए। प्लानिंग का मतलब यह नहीं है कि एक तरफ रजाई खींच दी जाय और दूसरी तरफ उघड़ जाय। प्लान बना देंगे कि एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन बढ़े और खर्च करेंगे स्टेडियम के बनाने में। तो क्या प्रायरिटी हो यह देखना चाहिये। क्योंकि समय बहुत कम है इसलिये थोड़े में कहूंगा। हम प्लानिंग के द्वारा देश की गरीबी को दूर करना चाहते हैं, सोशलिस्टिक सोसाइटी पैदा करना चाहते हैं। लेकिन हाल यह है कि ईंटें दस हैं और उनको चुनने वाले हजार हैं। सब्जी, रोटी आटा कम है और रसोइये ही रसोइये घूम रहे हैं। सारे बजट का मेजर पोर्शन एस्टेब्लिशमेंट पर खर्च हो जाता है नेशन बिल्डिंग के काम पर कम खर्च होता है। तो यह देश कैसे चलेगा? फिर काम करने वालों, मैसन्स की तादाद कम है और उनके ऊपर देखभाल करने वालों की तादाद बढ़ती चली जा रही है। इस तरीके से आप देखें कि गवर्नमेन्ट में जितनी अफसरों की भरमार है उतनी काम करने वालों की नहीं है।

इकानमी का यह हाल है। राममूर्ति जी बैठे हुए हैं। एक बात सुनाना चाहता हूं, हालांकि वह है पुरानी। इकानामी मेजर में एक दफा एक न्यूज निकली—जाने सीतापुर जिले की है। रेकार्ड रूम की हिफाजत के लिए चूहे बहुत हो गये थे, एक बिल्ली पाली गयी। तीन रुपये महीने का अलाउन्स दिया गया। जब इकानामी हुई तो नजर जा कर बिल्ली के अलाउन्स पर पड़ी। तो इस तरह से इकानामी का यह नजरिया है। तो मैं कहना चाहता था कि सोशलिस्ट सोसाइटी हम बनाना चाहते हैं। उसकी तरफ डिरेक्शन होना चाहिए। इस बजट में कोई चीज नजर नहीं आती। मीन्स आफ प्रोडक्शन पर कंट्रोल होना चाहिए। पुराने जमाने से वही चीज चली आ रही है। जब मैं असेम्बली में आया था तब भी यही चर्चा थी चुर्क सीमेन्ट फैक्टरी, प्रेसिजन इंस्ट्रूमेंट फैक्टरी की। अब का दफा एक इंडस्ट्री और लगाने का इरादा किया है, वह है प्लानिंग कंट्रेसेप्टिव डेवाइस बनाने की फैक्टरी। मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह इस साल के बजट में इस तरह से मीन्स आफ प्रोडक्शन में कन्ट्रोल होने वाला है। आप किसी इंडस्ट्री को हाथ में लेने वाले नहीं हैं, आप किसी इंडस्ट्री को खराब हाथों से अपने हाथों में लेकर सुधारने को तैयार नहीं हैं आप उनको कोई प्रोत्साहन देने के लिये

[श्री वीरसेन]

तैयार नहीं हैं और आप कहते हैं कि आप सोशलिस्टिक पैटर्न आफ सोसाइटी की स्थापना करेंगे। यह कैसी विडम्बना है आप की। टैक्सेशन का एक तरीका है, उसका सिद्धान्त है कि गरीबी अमीरी दूर करने के लिये उसका उपयोग किया जाए। लेकिन आप यह कहां कर रहे हैं, गांव के गरीब वर्ग के लोगों पर चार-चार प्रकार के टैक्स लगाये जाते हैं। सेन्ट्रल का टैक्स अलग, प्रदेश का टैक्स अलग, जिला परिषद् अपना इन्कम टैक्स लगाती है, जिसकी २४ रुपया आमदनी है, उस पर टैक्स लगाया जाता है और पचायत उन पर अपना टैक्स अलग लगाती है। जिसके पास जरा सा झोपड़ा है, उस पर भी टैक्स लगाया जाता है।

श्री अधिष्ठाता—

अब आप का समय समाप्त हो गया। आप बैठ जाइये।

श्री वीरसेन—

एक बात और कहना चाहता हूं कि अगर आपको एकोनामी करनी है तो हमें सारे के सारे साधनों पर जिनसे हम सोशलिस्टिक पैटर्न आफ सोसाइटी चला सकते हैं, गौर करना चाहिये।

श्री अवैद्यनाथ (जिला गोरखपुर)—

अधिष्ठाता महोदय, मैंने वित्त मंत्री जी के बजट भाषण को पढ़ा है। इस बजट में मुझे २–३ दिनों से जो दृश्य यहां पर दिखाई दिये उससे यह प्रतीत होता है कि जो काम हमें करना चाहिये था, वह कांग्रेसी बैंचेज से हो रहा है। मैं यह समझ नहीं पाता कि पिछले चार वर्षों में जो कांग्रेस वाले बजट का समर्थन करते थकते नहीं थे, वह लोग आज इस बजट का विरोध क्यों कर रहे हैं? केवल आने वाला एलेक्शन इस बजट का विरोध उनसे करवा रहा है।

दूसरी बात जो इस बजट में विशेषतः दिखाई दी—वह यह है कि इसमें कोई कर नहीं लगाया गया, यह आम चर्चा है, लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि अब आप आखिर कर किस पर लगायेंगे। काश्तकार पर तो आप कर लगा चुके हैं। आपके आंकड़े यह बता रहे हैं कि आप का प्रोडक्शन कम हो रहा है, लेकिन आपने उसी वर्ग पर सवाई लगान बढ़ाया है। आप ने इस बजट को पेश करते हुये इस बात का ध्यान नहीं रखा कि जहां आप इस बात को देख रहे हैं कि पैदावार कम हो रही है, वहां आप यह भी कहें कि जिस वर्ग की उससे आमदनी कम हो रही है, जिस तबके की हालत खराब हो रही है, उसका हम लगान कम कर रहे हैं। यदि आप ऐसा करके दिखाते तो मैं भी आप को धन्यवाद देता।

२ अरब ९२ करोड़ का लम्बा, चौड़ा, भारी, विशाल हमारा बजट है, लेकिन दूसरी तरफ जब हम सुदूर देहातों की तरफ जाते हैं, तो आज भी हम वही हालत वहां के निवासियों की पाते हैं। उसे आज भी उसी ऊबड़-खाबड़ रास्ते से गुजरना पड़ता है। आज भी हमें दिखाई पड़ता है कि जाड़े की चिलचिलाती रातों में वह बिना ओढ़ने के रात बिताता है। आज भी हम देखते हैं कि झोपड़ों में पैदा होने वाले प्रतिभाशाली लड़के, सहायता के अभाव में अपना विकास नहीं कर पाते हैं, उनका विकास मुरझा जाता है।

स्वास्थ्य की दृष्टि से जब हम देखते हैं, तो हम पाते हैं कि अब भी लोग दवा और डाक्टरों के अभाव में बेमौत मर रहे हैं। आपके आंकड़े तो केवल मात्र धोखे की टट्टी होते हैं, उन में जरा भी वास्तविकता नहीं होती है। मैं जानता हूं कि किस तरह से आपके आंकड़े ब्लाक में बैठ कर तैयार किये जाते हैं। न तो कोई खेत में जाता है, न कोई दूर गांव में जाता है, सब आप को प्रसन्न करने के लिये आप की पसन्द के आंकड़े तैयार कर दिये जाते हैं।

(इस समय २ बज कर ३० मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री होतीलाल अग्रवाल पीठासीन हुये।)

यदि आप के प्रदेश में उत्पादन बढ़ रहा है, तो फिर यह गरीबी कहां से बढ़ रही है। आज भी गांव के लोग गरीब और महा गरीब हैं। आपने शिक्षा के क्षेत्र में भी कोई तरक्की नहीं

को है। जब हम इस बजट को और पिछले वर्ष के बजट को देखते हैं तो यह पाते हैं कि पिछले वर्ष आपने अपना ध्यान दो मुख्य विषयों पर केन्द्रित किया था। एक रक्षा की ओर और दूसरे पैदावार की ओर। रक्षा की समस्या आपके सामने से आज ओझल गयी। हम भी प्रारम्भ से ही यह कह रहे थे कि "शठं प्रति शाठ्यं समाचरेत्" लेकिन आपने हमारी उस बात पर ध्यान नहीं दिया। हम १७ वर्ष तक चिल्लाते रहे किन्तु आप सत्य अहिंसा के मानने वाले कैसे शस्त्र उठा सकते थे। लेकिन जब आप अपमानित हुये तब विवश हो कर आपने हमारी बात मानकर शस्त्र को उठा लिया और तभी आप मान मर्दन भी कर सके। इसी तरह से हम कहते हैं कि यदि आप कृषि के संबंध में भी हमारी बात को मानें तो इस संकट से आप छुटकारा पा सकते हैं। आपने जितने भी कृषि के नियम बनाये हैं जितने भी कानून पास किये हैं वह पैदावार बढ़ाने के लिये नहीं हैं आप तो यह चाहते थे कि कौन से कानून से अधिक से अधिक वोट मिल सकते हैं वह किया जाय और इसी दृष्टि से आपने अपने कृषि कानूनों में परिवर्तन किये हैं। आपने सीलिंग का कानून पास किया है कि हम ३० एकड़ को खेती रखेंगे। उसके पश्चात् भी खेती निश्चित रूप से नहीं कर पाये क्योंकि अब उसको साढ़े १२ एकड़ पर लाना चाहते हैं और अब आप आवाज लगा रहे हैं कि सहकारिता होगी। आज कोई भी काश्तकार निश्चित नहीं है इसलिये कि वह समझता है कि उसकी खेती सुरक्षित नहीं है। आपके इस कानून से खेती की पैदावार नहीं बढ़ सकेगी। आपके बोगस आंकड़ों के कारण उनको संतोष नहीं होता।

सिंचाई की व्यवस्था को आप देख लीजिये। जहां पर आवश्यकता है वहां पर सिंचाई की व्यवस्था नहीं है। गोरखपुर की बात कहता हूं कि जहां पर चकबन्दी हो चुकी है वहां पर नहर ले जा रहे हैं। आपको इन नहरों से आपके उद्देश्य की पूर्ति नहीं होती लेकिन आपके इंजीनियर्स को तो अपना १५ परसेंट चाहिये। जहां पर प्लानिंग नहीं है वहां पर भी नहर निकलवा दो। केवल राजनीतिक आधार पर सुविधाएं दी जा रही हैं। यदि कोई मंत्री किसी स्थान का है तो वहां दूसरे जिले का एलाटमेंट हटा कर ले जाया जा रहा है। मैं गोरखपुर की बात बताऊं। वहां पर मेडिकल कालेज खोलने की अनुज्ञा पिछले वर्ष हुई थी लेकिन पता नहीं क्या रहस्य छिपा हुआ है कि जब से गेंदासिंह जी मिनिस्टर हुये हैं देवरिया के लिये प्रयत्न हो रहा है। अभी अभी डाइरेक्टर साहब गोरखपुर गये हुये थे और वह कह गये कि मेडिकल कालेज के लिये कुशीनगर उपयुक्त होगा। लेकिन मैं बता देना चाहता हूं कि यदि इस तरह की गद्दारी गोरखपुर के साथ की गयी तो गोरखपुर इसको सख्त विरोध करेगा। आपकी नीति आवश्यकता के अनुसार नहीं चल रही है राजनीतिक आधार पर चल रही है इसलिये जो खुशहाली आप चाहते हैं वह नहीं हो सकती है।

भ्रष्टाचार प्रदेश के अन्दर कितना बढ़ रहा है। मैं कहता हूं कि भ्रष्टाचार मिटाने के लिये संस्थायें बन रही हैं लेकिन आज कहीं भी जाइये, किसी से भी पूछ लीजिये, थाने में अपनी रिपोर्ट आप लिखाने जाते हैं कोई भी इस बात को स्वीकार करने के लिये तैयार नहीं है कि थाने में बिना पैसा रिपोर्ट लिखी जा सकती है। थाने में जब तक पैसा न दिया जाय तब तक रिपोर्ट नहीं लिखी जा सकती। कचहरी में न्याय बिक रहा है। जब तक रुपया न दीजिये तब तक निर्णय आपके पक्ष में हो नहीं सकता। हम एक किस्सा सुनते थे कि एक राजा के यहां एक आदमी घूस लेता था उसकी शिकायत हुई और यह कहा गया कि लहरें गिनने के लिये इसको भेज दिया जाय। लहर गिनने के लिये उसको भेज दिया गया। वहां भी उसने नाव वालों से कहा कि नाव रोको हमें राजा का आदेश लहर गिनने के लिये हुआ है। वहां भी घूस लेने लगा। इसी प्रकार आज कोई भी स्थान नहीं है जहां घूस न चलती हो। हम जानते थे कि एजूकेशन विभाग इस तरह का होगा कि वहां घूस नहीं होगी लेकिन आप प्राइमरी स्कूल में जाइये, पूछिये अभिभावकों से बिना रुपया लिये हुये वे लड़कों को सर्टीफिकेट नहीं देते हैं। जब कोई लड़का दर्जा ५ पास करता है और छठे में जाता है और सरटिफिकेट मांगता है तो उसको रुपया देना पड़ता है। आज कोई भी संस्था इस प्रकार की नहीं रह गई है, कोई

[श्री अवधनाथ]

विभाग इस प्रकार का नहीं रह गया है जहां पर भ्रष्टाचार न हो। इस प्रकार से भ्रष्टाचार आज समाज के रोम रोम में व्याप्त हो गया है। यह भ्रष्टाचार उसी तरह से है जैसे शरीर में खून होता है। उसी प्रकार से यह भ्रष्टाचार आज समाज के अन्दर व्याप्त हो गया है। सरकार उसकी जड़ को और मजबूत करती जा रही है। सरकार उसके लिये कुछ भी नहीं कर रही है।

(श्रीमती चम्पावती का नाम पुकारे जाने पर)

श्री एस० सी० दत्त (जिला कानपुर)--

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। यहां पर हर सदस्य का यह हक है कि उसको बोलने का टाइम दिया जाय। आपको यह देखना चाहिये कि दूसरे मेम्बर भी बोलना चाहते हैं। कुछ सदस्य गवर्नर साहब के एड्रेस पर बोल चुके हैं और अब फिर उनको मौका दिया जा रहा है।

श्री उपाध्यक्ष--

यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्रीमती चम्पावती (जिला आगरा)--

उपाध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्री महोदय ने जो बजट पेश किया है वह सराहनीय है। इसके कई एक पहलू, बहुत अच्छे हैं यद्यपि इसमें कुछ कमियां हैं जिनको दूर करना आवश्यक है। मान्यवर, बजट की सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें खेती और सिंचाई पर बल दिया गया है और उनके लिये काफी धनराशि रखी गई है। मान्यवर, उत्तर प्रदेश एक कृषि प्रधान प्रान्त है। यह हम सब का सौभाग्य है कि गंगा जमुना का यह प्रदेश संसार के सब से अच्छे और सब से अधिक उपजाऊ मैदानों में गिना जाता है। लेकिन यह हम सब के लिये एक लज्जा की बात है कि यहां अन्न का संकट रहता है। स्पष्ट है कि खेती के विकास के लिये जो कुछ करना चाहिये था वह सच्चाई के साथ नहीं किया गया। पिछले १५ वर्षों से योजनायें चालू हैं। प्रत्येक योजना के आरम्भ में जनता को यह विश्वास दिलाया गया था कि हम इस योजना के अन्त तक अन्न के मामले में आत्म निर्भर हो जायेंगे किन्तु हम देखते हैं कि इस रोग की जितनी दवा की गई मर्ज उतना ही बढ़ता गया और आज तो यह संकट इतना भयंकर हो गया है कि सारे देश में त्राहि त्राहि मची हुई है। आज हमें संसार के सामने भिखारियों की तरह हाथ फैलाना पड़ रहा है। यदि हमारी सरकार आरम्भ से ही इस क्षेत्र में अधिक चौकसी और प्रयत्नशील रही होती तो आज ऐसी स्थिति हमारे सामने नहीं आती। आशा है आगामी वर्ष में सरकार तथा जनता कठोर परिश्रम करके कृषि के क्षेत्र में अच्छे नतीजे हासिल करेगी और खेती के विकास के लिये जो रकम रखी गई है उसका पूरा पूरा फायदा उठाया जायगा। हमको यह पक्का निश्चय कर लेना चाहिये कि चौथी पंचवर्षीय योजना में हम अन्न के मामले में सिर्फ आत्म निर्भर ही नहीं हो जायेंगे बल्कि देश के उन भागों को भी अन्न की सहायता दे सकेंगे जहां इसकी निरन्तर कमी रहती है।

यह भी सन्तोष की बात है कि बजट में सिंचाई के लिये काफी रकम रखी गई है और छोटे सिंचाई के साधनों पर जोर दिया गया है। मंत्री महोदय ने अपने भाषण में छोटी सिंचाई के बारे में जो आंकड़े दिये हैं उन से जाहिर है कि इन साधनों पर खर्चा कम होता है और सिंचाई अधिक होती है। इसलिये ऐसे साधनों को तेजी से बढ़ाया जाय। इन साधनों में बिजली के नलकूपों का विशेष महत्व है। किन्तु खेद है कि सरकार ने इस दिशा में अच्छा कार्य नहीं किया। कई स्थानों में जहां बिजली लग गयी है और जहां सिंचाई के कोई साधन नहीं हैं वहां नलकूप लगाये जा सकते थे। उदाहरण के लिये फतेहपुर सीकरी क्षेत्र में बिजली की लाइन पहुंच चुकी है। इस क्षेत्र के पश्चिमी भाग में सिंचाई का कोई साधन नहीं है। यहां वहां नलकूप लगा दिये जाते तो यहां अन्न की पैदावार बहुत बढ़ सकती थी और यहां के निर्धन

किसानों को बहुत लाभ होता। मैंने पिछली साल भी बजट के मौके पर सदन का ध्यान इस ओर दिलाया था और मैंने सिंचाई मंत्री से भी इसका जिक्र किया था। लेकिन खेद है कि सरकार ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। यह खुशी की बात है कि चालू वर्ष में कुछ क्षेत्रों में नलकूपों पर विशेष ध्यान दिया गया और कुछ ऐसे कदम उठाये गये कि जिन नलकूपों से सन् १९६४ में सिर्फ १२० लाख घंटे काम किया उन्होंने सन् १९६५ में १९० लाख घंटे काम किया। इस के फलस्वरूप सन् १९६५ में ५ लाख एकड़ भूमि में अधिक सिंचाई हुई। यह प्रयत्न अत्यन्त सराहनीय है किन्तु क्या संबंधित मंत्री महोदय यह बताने का कष्ट करेंगे कि सन १९६५ में यह खेदजनक ढिलाई क्यों की गयी थी। और क्या वे यह आश्वासन देंगे कि भविष्य में ऐसी सुस्ती नहीं की जायेगी? यदि सरकार ने छोटे सिंचाई के साधनों पर शुरू से ही जोर दिया होता तो इस साल के सूखा के कारण खेती की जो दुर्दशा हुई है वह नहीं हुई होती।

सड़क निर्माण के मामले में तो हमारा प्रदेश बहुत ही पिछड़ा है। इस लिये बजट में केवल ६ करोड़ रुपया रखा गया है

श्री उमा शंकर (जिला आमजगढ़)—

मैं एक व्यवस्था चाहता हूं। क्या सदन में घर से लिख कर लाया हुआ भाषण पढ़ा जा सकता है?

श्री उपाध्यक्ष—

आप नोट्स से अपनी बात कह दें। उसे पूरा पढ़ें नहीं।

श्रीमती चम्पावती—

जो बिलकुल नाकाफी है। आने जाने के अच्छे साधन न होने के कारण प्रदेश का देहाती क्षेत्र तो पनप ही नहीं पा रहा है। अभी तक देहात के बहुत से इलाके ऐसे हैं जहां बैलगाड़ियों तक का चलना मुश्किल है और जहां से सड़कें और आधुनिक सवारी के साधन कोसों दूर हैं। सरकार का कर्त्तव्य है कि ग्रामीण जनता की इस महान् आवश्यकता को वह महसूस करे। सड़क निर्माण, सिंचाई के साधन आदि कुछ ऐसे कार्य हैं जिनसे ग्रामीण जनता को तुरन्त लाभ पहुंच सकता है और उन से जनता में सरकार के प्रति विश्वास पैदा होता है। आशा है कि सरकार इस पर पुनर्विचार करेगी और सड़क निर्माण के लिये अधिक धन खर्च किया जायगा।

उपाध्यक्ष महोदय, शिक्षा की प्रगति भी हमारे प्रदेश में बहुत धीमी है। प्राइमरी शिक्षा संबंधी आंकड़ों में यह बताया गया है कि ६ से ११ वर्ष की उम्र वाले कुल लड़कों में लगभग ९८ फीसदी स्कूलों में पढ़ने जाते हैं। यह तो बड़े हर्ष की बात है, लेकिन यह आंकड़े शिक्षा की सही स्थिति प्रकट नहीं करते। ग्रामीण क्षेत्र में तो शिक्षा का बुरा हाल है। न तो इमारतें हैं। यदि हैं तो उनकी मरम्मत नहीं होती। निरीक्षण नहीं के बराबर है। अध्यापकों का वेतन इतना कम है कि योग्य व्यक्ति इस कार्य के लिये नहीं मिल सकते। इसके अलावा लड़कियों की शिक्षा पर बहुत कम ध्यान दिया गया है।

हमारी योजनाओं की सब से बड़ी कमी यह है कि उन पर ठीक ढंग से अमल नहीं किया जाता। इसकी पूरी जिम्मेदारी हमारे मंत्रियों पर है। अंत में मैं आशा करती हूं कि भविष्य में सरकार योजनाओं को अधिक कारगर बनायेगी जिससे प्रदेश समृद्धिशाली बने जनता की गरीबी दूर हो और उसके रहन-सहन का स्तर ऊंचा हो सके। योजनाओं का सफल होना उत्तम प्रशासन पर बहुत कुछ निर्भर है। भ्रष्टाचार और सरकारी कर्मचारियों की सुस्ती से हमारी योजनाएं पूरी नहीं होतीं और ठोस काम नहीं हो पाता। सरकार का यह कर्त्तव्य है कि वह शासन सूत्र को ठीक करे। आशा है हमारे आदरणीय मंत्रिगण दलबन्दी को छोड़ कर कर्मयोगी बनेंगे और जनता की सच्ची सेवा करेंगे।

(अनेक सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री वैजनाथ सिंह वैद्य (जिला सुल्तानपुर)—

श्रीमान्, मैं ११ बार खड़ा हो चुका हूं सुबह से।

श्री उपाध्यक्ष—

सब बैठ जायं। श्री रघुनाथ।

श्री रघुनाथ (जिला बलिया)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस सामान्य बजट पर बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं। सरकार के हर विभाग में भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है, सरकार उसको रोक नहीं पा रही है। यहां तक कि रिश्वतखोरी हर जगह जारी है। तमाम विभाग इस बात को के लिए दृढ़ संकल्प हो गया है कि बिना रिश्वत के कोई काम होना असम्भव है। कचहरियों में जाइये, मैजिस्ट्रेट बैठा हुआ है, वहीं पर पेशकार रिश्वत ले रहा है। यहां तक कि रिश्वत एक "जनेऊ" हो गयी है। ब्राह्मण का जैसे जनेऊ टूट जाय तो वह थूक तक नहीं घोंटता है, वैसे ही रिश्वत के बिना कोई काम होना असंभव हो गया है और उसको रोकने में सरकार बिलकुल नाकामयाब साबित हो चुकी है। गृहमंत्री गुलजारी लाल नंदा ने कहा था कि हम रिश्वत दो वर्ष के अन्दर रोक देंगे, लेकिन वह रुकती हुई नजर नहीं आती। अब उनको अपने पद से त्याग पत्र दे देना चाहिये।

जिस समाजवाद का नारा सरकार लगा रही है वह कैसा है। एक तरफ गरीब बिना भोजन तरस रहा है और दूसरी तरफ बड़ों के कुत्ते साबुन से नहलाये जा रहे हैं। धनी धनी होता जा रहा है। गरीब गरीब होता जा रहा है, यह किसी से छिपा नहीं है, चाहे इस पक्ष वाले हों या उस पक्ष वाले। फिर यह समाजवाद कैसे चलेगा ? आप शहरों में तो राशनिंग का इंतजाम करते हैं लेकिन गांव में लोग भूखे मर रहे हैं, उनकी ओर कोई ध्यान नहीं है। मैं बलिया का रहने वाला हूं, बलिया में खेतिहर मजदूरों को आज भी १ आना पैसा और आधा सेर सत्तू दिया जाता है। एक आना यानी ६ नये पैसे और आधा सेर सत्तू दिया जाता है। और आप को सुन कर आश्चर्य होगा कि बलिया में निराई के लिये ३ नये पैसे यानी दो पैसे पुराने और पाव भर महुआ का लाटा दिया जाता है। जब वहां पर मजदूर की यह हालत है और गांवों में हमारे गरीब लोग बसते हैं, उनके लिये राशन की वहां कोई व्यवस्था नहीं चल रही है जिससे गांव के जो भूमिहीन मजदूर हैं वे दाने दाने को तरस रहे हैं। वहां गल्ले का ब्लैक होता ही नजर आता है। जो गेहूं का आटा शहर में सवा सेर का रुपये में मिल जाता है वहां देहातों में १०–१२ छटांक ही आटा मिलता है। आज आप देहातों को छोड़ कर शहरों की तरफ अपना ज्यादा ध्यान इसलिये दे रहे हैं कि शहरों मे बुद्धिजीवी लोग रहते हैं और बुद्धिजीवी लोगों के ऊपर आप ठहरे हुये हैं। देहात की तरफ सरकार का कोई ध्यान नहीं है जब कि सरकार की तरफ से उन गरीबों की ओर ध्यान दिया जाना चाहिये और उनके राशन की कोई व्यवस्था सरकार को करनी चाहिये।

चौथी बात यह है कि अन्न की पैदावार कम होने से आप बाहर से आज अनाज मंगा रहे हैं क्योंकि हमारा राज्य इस मामले में आत्मनिर्भर नहीं है। इसके लिये आप को किसानों को प्रोत्साहन देना चाहिये। किसानों के लगान में कमी होनी चाहिये, उनके लिये सिंचाई का प्रबन्ध होना चाहिये। उन्हें खाद मिलनी चाहिये, अच्छे बीज मिलने चाहिये और साथ ही किसानी से सम्बन्धित जितनी चीजें हैं जैसे– हल बैल वगैरह ये सारी चीजें सस्ती होनी चाहिये और इस तरह से किसानों को प्रोत्साहन देना चाहिये जिससे वे अपनी पैदावार को बढ़ा सकें। आज आपकी नीति यह है कि जब फैक्टरियों में कोई चीज बढ़ाने की जरूरत होती है तो बड़े-बड़े मिलमालिकों को आप प्रोत्साहन देने के लिये उनको काफी छूट देते हैं लेकिन आज किसान का लगान दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। जब आप किसानों को लगान कम कीजियेगा, किसानों को प्रोत्साहित कीजियेगा, तभी वह अपनी पैदावार बढ़ा सकेगा। साथ ही आपके लिये यह जरूरी है कि कि जो भूमिहीन खेतिहर मजदूर हैं जिनमें अधिकतर हरिजन हैं और किसानी में हर तरफ की मदद करते हैं, हरवाही करते हैं अगर उनको आप जमीन नहीं देंगे तो आप की पैदावार नहीं बढ़ सकेगी।

अगर आप उनको जमीन दे दें तो वे अन्न की पैदावार को बढ़ा सकेंगें जिससे आप को बाहर से कुछ नहीं मंगाना पड़ेगा और आप इस मामले में आत्म निर्भर हो जायेंगे। इसलिये इस व्यवस्था की ओर आपका ध्यान होना चाहिये। जब तक आप भूमिहीनों को खेत नहीं देते, चाहे आप लाख कोशिश करते रहें, समाजवाद चिल्लाते रहें, लेकिन वह कभी भी समाजवाद आने वाला नहीं है और न आप देश को अन्न के मामले में आत्म-निर्भर बना सकेंगे। इसलिये आप भूमिहीनों को जमीन दीजिये।

पांचवीं बात यह है कि आपने हदबन्दी का नारा लगाया लेकिन मैं अपने आंख के सामने की बात कहता हूं कि मेरे जिला बलिया में किसी जगह भी हदबन्दी से जमीन नहीं निकली जो गरीब भूमिहीनों को दी जाय। इस तरह से सारे सूबे की यही हालत है। कहीं कागज पर भले ही आप जमीन निकाल लें लेकिन वास्तव में हदबन्दी के कारण कहीं भी जमीन नजर नहीं आयी, इसलिये इस हदबन्दी को आप खत्म कीजिये और पुनः हदबन्दी कीजिये। फिर उससे जब जमीन निकलेगी तो उसे भूमिहीनों को दीजियेगा। जब गांव के भूमिहीन किसान मजदूर जमीन पायेंगे तब आपको लहराती हुई पैदावार नजर आयेगी और आप अन्न के मामले में आत्म-निर्भर हो जायेंगे। इस तरह से इसके लिये आपको अमेरिका के सामने दांत नहीं दिखलाने पड़ेंगे और दूसरों के सामने हाथ नहीं जोड़ने पड़ेंगे। यह बात नहीं है कि सरकार इस चीज को नहीं जानती है, सरकार इन सारी बातों को जानती है लेकिन जानते हुए भी एक तरफ उसकी ऐसी मशीनरी बैठी है जिसके बल पर रहते हुए वह भूमिहीनों को गुलाम बनाये रखना चाहती है। इसलिये सरकार को पुनः हदबन्दी करनी चाहिये और उससे निकली हुई जमीन भूमिहीनों को देनी चाहिये।

आप अगर गांवों में बंजर और परती भूमि की हालत को देखें तो मालूम होगा कि जमींदारी टूटने के बाद बड़े बड़े भूस्वामियों के पास वह काफी हो गयी क्योंकि उसे उन लोगों ने अपने अपने नाम लिखवा लिया। इसलिये सरकार का कर्त्तव्य है कि जमींदारी टूटने के बाद जितनी बंजर परती भूमि गलत तरीके से लोगों ने ले लिया है या लिखवा लिया है उसको रद्द करदे और फिर उस भूमि को भूमिहीनों में बांट दिया जाय। तो आपके भूमिहीन जमीन पा सकेंगे। लेकिन भूमिहीन जमीन नहीं पाये है। इसको कोई इन्कार नहीं कर सकता कि आपने चकबन्दी बनाई और कहा कि गांव के हरिजनों को भूमि मिलेगी। उपाध्यक्ष महोदय, मैं भी अपने जिले कि चकबन्दी कमेटी का मेम्बर हूं। चकबन्दी में जो जमीन निकाली जाती है वह हरिजनों को न देकर ग्राम प्रधानों को दे दी जाती है। ग्राम के प्रधान इसमें तकड़मबाजी करते है। इसलिये हमारी राय है कि जो जमीन निकालिये वह जमीन हरिजनों को ही दी जाय, तभी वे बस सकेंगे।

बलिया की मैं आपको कुछ बात बतलाऊं। चमारों की औरतें सारी जातियों की दाईपने का काम कर रही है। लेकिन उनसे जबरन मैला फेंकवाया जाता है। हमारी सरकार ने कानून बनाया है कि जो जबरन काम करायेगा उस पर ३७४ धारा लागू होगी लेकिन फिर भी वह दाईयों से जबरन उठावाया जाता है। अगर वे फेंकती है तो उनको तरह तरह के भय और परेशानियां उठानी पड़ती हैं। मैं कहता हूं कि इन्सान को गुलाम मत बनाइये, इन्सान अब आजाद रहना चाहता है। यही कहकर मैं अपना व्याख्यान खत्म करता हूं।

*श्री देवेन्द्रसिंह (जिला नैनीताल)—

उपाध्यक्ष जी, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने बहुत अरसे के बाद मुझे, यह जो बजट पेश हुआ है, उस सिलसिले में विचार रखने का मौका दिया। मैं जो ज्यादा उत्सुक था इस विवाद पर बोलने के लिये वह इसलिये कि कल परसों से इस माननीय सदन के सामने दो एक वाक्यात इस तरह के आये जिससे मैं अपना फर्ज समझता हूं कि उस पर मैं अपनी बात रक्खूं। उपाध्यक्ष महोदय, एक ट्रस्ट जिसके सिलसिले में बहुत से विचार मैंने इधर से भी उधर और जो बैठे है उनके भी विचार

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री देवेन्द्र सिंह]

मैंने सुने। मुझे ऐसा लगता है कि शायद जिन माननीय सदस्यों ने उस ट्रस्ट के बारे में जिसको कि सेना और पुलिस में काम करने वाले जो लोग है जो हमारे देश के लिये अपनी जान न्योछावर कर रहे है उनके डिपेंडेन्टस जो है उनको सेवा व सहायता करने के लिये जो यह संस्थान बनाया गया है उसके बारे में जो गलत फहमियां थीं उनको आपके जारिये से माननीय सदस्यों तक पहुंचाना चाहता हूं। यह संस्थान १९६३ में बनाया गया जिसका नाम है पुलिस एवं सैनिक सहायता संस्थान, १९६३। इसमें मुझे जहां तक सूचना है मैं ऐसा समझता हूं कि जब इस संस्थान का निर्माण किया गया हमारे प्रान्त के जो सारे कैबिनेट के मेम्बर है उन्होंने इसको एकमत होकर बनाया। लेकिन काफी अर्से के बाद अगर उसके बारे में कोई टीका टिप्पणी की जाय या कोई मोटिव एट्रीब्यूट किया जाय, तो यह अच्छी बात नहीं है। मैं माननीय सदस्यों की जानकारी के लिये उसके सदस्यों के नाम पढ़ देना चाहता हूं, चैयरमैन--महामहिम राज्यपाल उत्तरप्रदेश, वाइस प्रेसीडेंट, मुख्य मंत्री, उ० प्र० अन्य मेम्बर हैं--चीफ सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश, जी० ओ० सी०, यू० पी० एरिया, फाइनेंस सेक्रेटरी, उत्तर प्रदेश। दो मेम्बर गवर्नमेंट नामिनी हैं--एक जो तत्कालीन सिटीजन्स कौंसिल के चेयरमैन थे और दूसरे उसके सेक्रेटरी। दो मेम्बर उसके और हैं और जहां तक मेरी सूचना है वे हैं--बिग्रेडियर नारायणसिंह रौतेला तथा टी० पी० भल्ला, रिटायर्ड आई० जी०।

इस प्रकार का जो ट्रस्ट बना हो और जिसके सब-आफीशियल्स और नान आफीशियल्स इस प्रकार के सदस्य हों, जिसमें महामहिम राज्यपाल और मुख्य मंत्री हो, उसके बारे में इस प्रकार की आशंका करना और इस प्रकार का दोषारोपण करना अवांछनीय है। जब यह ट्रस्ट बनाया गया उस समय चीन का हमला हो रहा था। उस समय हमारे देश की सेना में जो काम करने वाले थे, पुलिस में काम करने वाले थे, उनकी सहायता के लिये सरकार की तरफ से यह कदम उठाया गया था। उसके लिये तत्कालीन गवर्नमेंट ने डेढ़ करोड़ रुपया चीफ मिनिस्टर्स फंड से दिया था। उसके बारे में बहुत से माननीय सदस्यों के दिमाग में यह भ्रम है कि वह रुपया इधर उधर कर दिया गया है। मैं बताना चाहता हूं कि उस धनराशि में से एक पैसा भी खर्च नहीं हुआ है। उस रुपये से जो इनकम होती है उससे सेनाधिकारियों और पुलिस के अधिकारियों के डिपेन्डेंट्स की सहायता की जाती है। अगर फिर भी किसी माननीय सदस्य के मन में कोई भ्रम हो तो वह ट्रस्ट के कागजात को देख सकता है।

यह बजट जो हमारे सामने माननीय वित्त मंत्री जी के द्वारा प्रस्तुत किया गया है, उसके लिये मैं उनको बधाई देता हूं। वे इसलिये भी और ज्यादा बधाई के पात्र हैं कि इस वर्ष के बजट में केवल ३१ लाख रुपये का घाटा है। जैसा कि पिछले वर्षों में देखा गया है घाटे का बजट आखिर में जाकर सरप्लस हो जाता है उसी प्रकार मुझे पूर्ण आशा है कि जब करोड़ों का घाटा सरपल्स में बदल जाता है तो यह ३१ लाख का घाटा भी सरप्लस में बदल जायगा। इसके लिये मैं एक निवेदन यह करूंगा कि बजट के प्रेजेन्टेशन की एक प्रणाली होनी चाहिये। आज जो प्रणाली है उसमें आमूल परिवर्तन होना चाहिये। अगर बजट की प्रणाली में आमूल परिवर्तन कर दिया जायगा तो मेरा निश्चत मत है कि यह दो-दो तीन-तीन, सप्लीमेंटरी बजट साल में यहां आते हैं उनमें कमी हो जायगी और यह जो अन्त में सरप्लस बजट हो जाते हैं उस में भी कमी होगी। मेरा सुझाव है कि बजट के मामले में जो रूल्स रेगुलेशन्स की बाधायें हों उन को भी अगर ठीक करना पड़े इसके लिये तो वह कदम अवश्य जल्द उठाने चाहिये। इसी संबंध में मेरा यह भी निवेदन है कि यह बजट जो फरवरी में पेश किया जाता है वह पहली जुलाई को पेश किया जाना चाहिये। यह मत मेरा इसलिये है चूंकि बजट पास होने के बाद ४--५ मास का समय ऐसा होता है जो डिटेल्स की तैयारी में ही बीत जाता है, फिर वित्त विभाग में और फिर हेड्स आफ डिपार्टमेन्टस में और फिर जिलों में पहुंचते पहुंचते ५--६ मास लग जाते हैं। उस के बाद फिर बरसात में काम धन्धे हो नहीं पाते और इसी तरह से मार्च ३१ आ जाती है और काम पूरे नहीं हो पाते हैं। फिर इन सब का नतीजा यह होता है कि डेफिसिट बजट आखिर में सरप्सस हो जाता है।

मैंने इस बजट को देखा और बजट भाषण को भी अच्छी तरह से पढ़ा। मैं सरकार को इसलिये भी अधिक बधाई देता हूं कि उसमें जो हमारी खाद्य की मुख्य समस्या है उसकी तरफ विशेष ध्यान दिया है और मैं समझता हूं कि जब तक भारत में और इस प्रदेश में कृषि की प्रगति नहीं होती तबतक हमारे देश का या प्रदेश का कल्याण नहीं हो सकता। अगर सरकार ज्यादा प्रबन्ध न कर सके तो कम से कम पानी का ही प्रबन्ध किसानों के लिये कर दे तो निश्चित रूप से देश के किसानों का कल्याण हो सकता है। सन् ४८ से आजतक हम देखते हैं कि जितना इरिगेशन पोटेंशियल हम बढ़ा पाये हैं उस रेट से हमारे यहां का पोटेंशियल कई गुना बढ़गया है। दूसरे मानेमें जिस रेट से हमारा कलटिवेशन बढ़ा है उस रेट से इरिगेशन पोटेंशियल नहीं बढ़ा है। यह गंभीर मसला है और इस की ओर सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिये। अब हम प्रकृति पर ज्यादा मुनहस्सिर नहीं रह सकते क्योंकि तीन-चार साल से प्रकृति हमारा साथ नहीं दे रही है और न भविष्य के लिये ही हम आशा कर सकते हैं कि वह हमेशा हमारा साथ देती ही रहेगी। मेरा सुझाव है कि हिमालय से जो हमारी नदियां निकलती हैं उन को टेम किया जाय और उन पर बांध बनाये जायं ताकि जब वर्षा का अभाव हो तो उस खतरे से कृषि को बचाया जा सके। दूसरे हम कृत्रिम साधनों से कृषि को बरबाद न होने दें। मैंने कई मास पहले से गोला डेम की एक योजना सरकार के पास भेजी थी जो सरकार के विचाराधीन थी और उस पर कुछ प्रगति भी हुई थी लेकिन जितनी उस पर प्रगति होना चाहिये थी वह नहीं हो रही है। मैं निवेदन करूंगा कि यदि यह गोला डेम नहीं बनेगा तो तराई भाभर की सारी आबादी बरबाद हो जायगी, वहां पर जिस रफ्तार से पानी का स्तर घट रहा है और नदियों में पानी कम हो रहा है वह रफ्तार जारी रही और यह गोला बांध न बना तो तराई भाभर का क्षेत्र जो वहां उपज देता है वह बरबाद हो जायगा। (समाप्त)

श्री दीपनारायण सिंह (जिला फतेहपुर)—

माननीय, उपाध्यक्ष महोदय, यदि हम इस तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्तिम वर्ष में और इस विधान सभा के भी अन्तिम वर्ष में इस बजट के शीशे में उत्तर प्रदेश सरकार के स्वरूप को देखें तो हमें यह दिखाई पड़ेगा। जबकि सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी में कामराज के नाम की धूम है जिसका अर्थ "काम" का राज है किन्तु इसको इन्होंने (सत्तारूढ़ नेताओं ने) खुद ही यम-राज बना दिया है, अपने कामों से। काम के राज का अर्थ यह होना चाहिये था कि जितना रुपया आपने उत्तर प्रदेश की जनता से अब तक टैक्सों के रूप में या अतिभार के रूप में लगान बढ़ाकर वसूल किया है, उसका एक-एक पैसा आप प्रदेश की तरक्की में खर्च करते। अगर आज साधारण व्यक्ति की आय भी बढ़ती तो भी मैं समझता कि कुछ काम हुआ है। आपका यह बजट २ अरब ९२ करोड़ का है जिसमें अब भी आपने ६–७ करोड़ रुपया किसानों से अतिभार में ले रखा है। तो किसान की इनकम बढ़ाने के बजाय उस पर भार ही डाल रखा है। १९४७–४८ में जब आपने गद्दी संभाली तो ३० प्रतिशत पर कैपिटा इन्कम (प्रति व्यक्ति वार्षिक आय) २१०.३ थी देहात की १८४.९ थी और शहर की ३७१.३ रुपया प्रति व्यक्ति थी। पर १९५९–६० में उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय २५५.३ थी, देहात में १९१.१ और शहरी जनता की ६६५.० थी। तो इससे स्पष्ट है कि शहर की प्रति व्यक्ति आमदनी तो काफी बढ़ी है पर देहात की नाममात्र को ही। आज हमें सोचना चाहिये कि आबादी का अनुपात क्या है। ८७ प्रतिशत देहाती जनता की आबादी है। ६,४२,६६,५०६ जनता आज देहातों में रहती है। देहात के प्रतिनिधि ही यहां पर ज्यादा हैं लेकिन आमदनी बढ़ी है तो शहरी इलाके का ही। उसी दृष्टि से आप देखें कृषि उत्पादन को जिसके लिये आज संकटकाल में तेजी की आवश्यकता थी, कुल प्रदेश में ५ १/२ करोड़ एकड़ भूमि है जिसमें फसल पैदा होती है लेकिन अभी तक १ १/२ करोड़ एकड़ से अधिक भूमि में सिंचाई की व्यवस्था नहीं हो पायी। मेरे जिले में ६ हजार एकड़ के करीब का क्षेत्रफल ऐसा है जो कृषि योग्य परती है लेकिन वहां पर एक भी नलकूप नहीं है देहात में। अब यह हालत है कि आज यह प्रदेश बनिये के हाथ में है और वह तराजू लिये अपने दाम से कामराज को तौल रहा है उसके हाथ में बागडोर है, उत्तर प्रदेश की, तो वह किसान को कुछ नहीं देना चाहता है।

[दीपनारायण सिंह]

आज तो बनियों का राज है, पूंजीपतियों का राज है, जिसने कामराज का मर्डर किया है। उसकी हत्या हुयी है। खेती में ही देखें कि तीसरी पंच वर्षीय योजना में जो धन आपने इकट्ठा किया था उसमें कितना आपने खेती में लगाया। खेती के पहले मंत्री हमारे माननीय चरण सिंह जी थे और अब माननीय गेंदा सिंह जी हो गये हैं, लेकिन उनके पास क्या है? किसानों को अगर प्राइवेट कुयें बनाने के लिये रुपया दिया जाता है तो वह बीच में ही खा लिया जाता है। अगर आपकी पैदावार ड्योढ़ी होती तो आपका प्रदेश ऊंचा उठता लेकिन आपने पर्याप्त रुपया किसानों को नहीं बांटा है। आज हमारा किसान, जिससे आप रुपया प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष टैक्स के रूप में वसूल करते हैं, धन चाहता है। वह आप से अपना रुपया ही चाहता है जो आप उस से टैक्स के रूप में लेते हैं, और उस के बदले में वह आप को गल्ला देता है। माननीय राममूर्ति जी शहर में रहते हैं, किसान का ही गल्ला खायेंगे, अमरीका का गल्ला कब तक खायेंगे? इसलिये जो आप ने मालगुजारी बढ़ा करके ७ करोड़ रुपया अधिक किसान से वसूल किया है वह बढ़ा हुआ रुपया आप किसान को और दे दीजिये यह बजट किसान का होना चाहिए, काम का होना चाहिये, मैं तो यह मानने लगा हूं कि जब सब जगह लूट है प्राइसेज बढ़ रही है, ब्लैक मार्केट का चढ़ाव हो रहा है, किसान को शकर न मिले, शादी विवाह के लिए कंट्रोल रेट पर सीमेंट, लोहा उसको न मिले तो किसान भी अब तेज दाम पर ही गल्ला बेचे और बनियों को भूखों मारे यह नहीं हो सकता कि आप उस के माल से खुद पैसा पैदा करें। अगर आज बनियों को जिन्दा रहना है तो किसान के बल पर ही रहना है। वही फैक्टरियों के लिये रा-मैटीरियल देता है। अगर किसान गन्ना पैदा न करे तो शुगर फैक्ट्री न चल सके। इसलिये असली उत्पादक तो किसान है। माननीय बैजनाथ सिंह जी, आप तो किसान हैं लेकिन आप उन की बात नहीं करते। माननीय जयराम वर्मा जी, आप लुटेरों के पेट में छेद करें, न कि गरीब किसान के पेट में। इसलिये सही अर्थ में यह बजट काम का होना चाहिये।

हर जिले में तृतीय योजना में हर थाना, हर ब्लाक सेंटर पक्की सड़क के किनारे होना चाहिये। लेकिन सरकार का यह रवैया हो गया है कि कहो कुछ करो कुछ। आप कहते हैं कि नौकरशाही हावी है। मैं तो कहता हूं कि वह तो होगी ही अगर गदही पर चढ़ने वाला चतुर घोड़े पर चढ़ने की कोशिश करेगा तो अवश्य गिरेगा। आई० ए० एस०, पी० सी० एस० जो कम्पिटीशन से आते हैं, जो आप की तरह से तिकड़मबाजी से नहीं आये हैं। अगर अयोग्य यहां असेम्बली में मिनिस्टर बन गये तिकड़मबाजी से तो यह चार काम जहां आप नौकरशाही से अपने करायेंगे तो १० काम वह अपने भी करेंगे और आप उन को रोक नहीं सकते। आप खुद अपने कामों से प्रदेश को एकतंत्र की ओर ले जा रहे हैं। माननीय गोविन्द सहाय जी बहुत कहा करते हैं समाजवाद की बात लेकिन वे स्वयं अपनी गुटबन्दी को देखें। योग्य आदमी मर रहे हैं। हर अच्छी स्कीम को कार्यान्वित करने के लिये योग्य नौकरशाही की जरूरत है, लेकिन जब पालिसी मेकर आपस में लड़ने वाले हैं, खुद गर्ज हैं, तो अपनी पार्टी की हुकूमत ठीक नहीं कर सकते। उनकी अपने अन्दर जो गुटबन्दी है उस के कारण अच्छे आदमी पिसे हुये हैं तो फिर कैसे आप नौकरशाही से अच्छा काम ले सकते हैं? जनप्रिय माननीय शान्ति प्रपन्न शर्मा जी से बिजली छीन ली गई। आप ने बैकवर्ड क्लासेज कमीशन बनाया लेकिन उस का आधार सोशल की जगह इकोनामिक रख दिया।

परिणाम यह हुआ कि ऊंची जाति के धनी छात्र अपनी शून्य आय दिखा कर, गलत प्रमाण पत्र लेकर बैकवर्ड क्लास की छात्रवृत्तियां हजम कर गये।

मैं पा० डब्ल्यू० डी० की एक बात कहता हूं। राष्ट्रपति का एक आदेश आया कि जो चार्जमैन हैं उनको पर्मानेन्ट की सहूलियत लेकिन वह नहीं दी जाती है और न उनकी डिमान्डस को पूरा किया जाता है। मेरा निवेदन है कि १ हजार से कम तनख्वाह पाने वालों की तनख्वाह बढ़ाओ लेकिन जूनियर जो क्लर्क का रकम करिश्वत १५ फीसदी पाते हैं उनकी तनख्वाह आप क्यों बढ़ा रहे हैं? यह बजट क्या सही मानों में समाजवादी है? मेरा गला क्यों खराब हो गया।

मूंगफली का तेल खा कर ही मेरा गला खराब हो गया। इसी प्रकार मिलावट वाले समाजवाद को चखकर उत्तर प्रदेश राज्य का गला खराब हो गया है।

श्री रामनाथ पाठक (जिला मिर्जापुर)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय.....

श्री एस० जी० दत्त—

मैं हर बार खड़ा होता हूं लेकिन मुझे बोलने का अवसर नहीं दिया जाता है। मैं इस प्रोटेस्ट में जा रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष—

आप जा सकते हैं।

(श्री एस० जी० दत्त ने सदन का परित्याग किया।)

श्री रामनाथ पाठक—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं मिर्जापुर जिले की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। मिर्जापुर का जिला बहुत पिछड़ा हुआ है। उस इलाके में चुर्क की सीमेंट फैक्ट्री लगाई गयी, रिहन्द डैम बनाया गया। यह सब हुआ लेकिन वहां के निवासी, जो जंगल तथा पहाड़ में रहते हैं, उनको कोई काम नहीं दिया जाता है। उनकी जमीन ली गयी, घरों से निकाले गये। सीमेंट फैक्ट्री से तथा रिहन्द बांध से देश तथा प्रदेश को लाभ हुआ लेकिन वहां के पहाड़ के निवासियों के उत्थान के लिये कोई कार्य नहीं हुआ। इसका एक कारण यह है कि १५० मील लम्बा यह जिला है जिसमें पहले ५, ६ लाख आबादी थी लेकिन आज वह आबादी १५, १६ लाख हो गयी है। विकास के जरिये या जनशक्ति योजना के जरिये जो भी मदद सरकार से मिलती है वह सब मैदानी इलाके में इस्तेमाल की जा रही है। पहाड़ी इलाके में वहां पानी के लिये कुंवें तक नहीं बने हैं। राबर्टसगंज बुढ़ी तहसील में तीन-तीन मील दूर गाड़ियों में पानी लेने जाना पड़ता है और पत्तों से सड़ा पानी उठा कर अपने घरों में ले जाकर पीते हैं। निर्माण विभाग तथा जन-शक्ति के द्वारा कोई भी कार्य पहाड़ों में नहीं हुआ और मैदानी इलाके में ही हुआ है। जो हिस्सा कि बनारस, जौनपुर और इलाहाबाद से मिला हुआ है। न वहां ग्रामीण जनशक्ति के आधार पर सड़कें बनवाई गयीं और ५० मील चल कर तहसील हेडक्वार्टर पर आने के लिये कोई भी सड़क उनके लिये नहीं है।

श्रीमन्, हमारे प्रदेश में सरकार द्वारा आदेश है कि हर पांच मील के अन्दर एक दवाखाना होना चाहिये, चाहे वह आयुर्वेदिक हो या एलोपैथिक हो। लेकिन हमारे यहां ५०/५० मील के अन्दर भी एक भी अस्पताल नहीं है। वहां लोग जानते नहीं हैं कि दवा क्या चीज है? जो अस्पताल वहां हैं भी उनको साल भर के लिये मुश्किल से १०००/२००० हजार रुपया दवाओं के लिये दिया जाता है जिससे वहां पर दवायें नहीं रहती हैं। जो मरीज वहां इतना चलकर जाते हैं उनसे कह दिया जाता है कि दवा नहीं है।

इस समाजवादी युग में हमारे यहां पहाड़ पर किस प्रकार से विकास होगा और किस तरह से वहां की गरीबी दूर होगी यह समझ में नहीं आता है। जब तक राबर्टसगंज और बुढ़ी को मिलाकर अलग से जिला नहीं बना दिया जाता है तब तक हमारा दुख दूर नहीं हो सकता है। हमने लिख-कर भी दिया था कि यह पहाड़ी जिला अलग से होना चाहिये। जो सुविधायें एक जिले को मिलती हैं वही हमारे यहां पहाड़ में जिला बनाकर दी जायें। जब यह चीज होगी तभी हम आगे बढ़ सकेंगे। हमारा १००/१५० मील लम्बा पहाड़ी क्षेत्र है वहां के बी० ए०, एम० ए० तथा ट्रेन्ड ग्रेजुएट लड़के प्राइमरी स्कूलों में मास्टरी करते हैं और फैक्ट्री में बाहर के लड़के रख लिये जाते हैं।

हमारे यहां से बांध की बिजली जाती है। जो जमीन हम से ली जाती है उसका मुआवजा से तक नहीं मिलता है। दो राजाओं के मकानों में बिजली १६/१८ मील लम्बी लाइन

[श्री रामनाथ पाठक]

खींच कर लगाई गई है लेकिन किसानों को बिजली नहीं दी जाती है। सरकार से भी हम लोगों ने कहा और इंजीनियरों से भी कहा लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई और अभी तक वहां सर्वे तक नहीं हुआ, न जांच हुई बिजली देना तो बहुत दूर रहा। हमारे यहां के हजारों आदमी उजड़ गये और हमारे साथ यह व्यवहार है कि बड़े बड़े आदमियों को बिजली दी गई और हमको बिजली नहीं मिली। हमारे यहां भी जल्दी से जल्दी बिजली लगाई जाय।

इसके अलावा हमारे यहां कोई पोलीटेकनिक स्कूल खोला जाना चाहिये जिससे हमारे यहां के लड़के टैक्नीकल ट्रेनिंग प्राप्त कर सकें। हमारे यहां से १०० मील दूर मिर्जापुर जिला है और उतना ही दूर बनारस जिला है। हमारे यहां कोई स्कूल नहीं है जससे लड़कों के पढ़ने का बड़ी दिक्कत है। हमारे यहां पूर्व में बिहार और दक्षिण में मध्य प्रदेश लगता है। वहां उनके स्कूल बने हुये हैं लेकिन हमारे यहां कोई स्कूल नहीं है। फैक्ट्री में जो स्कूल है उसमें वहां के मुलाजिमों के लड़कों को ही लिया जाता है। बाहर के लड़के नहीं लिये जाते हैं। इसलिये राबर्टसगंज और दुद्धी को मिलाकर मिर्जापुर से अलग जिला बना दिया जाय। छोटे-छोटे तालाब हमारे यहां हैं जो पुराने हो गये हैं उनको गहरा करा दिया जाय तो हमारे यहां सिंचाई हो सकती है। ट्यूबवेल वहां नहीं बने हैं। जो नहर बनी है उसका पैदान में दिया जाता है। वहां छोटी बंधी बना दी जायं तो काश्तकारों को सिंचाई की सुविधा हो जाय।

वहां पर पत्थर होता है। उसका सारे पहाड़ का ठेका यू० पी० इंडस्ट्रियल कारपोरेशन ने ले लिया है। अगर वहां के लोगों को पत्थर का लाइसेंस दिया जाय, जैसा कि पहले दिया जाता था, तो वहां के लोगों को रोजगार मिल सकता है। वहां की शराब की दूकानों का जो ठीका लोग चलाते थे, सारी दूकानों को मिला कर एक बड़े पूंजीपति को ठेका दे दिया गया। विलायती शराब की दूकानों को चलाने के लिये ठीका मेरठ और फर्रुखाबाद के लोगों को दिया गया है तो रोजगार वहां के लोग जो करते थे वह भी छीन लिया गया। मैं मांग करता हूं कि इसके लिये एक कमेटी नियुक्त की जाय जो कि राबर्ट्सगंज दुद्धी तहसील की जांच करे कि वहां का हित कैसे हो।

श्री जगदम्बा प्रसाद (जिला फैजाबाद)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि आपने इस सामान्य विवाद में मुझे अपने विचारों को प्रकट करने का समय दिया। जिस समय अनुपूरक बजट इस सरकार द्वारा प्रस्तुत किया गया था उस समय मैंने अपने विचारों को व्यक्त किया था। आज यह बजट १९६६–६७ का, इस सदन के समक्ष उपस्थित है। यह ऐसा बजट है जो करीब २९२ करोड़ रुपये का है। गत वर्ष से भी बड़ा बजट है। यह बात उस में अवश्य है कि इस बजट में कर लगाने की योजना नहीं है। इसलिये जहां तक इसका संबंध है इस बजट के लिये मैं अवश्य मंत्री महोदय को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस बजट में कोई कर की व्यवस्था नहीं की। परन्तु इसके साथ साथ इस बजट में अविकसित क्षेत्रों के लिये कोई भी योजना नहीं है, जहां पर इस कांग्रेस राज्य के १८ वर्षों के बाद कोई व्यवस्था वहां की जनता के लिये उनकी बेरोजगारी दूर करने के लिये, अशिक्षा को दूर करने के लिये नहीं है। ऐसे उपेक्षित क्षेत्रों की ओर इस बजट में कोई ध्यान नहीं दिया गया है, जब कि यह इतना बड़ा बजट है। इसमें आवश्यक था कि इस प्रदेश की उन्नति के लिये उन साधनों की तरफ ध्यान देते जिससे हमारे देश की गरीबी, बेरोजगारी, और अशिक्षा दूर होती। इस बजट में इसका कोई भी प्राविजन नहीं है।

इस बजट में कुछ ऐसी बातें हैं जहां पब्लिक का धन आवश्यक कामों की तरफ न खर्च करके अन्य कामों की तरफ खर्च करने की व्यवस्था की गयी है। उदाहरण के लिये जहां तक ऐग्रीकल्चर की उन्नति का संबंध जिस पर इस प्रदेश की अधिकांश जनता का जीवन निर्भर है, जब तक यह प्रदेश खाद्यान्न में आत्म निर्भर नहीं होता तब तक कोई भी योजना इस प्रदेश में सफल नहीं हो सकती। उसके लिये भी कोई व्यवस्था नहीं है। उदाहरण के लिये उन जगहों में जैसा कि मैं अपने जिले की बात कहता हूं फैजाबाद के जिले में कोई भी सिंचाई की व्यवस्था नहीं है, जहां पर

कोई भी नहर और ट्यूबवेल की व्यवस्था नहीं है। मैं विकास मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि जिस समय यह इर्रीगेशन मिनिस्टर थे, उस समय भी मैंने उनका ध्यान दिलाया था कि जलालपुर के पूर्वी अंचल में सिंचाई की कोई भी व्यवस्था नहीं है, इसकी तरफ आप को ध्यान देना चाहिये। १९६० से लेकर आज १९६६ हो गया है, ६ साल गुजर गये हैं, लेकिन वहां पर ट्यूबवेल की कोई व्यवस्था नहीं हो पाई है। मैं जलालपुर में उस स्थान की तरफ सरकार का विशेष रूप से ध्यान दिलाता हूं जहां पर कि उनकी स्वीकृति मिलने पर भी उनकी व्यवस्था नहीं की गयी है जिसका कारण यह है कि उसकी वजह से दिन प्रतिदिन उनकी खेती की पैदावार घटती चली जा रही है। इस वर्ष भी वर्षा न होने के कारण रबी की फसल को वहां पर बड़ी भारी क्षति हुई है। इसलिये मैं चाहूंगा कि जहां पर सिंचाई की कोई व्यवस्था नहीं है, उसकी तरफ आप ध्यान दें और ऐसी जगह पर ट्यूबवेल का प्रबन्ध होना चाहिये।

दूसरी बात मैं समाज कल्याण विभाग की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं, जिसके द्वारा हरिजनों को विशेष सुविधा और उनके उत्थान की व्यवस्था की गयी है। इस विभाग पर जितना भी धन खर्च किया जाता है, उस रुपये का बिलकुल दुरुपयोग हो रहा है। रुपया हरिजनों तक नहीं पहुंच पाता है, जिसकी वास्तव में उनको जरूरत है या तो वह बिना खर्च हुये पड़ा रह जाता है या सरकारी कर्मचारी विकास खंड के अन्दर उसका दुरुपयोग करते हैं। मैं अपने जिले के मियांव ब्लाक की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि जिस की स्थापना हुये ४ वर्ष हो गये हैं, लेकिन पूरे ब्लाक में केवल ५-६ कुंवें मुश्किल से बने होंगे, १-२ मकान बने होंगे। इसलिये मैं विकास मंत्री जी यहां पर बैठे हुये हैं उनका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, जिन अधिकारियों के द्वारा रुपये का सदुपयोग होना चाहिये, किन्तु दुरुपयोग हो रहा है, उनकी तरफ ध्यान दें। मैं चाहता हूं कि पूरे प्रदेश के लिये यह व्यवस्था हो अन्य आदरणीय सदस्य भी इस संबंध में अपने विचार व्यक्त कर चुके हैं, अतः यह दुरव्यवस्था शीघ्र से शीघ्र दूर की जाय।

अब मैं माननीय सदस्यों का ध्यान न्याय व्यवस्था की ओर यानी न्याय विभाग की ओर दिलाना चाहता हूं। यह एक ऐसा विभाग है, जिस पर एक अच्छे शासन में जनता का पूर्ण विश्वास होना चाहिये। इस विश्वास के हिलने से शासन कमजोर हो जाता है और शीघ्र समाप्त हो भी जाता है। लेकिन हमारे माननीय सैयद अली जहीर जी जब से इस विभाग में मंत्री हुये हैं, आये दिन इस सदन में इस बात की चर्चा सुनते हैं कि उन्होंने अपने रिश्तेदारों को, कुनबापरस्तों को मजिस्ट्रेट बनाया और उनके प्रमोशन के मामलों में जबरदस्त पक्षपात किया है। उदाहरण के लिये मैं बताना चाहता हूं कि एक ए० पी० भटनागर साहब अतिरिक्त जज लखनऊ थे, जिनके बारे में हाईकोर्ट के न्यायाधीश श्री भार्गव साहब ने लिखा था कि इनको भविष्य में प्रमोशन न दिया जाय। लेकिन इस पर भी उनको इसलिये प्रमोशन दिया गया कि उन्होंने कुछ मामलों में कुछ मुकदमों में उनका मंत्री जी का फेवर किया था। मंत्री जी ने न्याय विभाग को बिलकुल नष्ट कर दिया है। उन पर से जनता का विश्वास प्रतिदिन घटता जा रहा है, उनको सही रूप में काम करना कठिन हो गया है।

मैं जनता के दृष्टिकोण से कहना चाहता हूं कि यदि जहां पर न्याय मिलना मुश्किल है, उस जगह एक दिन सरकार अवश्य शीघ्र अपदस्थ हो जायगी।

श्री गुलाबसिंह (जिला देहरादून)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे प्रस्तुत बजट पर बोलने का अवसर दिया। कई वर्षों के बाद माननीय वित्त मंत्री जी ने यह बैलेंस्ड बजट प्रस्तुत किया है। जो कुछ थोड़ा सा घाटा बताया है वह नहीं के बराबर है। इससे जाहिर है कि इस वर्ष कोई भी नया टैक्स नहीं लगने वाला है और इन सबके लिए मैं वित्त मंत्री महोदय को धन्यवाद देना चाहता हूं क्योंकि उन्होंने बहुत प्रशंसनीय कार्य किया है। मान्यवर, हमारा बजट मुख्यतया पंचवर्षीय योजनागत होता है, हम योजनागत आगे बढ़ते जाते हैं और इससे प्रदेश का बड़ा उत्थान हो रहा है और इसके द्वारा हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करेंगे। मैं कहना चाहता हूं कि जहां हम प्रगति कर

[श्री गुलाब सिंह]

रहे है वहां हम हर वर्ष अपने लक्ष्यों की प्राप्त करते रहे तो उससे हम अपनी सतकर्ता को और भी बढ़ कर सकते है। मान्यवर, आप जैसा जानते है कि इस प्रदेश का उत्थान, उद्योग और कृषि पर निर्भर है। इस सिलसिले में यह बजट से प्रतीत होता है कि इस वर्ष सबसे ज्यादा जोर कृषि और उद्योग पर भी है। हम पिछले वर्षो जहां उद्योग में अग्रसर नहीं हुए थे यह बड़ी खुशी की बात है कि हम उसकी ओर अग्रसर होते जा रहे है। इसकी तरफ विशेष ध्यान दिया जा रहा है। और आशा की जाती है कि आने वाली पंचवर्षीय योजना में हम इसमें काफी प्रगति कर सकेंगे।

मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि जहां बड़े उद्योगों की ओर ध्यान दिया जाता है वहां लघु उद्योगों की ओर भी ध्यान दिया जाना आवश्यक है। मैं सरकार का ध्यान इस सम्बन्ध में पहाड़ी प्रदेशों की ओर ले जाऊंगा। पहाड़ी प्रदेशों में बड़े उद्योग सम्भव नहीं है छोटे उद्योग ही चल सकते है। इस सम्बन्ध में मैं केवल इतना ही कहना चाहूंगा कि सरकार का ध्यान उधर नहीं गया है। मैं चाहूंगा कि इस उपेक्षा की भावना को सरकार छोड़े। इससे प्रदेश की प्रगति भी अवरुद्ध होती है।

अब मैं कुछ अपने जिले के संबंध में कहना चाहूंगा। मान्यवर, सभी सदस्य जानते हैं कि देहरादून मुख्यतः पहाड़ी जिला है। यह पहाड़ों से घिरा हुआ है। यदि मैं यह कहूं कि यह नैनीताल जिले से भी अधिक पहाड़ी है तो मेरे ख्याल से अनुचित न होगा। लेकिन मुझे यह कहने में संकोच नहीं है कि सरकार का ध्यान इस संबंध में देहरादून जिले पर नहीं गया है। मैं सरकार से कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार नैनीताल पहाड़ी जिला है उसी प्रकार देहरादून को भी पहाड़ी जिला घोषित करें तो इस जिले के साथ बड़ा न्याय होगा। मैं यह बात इसलिये कहता हूं कि देहरादून जिले में एक तहसील चकराता है जो जिले का आधा हिस्सा है और अगर दूसरे हिस्से मंसूरी आदि इसमें और बढ़ा दीजिये तो दोबटा तीन हिस्से से अधिक वहां पहाड़ी इलाका होता है। तो कोई वजह नहीं है कि सरकार देहरादून जिले को पहाड़ी जिला घोषित न करे। कुछ बातों के संबंध में देहरादून जिले को पहाड़ी जिला मान लेते हैं और कुछ बातों में नहीं मानते हैं। मैं यह चाहता हूं कि सब बातों के लिये सभी प्रकार से जिस प्रकार से नैनीताल, टेहरी और गढ़वाल को आप पहाड़ी जिला मानते हैं उसी प्रकार से देहरादून जिले को भी पहाड़ी जिला मान लिया जाय।

एक बात और कहना चाहूंगा। १९५८ में हमारी प्रान्तीय सरकार ने जौनसार बावर और उत्तर काशी के रंवाई क्षेत्र के लिये एक कमेटी बिठाई थी जिसके अध्यक्ष हमारे माननीय उपमंत्री श्री बलदेवसिंह जी आर्य थे। सन् १९५९ में उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत की लेकिन मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि जितनी भी सिफारिशें उस कमेटी की थीं उनमें से अभी तक एक भी सरकार ने कार्यान्वित नहीं की है। जहां तक मेरी जानकारी है हमारी सरकार ने केवल इतना ही किया है कि जौनसार बावर को ट्राइबल एरिया घोषित किये जाने के बारे में केन्द्रीय सरकार को लिखा है। उसके बाद कोई भी उल्लेखनीय कार्यवाही उसके उत्थान के लिये, उसकी प्रगति के लिये हमारी सरकार ने नहीं की। जब मैं इस बजट को देखता हूं तो उसमें उस पिछड़े हुये इलाके के लिये कुछ भी नहीं प्राविधान किया गया है। चकराता तहसील को बहुत से हमारे मित्र जानते हैं कि वह एक पहाड़ी इलाका है लेकिन खाद्य मंत्री जी के पास जब हम जाते हैं और उनसे कहते हैं कि जिस प्रकार से टेहरी, उत्तर काशी, गढ़वाल, अल्मोड़ा और चमोली के लिये सरकार राशन की व्यवस्था करती है उसी प्रकार से वहां भी करे तो वह कह देते हैं कि हम ने वह कर दिया है लेकिन जब हम अपने अधिकारियों से पूछते हैं और कहते हैं कि राशन लाइये तो वे कह देते हैं कि यह पहाड़ी क्षेत्र नहीं है इसलिये यहां पर अन्न नहीं दिया जा सकता। जब आप उसको पहाड़ी इलाका एक बात में नहीं बल्कि बहुत सी बातों में मानते हैं तो क्यों नहीं उसको पहाड़ी जिला घोषित करते हैं? उसमें कोई विषमता नहीं होना चाहिये।

एक बात और हमारे लिये चकराता तहसील में मुश्किल की यह हो रही है कि अभी तक सरकार इस बात के लिये अग्रसर थी कि वहां पर उत्थान के काम किये जांय लेकिन अब सरकार कुछ ऐसे कदम उठा रही है जिससे वहां के लोगों का जीवन बड़ा लिमिटेड और संकुचित कर दिया जायगा। केन्द्रीय सरकार का ऐसा सुझाव है कि उस एरिया को प्रोटेक्टेड एरिया घोषित कर दिया जाय। मैं यह निवेदन करूंगा कि इसको यदि प्रोटेक्टेड एरिया घोषित कर दिया जायगा तो वहां के लोगों की लाइफ पैरालाइज्ड हो जायगी। यदि आप उस एरिया को प्रोटेक्टेड एरिया डिक्लेयर करते हैं तो मैं यह निवेदन करूंगा कि वहां के लोगों को वह सब सहूलियतें मिलनी चाहिये जो उत्तराखंड के लोगों को मिलती है।

एक बात यह भी कहना चाहूंगा कि देहरादून जिला उद्योग के संबंध में काफी पिछड़ा हुआ है। पिछले दिनों सरकार की तरफ से कहा गया है कि वहां पर सीमेन्ट फैक्टरी खुलने वाली है। मान्यवर, कोई भी फैक्टरी अगर लगती है तो उसके लिये यातायात के साधन विशेषकर रेल या दूसरे साधन होना जरूरी है। तभी वहां पर कोई फैक्टरी सही रूप से चल सकती है और अच्छा काम कर सकती है। इस सिलसिले में मैं यह भी निवेदन करूंगा कि मेरे क्षेत्र में वहां पर जमुना स्कीम चल रही है। उसका वहां पर अब सेकिंड स्टेज चल रहा है। उस काम के उपकरण ले जाने केलिये बड़ी असुविधा हो रही है। इस बात की असुविधा सभी लोग महसूस कर रहे हैं। ऐसी दशा में हमारी सरकार को केन्द्रीय सरकार से इस विषय में लिखा पढ़ी करनी चाहिये और बतलाना चाहिये कि वहां पर रेलवे लाइन की बहुत जरूरत है ताकि जमुना स्कीम की जो बड़ी बड़ी मशीनें और उपकरण हैं वह ले जा सकें और सीमेंट फैक्टरी खुलने वाली है उसको भी फायदा पहुंचे। ऐसा मालूम होता है कि यह स्कीम कुछ खटाई में पड़ गयी है, केन्द्रीय सरकार ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखा रही है। तो मैं फिर निवेदन करूंगा कि हमारी सरकार केन्द्रीय सरकार पर जोर दे कि देहरादून से चुहड़पुर तक रेलवे लाइन जरूर निकाले।

श्री उपाध्यक्ष—

आपका समय समाप्त।

*श्री खेमचन्द (जिला आगरा)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी जब माननीय वित्तमंत्री ने आय व्ययक प्रस्तुत किया था तो सबसे बड़ा जोर इस बात पर दिया कि इस वर्ष बजट में कोई विशेष घाटा नहीं है और बहुत ही संतुलित बजट इस वर्ष रखा जा रहा है। इस बात को सुन कर मुझे गालिब साहब का एक शेर याद आ रहा है—

"एक था हरफे वफ़ा, लिखा था सो भी मिट गया।
ज़ाहिरा कागज़ तेरे खत का गलत बरदार है।"

मान्यवर, बड़े जोर से कहा जा रहा है कि कोई नया कर नहीं लगाया जायेगा, ३१ लाख का घाटा कोई विशेष नहीं माना जाता है। ठीक है, यह कहा जा सकता है कि सरकार कुछ समझने की कोशिश कर रही है, लेकिन वास्तविकता यह है कि हाथी के दांत खाने के और तथा दिखाने के और हुआ करते हैं। अब तक का जो हमारा प्रशासन है उस आधार पर सरकार ने हमेशा अपनी नीति और कार्यों में कुछ न कुछ विशेष रखने की चेष्टा की है और उन पुराने वादों को भी वह पूरा नहीं कर सकी जिनके आधार पर वह हमेशा कुछ नीतियों का दावा किया करते हैं। एक तो कांग्रेस पार्टी जनतंत्र की रक्षा का हल्ला मचाया करती है कि सिवाय उनके जनतंत्र की कोई रक्षा नहीं कर सकता। दूसरा नारा समाजवाद का है जिसके विभिन्नतम रूप हमारे सामने आ चुके हैं। पहले "समाजवादी समाज" की रचना, फिर "लोकतंत्रीय समाजवाद"

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री खेमचन्द]

आया और जब जयपुर का "तमाशा" किया गया तो समाजवाद की स्पष्ट रूप रेखा लाने की कोशिश की गयी, लेकिन व्याख्यात्मकरूप से वह कैसा होगा इस पर कोई स्पष्ट नीति नहीं मालूम पड़ी। कैसा होगा, किस प्रकार का होगा, किन लक्ष्यों पर आधारित होगा इसपर कोई ध्यान नहीं है। जनता के सामने एक नया शोशा रखना उनकी नीति का कारण है। क्या उसका यही अर्थ है कि अधिक मालदार और अधिक मालदार होता जाय और जिसको कम प्राप्त हो रहा है वह और कमी प्राप्त करे और गरीब गरीब होता जाय।

नीतियों में हम देखते हैं कि हम प्रत्यक्ष कर नहीं लगायेंगे अप्रत्यक्ष लगायेंगे, क्योंकि अप्रत्यक्ष कर सीधे-सीधे साधारण जनता पर पड़ता है और गरीब जो एक रुपये की मजदूरी करता है तो उसको अगर चूड़ी खरीदनी है तो १४ पैसे देने पड़ते हैं, जब अनाज लेगा तो और कुछ देगा और अगर कहीं और सामान खरीदने की कोशिश करेगा तो १०–१०, ५–५ और लग जाते हैं और दुःख यह होता है कि सेल्स टैक्स के २–२, ३–३ साल के एरियर्स लगे हुए हैं, लेकिन जनता से सीधे वसूल होता है। यह सीधा सरकार को आ जाना चाहिये, लेकिन जो बीच का पूंजीपति है वह बीच में ले लेता है और अपने अपने खातों में डालकर अपना कारोबार चलाता है। जनता का पैसा सीधे सरकारके पास न आकर, एक व्यक्ति अपने मुनाफे के लिये उससे फायदा उठाने की कोशिश करता है। और जब सदन में बार-बार इस बात के लिये चेतावनी दी गयी कि सरकार का जो बकाया वसूली के लिये पड़ा है, जैसे आडिट रिपोर्ट में ही है कि ११ करोड़ से अधिक रुपया एरियर्स का सेल्स टैक्स का ही है लेकिन उसका कोई इलाज नहीं है। और जब सरकार के पास केस लाया जाता है तो उसके लिये इंस्टालमेंट में वसूल करने की व्यवस्था की जाती है। इससे इसकी क्या उपयोगिता सिद्ध होती है कि साधारण जनता से जो पैसा वसूल किया जाता है वह सीधे सरकार के पास न जाकर, बीच का एक पूंजीपति उससे फायदा उठावे और हम उस पर कोई कार्यवाही न कर पावें ? यह कौन सा समाजवाद आयेगा। यह समाजवाद तो अन्धों की एक शृंखला जैसी है जो एक लाइन में खड़े हैं और आगे अंधा समझ नहीं पाता कि आगे क्या आ रहा है और उसके पीछे वाला अंधा उसकी पीठ पकड़ कर खड़ा है और समझ नहीं पाता कि आगे क्या हो रहा है, इस तरह से सब एक दूसरे की पीछे पकड़ कर खड़े हैं। वही हालत यहां की है। क्या समाजवाद लाने के लिये इस प्रकार की नारेबाजी से जनता का कोई भला हो सकता है? क्या सरकार अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए उन एरियर्स को वसूल करने की कोशिश कर रही है ? माननीय नेगी जी ने उस दिन बड़ी मजबूती के साथ कहा कि सरकार मिक्स्ड इकोनामी की तरफ बहुत ध्यान दे रही है। उस बात को कहते हुए माननीय नेगी जी सब चीज को मिक्स्ड कर दिया और इस तरह से पूंजी भी मिक्स्ड, पूंजीपति भी मिक्स्ड, जनता भी मिक्स्ड और इस तरह से सब का अपने एक मिक्सचर तैयार कर दिया। लेकिन मिक्स्ड इकोनामी का नारा लगाते हुए माननीय नेगी जी ने इस पर कोई रोशनी नहीं डाली।

माननीय राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में ३–४ पैराग्राफ खाद्यान्न के संबंध में कहा है। आज खाद्यान्न की स्थिति क्या है, माननीय वित्त मंत्री ने भी अपने बजट भाषण में बड़ा लम्बा चौड़ा इसके लिये कहा है। लेकिन खाद्यस्थिति कहां है ? प्रश्न करने से पता चला कि बम्बे से यहां तक आने में ही अन्न के २५६ बोरे सड़ गये, अब आप ही सोचिये कि इसकी उपयोगिता, दयानतदारी, जनता के प्रति विश्वासप्रियता और विश्वासनिष्ठा के लिये सरकार को क्या कहा जाय। आज यहां कर्मणयता का बड़ा दावा किया जाता है और कहा जाता है कि सरकार ने कृषि के लिये प्राथमिकता दी है लेकिन इसका कार्यान्वयन कहां तक होता है इसका कुछ जिक्र आडिट रिपोर्ट में है। कृषि के लिये कोई अनुसन्धान केन्द्र खोला गया जिसका खर्चा भारत सरकार वहन करती थी। सन् १९६१ से ६३ तक इस एग्रीकल्चरल रिसर्च कौंसिल ने कृषि संबंधी कोई रिसर्च करके नहीं दिया। वह इन तीन वर्ष तक केवल रजिस्टर्स का रिसर्च करती रही, अधिकारियों व कर्मचारियों की हाजिरी पर रिसर्च करती रही, इसके बाद भारत सरकार ने उस व्यय भार को वहन करना बन्द कर दिया। इस तरह से जब प्रादेशिक

सरकार के ऊपर उसके व्यय की बात आयी तो इस सरकार ने उस अनुसन्धान केन्द्र को ही बन्द कर दिया और इस तरह से ३ साल तक जो रुपया उस पर खर्च हुआ वह सब बेकार गया। फिर किस आधार पर यह सरकार कहती है कि वह कृषि संबंधी कार्य को लेकर आगे चल रही है।

श्रीमन्, हमारे यहां कुछ अनुमानित आंकड़े होते हैं और कुछ वास्तविक आंकड़े होते हैं। सन् १९६४-६५ के वास्तविक आंकड़े को ही ले लें। जो हमारी सरकारी मशीनरी है वह अपने विवेक से आंकड़े बना कर दे देती है, माननीय मंत्री को अपना ज्ञान या अनुभव तो रहता नहीं कि कहां पर कितना खर्च होगा, जो कुछ उनके अधिकारी ने बना कर दे दिया वे उसी पर दस्तखत कर देते हैं। यह सही है कि जो आफिसर होते हैं उनको अर्थशास्त्र का ज्ञान होता है और वे जो कुछ भी लिख कर दे देते हैं माननीय मंत्री जी उन पर दस्तखत कर देते हैं। वास्तविक आंकड़े तो व्यय के बाद ही मालूम होते हैं। इस संबंध में आडिट ने बार बार चेतावनी दी है। इस आधार पर अगर हम अपने अनुमानित व्यय के ऊपर नियन्त्रित होकर जनता के हित की बात कर सकते हैं तब तो बात हो सकती है नहीं तो कुछ नहीं हो सकता है।

मान्यवर, सकार का नारा है कि हम विकासवाद की ओर चल रहे हैं। विकास करने के लिये आवश्यक है कि जो गिरे हुए लोग हैं, जो पिछड़े हुए व्यक्ति हैं, विकास उन आदमियों का हो, जिसे समाज का सबसे पिछड़ा हुआ अंग कहा जाता है। इन्हीं पिछड़े हुए व्यक्तियों के लिये हमारी सरकार की ओर से अनुदान दिया जाता है केवल ७५० रु० मकान बनाने के लिये। ७५० रु० में कौन सी झोपड़ी खड़ी हो जायेगी। उस ७५० रु० में से ३०० रु० के करीब तो कागजात बनाने और दरखास्त वगैरह के पूरा होते-होते खर्च हो जाते हैं। इन सब फार्मेलिटीज में ये पैसा खर्च हो जाता है। उस गरीब को इस तरह से कोई फायदा नहीं पहुंच पाता और न ही वह मकान बना सकता है। अगर पिछड़े आदमी की आप सहायता करना चाहते हैं तो उस आदमी को सहायता डायरेक्ट मिलनी चाहिये, अगर इन्सपेक्शन करना है तो सुपरवाइजर जाय और देखकर रिपोर्ट दे। तब तो उसकी सहायता हो सकती है नहीं तो उसकी सहायता नहीं हो सकती।

आज कहा यह जाता है कि हम पिछड़ी जातियों के लिये बहुत कुछ कर रहे हैं। मैं तो इस पक्ष का हूं कि जो वास्तव में पिछड़े हुए हैं उसी को सहायता मिलनी चाहिये लेकिन जिसको समाज में इज्जत मिली है उसको धन की भी सहायता मिलती चली जाय, यह अनुचित है। सरकार अपनी नीतियों को समानता के आधार पर चलाने की कोशिश कर रही है, मैं यह मानता हूं कि सरकार द्वारा नारेबाजी हो रही है, मैं यह मानता हूं कि हम अपने नेताओं की तस्वीरें बहुत अच्छी बना सकते हैं। उन महात्मा गांधी के अनुगमन करने के बाद हमने बाहर से तो उनके द्वारा बताया गया सफेद खद्दर का कोट पहन लिया पर अन्दर से दिल जो है वह स्याही से भी ज्यादा काला है। यही कारण है कि हम अपने गरीब भाईयों को एकोमोडेट नहीं कर सकते, जिससे हमारा संबंध है, उनके बारे में हम कोई परवाह नहीं करते। क्या हम इस प्रकार से ही समाजवाद चला सकते हैं ?

श्री उपाध्यक्ष—

अब आपका समय समाप्त।

श्री शिवराजसिंह (जिला बदायूं)—

उपाध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश के गंगा-यमुना के प्रसिद्ध जरखेज मैदान के एक कृषक की हैसियत से, भारतीय नागरिक और विधायक की हैसियत से मेरे नजदीक यह बड़े शर्म और निदामत की बात है कि केन्द्रीय खाद्य मंत्री को दिल्ली स्थित ४४ राष्ट्रों के दूतावास के हाई कमिश्नर और राजदूतों के समक्ष भारतीय भूख मिटाने के लिये भीख का दामन फैलाना पड़ा। मुझे, मान्यवर, रूहानी, तकलीफ है कि वर्ल्ड काउन्सिल आफ चर्चेज की अपील पर और Vitacan Rome के Pope Paul की अपील पर आज दुनिया भर के गिरजाघरों में भारतीय भूख मिटाने के लिये घंटे बजा बजा कर भीख मांगी जा रही है। मान्यवर, मैं अभूतपूर्व

[श्री शिवराज सिंह]

इन संगीन घटनाओं का वर्णन इसलिए कर रहा हूं कि मुझे आशा थी कि उत्तर प्रदेश की सरकार की नीतियों पर उनके प्रोग्राम पर और उनके प्रोग्राम को कार्यान्वयन करने की शैली तथा रफ्तार पर भारी प्रभाव पड़ेगा, परन्तु श्रीमन्, इस दृष्टि से, दृष्टिपात करने पर, मुझे भारी निराशा हुई। मान्यवर, मेरा निश्चित मत है कि बिना केन्द्रीय सरकार की ओर देखते हुए उत्तर, प्रदेशीय सरकार को, आज विरोधी दलों के नेताओं से परामर्श कर के और इस सदन में बहस-मुबाहिसे का भी अवसर देकर उत्तर प्रदेश की एक खाद्य नीति की घोषणा शीघ्र करनी चाहिये।

मान्यवर, तीसरी पंचवर्षीय योजना के काल में कृषि उत्पादन ११८ लाख टन और १४५ लाख टन के बीच में घटता बढ़ता रहा है। २७ लाख टन का फ्लकचुएशन हुआ है। लेकिन इन पांच वर्षों में खाद्य मन्त्री जी ने सदैव केन्द्र के सामने अपनी मांग हर वर्ष १०-१५ लाख टन की ही रखी है। ये आंकड़े इस बात की दलील हैं कि कैसे निराधार हमारी सरकार अपना केस सेंटर के सामने रखती है। प्रदेशीय सरकार को जितना खाद्यान्न राशन वाले शहरी क्षेत्रों को खिलाने के लिए दरकार था। उस की महज मांग केन्द्र से करते रहे। उस मांग का कोई वास्तविक सम्बन्ध प्रदेश की कृषि पैदावार से नहीं रहा और न प्रदेश में विशेष खाद्यान्न इकट्ठा करने के यत्न किये गये। हमारी खाद्य नीति स्पष्ट यह होनी चाहिये कि हमें कहीं से गल्ला मांगने की आवश्यकता नहीं है और हम खाद्यान्न में आत्मनिर्भर होने का और रहने की घोषणा करते हैं। पेश्तर इसके कि मैं प्रदेश की कृषि नीति के सम्बन्ध में कुछ कहूं, मैं मुख्य मन्त्री जी को कृषि इकानामी के सम्बन्ध में जो उन की ब्यूरोक्रेसी ने भ्रांति पैदा करदी है उसे दूर करना जरूरी समझता हूं। माननीय मुख्य मन्त्री ने महामान्य राज्यपाल के सम्भाषण के धन्यवाद के प्रस्ताव की बहस के सम्बन्ध में जवाब देते हुए यह कहा था कि यह एक अच्छा प्रतीक है उत्तर प्रदेश की इकानामी में कि ६०-६१ में जहां कृषि की आय प्रदेश की पूरी आय का ६१ प्रतिशत थी वह घटकर ६४-६५ में ५७.६ प्रतिशत रह गयी है। लेकिन उन्होंने उस किताब को आगे पढ़ने की कोशिश नहीं की जिस में एनुअल कम्पाउन्ड रेट आफ ग्रोथ विभिन्न क्षेत्रों के दिये हुये हैं। खेती क्षेत्र का आंकड़ा ६३-६४ में निगेटिव ३.०० है माइनस ३। ६४-६५ में यह आंकड़ा विभिन्न क्षेत्रों से सम्बन्धित आंकड़ों में सब से कम है। मिसाल के लिए, कृषि के क्षेत्र में कुल आय ६०-६१ में १११६.९१ करोड़ थी। ६४-६५ में बढ़कर ११८४.३६ हुई, यानी ६ परसेंट की वृद्धि हुई, ५ साल में। लेकिन सर्विसेज में ३००.३० से बढ़कर ३६८.४६ करोड़ रुपये हुई। ऐब्सोल्यूट वृद्धि कृषि की आय से इस क्षेत्र में ज्यादा है। कृषि की नीति को निर्धारित करने में यह सरकार दूसरे देशों से भी सबक ले सकती है।

गत वर्ष मुझे संयुक्त राज्य अमेरिका के १२ राज्यों में घूमने का मौका मिला था। उन राज्यों से हम बहुत सी बातें सीख सकते हैं। आवश्यकता पड़े तो इस सदन के सदस्यों को हम इजराइल और जापान को भी अध्ययन के लिए भेजने की बात सोच सकते हैं। कृषि नीति का इन्ट्रीगल पार्ट होना चाहिये दाम नीति। अमरीका में ऐसा है। आलू का दाम सन् ६६ में १ महीने में ४०, ५० रुपये प्रति क्विन्टल से घट कर १५, २२ रुपये तक आ गया है, लेकिन सरकार के कान पर जूं नहीं रेंगी है। गत वर्ष के खांडसारी और गुड़ के भाव को इस वर्ष के भाव से मुकाबला करें तो आप जमीन-आसमान का फर्क पावेंगे। इसी तरह से खाद्यान्नों के भावों में वर्ष भर में भारी उतार चढ़ाव आ जाते हैं। माननीय कृषि मन्त्री जी ने और इस सरकार ने कान में तेल डाल रखा है। सरकार को दामों में स्थिरता कायम करनी होगी और मुख्य चीजों के, जो इन्सान के इस्तेमाल की हैं, दाम स्तर निर्धारित करने होंगे। कृषि उत्पादन का कास्ट आफ प्रोडक्शन नियत कर के उसे बढ़ने से रोकना होगा। यह तय करना होगा कि डिपार्टमेंट किस प्रकार से काम करे ताकि सरकार की कृषि नीति और दाम नीति सफल हों। मिसाल के लिए, भूमि का लगान उत्तर प्रदेश में प्रति एकड़ में सब राज्यों से ज्यादा था। मैं इस के औचित्य पर बहस नहीं करता हूं कि उसका बढ़ाना ठीक था या नहीं। लेकिन जब आप के ला मिनिस्टर ने ऐलान कर दिया कि अब ग्रेव इमर्जेन्सी नहीं है तो यह मुनासिब होगा कि वह लगान जो बढ़ाया गया है, सवाया किया है, उसे वापिस लें।

श्रीमन्, आप देखें कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा है कि इस वर्ष गत वर्ष की अपेक्षा आबपाशी का क्षेत्रफल भी बढ़ा है और ट्यूबवेल्स के चलने के घंटे भी बढ़ गये हैं। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि इस सिंचित रकबे को घंटों से तकसीम कर दिया जाय तो आपको मालूम होगा कि इस वर्ष किसान को अधिक समय लगा है प्रति एकड़ की आबपाशी पर। बिजली की दरें बढ़ गयीं इसलिये किसानों को फी एकड़ आबपाशी के लिये ज्यादा देना पड़ा है। उत्तर प्रदेश में बिजली की दरें और राज्यों के मुकाबले में ज्यादा हैं। उत्तर प्रदेश में कृषि के लिये बिजली की दरें १० से २५ पैसा है, केरल में ६ पैसा, मद्रास में ७ पैसा, मैसूर में ३–५, आंध्र में ८ पैसा, पंजाब में ९ पैसा, मध्य प्रदेश में ९ से ११ पैसा, उड़ीसा में जो एक पिछड़ा हुआ प्रदेश है, उसमें ८–९ पैसा है। मान्यवर, इतना ही नहीं है देखने से यह स्पष्ट मालूम हो जाता है सन् ५२ से आज तक किस प्रकार से बिजली की दरें बढ़ाई जा रही है। यह बढ़ोत्तरी जो हो रही है वह नान-प्रोडक्टिव पावर में नहीं हो रही है बल्कि प्रोडक्टिव में हो रही है इन्डस्ट्रीज के क्षेत्र में यह दरें १०–१५ प्रतिशत बढ़ी हैं, और कृषि क्षेत्र में तो १०० प्रतिशत से अधिक वृद्धि हुई है।

अब देखिये हमारे Programme का रुख क्या है? हम कृषि के उत्पादन में काम आने वाली चीजों की कीमतों को तो घटाना नहीं चाहते और चाहते हैं खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ जाय और उनका दाम भी सस्ता हो जाय। बड़ा शोर था कि चकबन्दी के बाद चारों ओर रहट लग जायंगी। मैं रसद मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि क्या उन्होंने रहट के लिये आज तक एक तखता टीन भी दी है? जितने भी इम्प्लीमेंट्स बनते हैं, चाहे वे टीन के बने चाहे लोहे के बने, उनको ब्लैक मार्केटिंग के मेटीरियल से ही बनाना पड़ता है और उनका दाम किसान को देना पड़ता है और उन पर क्वालिटी मार्केटिंग भी नहीं होता। जितना फर्टिलाइजर और इंसेक्टीसाइड का रा मेटीरियल कारखानों को दिया जाता है उससे तिगुना इंसेक्टीसाइड प्रदेश के संबंधित महकमें को दिया जाता है। इससे अधिक ज्वलन्त सबूत adulteration का क्या हो सकता है। उसकी प्योरिटी का यह आलम है कि डायरेक्टर शुगर केन शाहजहांपुर ने प्योरिटी की जांच करायी तो जिसकी प्योरिटी ५ प्रतिशत होनी चाहिये थी, वह .५ प्रतिशत निकली। उसमें मिट्टी भी मिली हुई पायी गयी।

इसके अलावा आपने १ फरवरी से उत्तर प्रदेश में फर्टिलाइजर के दाम बढ़ा दिये हैं। नाइट्रोजन वालों में २५ प्रतिशत, फासफेट्स में २०–२५ प्रतिशत दाम बढ़ा दिये गये हैं। इसी प्रकार से एमोनियम सल्फेट, यूरिया आदि में दामों को बढ़ा दिया गया है। श्रीमन्, जहां तक आवश्यकतानुसार उपलब्धि का सवाल है वह इस प्रकार है—नाइट्रोजन ५० प्रतिशत, फासफेटस २५ प्रतिशत, उपलब्ध है। तात्पर्य यह है कि न तो हमें कृषि का सामान पूरी मात्रा में ही मिलता है, न शुद्ध मिलता है, न समय से मिलता है और न सही कीमत पर ही मिलता है। हर साल कृषि में काम आने वाली चीजों की कीमतें बढ़ती जाती है और कृषि उत्पादन को आप चाहते हैं सस्ता मिल जाय। श्रीमन्, दूसरी आवश्यकता कृषि के साथ साथ कृषि इन्पुट्स की क्षमता बढ़ाना है। आज हमें यह भी करना होगा कि जितना ज्ञान हमें है उसको हमें ग्रामों तक पहुंचाना पड़ेगा। श्रीमन्, प्राकलन समिति की कृषि से संबंधित उप समिति का कन्वीनर होने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इत्तिफाक से जब भी किसी रिसर्च इन्स्टीट्यूट में जाने का अवसर हुआ है तो हमने देखा है कि इस प्रकार का कोई मोड़ हमारी कृषि खोज को अभी नहीं दिया गया है। कृषि सामग्री की उत्पादन क्षमता बढ़ाने में ही प्रदेश का कल्याण है। इसी से ही कृषि उत्पादन बढ़ेगा और कृषि उत्पादन उप भोक्ता को सस्ती मिल सकेंगी।

यह एक निर्विवाद तथ्य है कि कृषि तथा उद्योग दोनों क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश की उन्नत गति सारे भारत के मुकाबले में बहुत ही मद्धिम रही है। इसका एक विशेष कारण यह है कि उत्तर प्रदेश जिसमें ६६ प्रतिशत से अधिक आबादी पिछड़े वर्ग की है उसको प्रदेश की आर्थिक अवस्था सुधारने का अवसर नहीं दिया जाता है। विशेषज्ञों का निश्चित मत है कि Intelligence quotient हर व्यक्ति का बराबर है। बुद्धि और विवेक किसी वर्ग विशेष की monopoly

[श्री शिवराज सिंह]

नहीं है। प्रदेश की ४० % नौकरियां ७५ प्रतिशत औद्योगिक संस्थानों और लगभग ७० प्रतिशत भूमि पर ३३ प्रतिशत प्रदेश की आबादी का कब्जा है और प्रदेश की ६६ प्रतिशत पिछड़े वर्ग की आबादी अपना योगदान प्रदेश की आर्थिक अवस्था को सुधारने में असमर्थ रखी जाती है।

गत वर्षों में पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों को P. T. C. के दाखले संबंधी जो आयु में ४ वर्ष की रियायत थी वह समाप्त कर दी गई। वजीफों के देने का आधार बजाय social और educational पिछड़ेपन के आधारों के economic पिछड़ेपन को ही आधार बना दिया और अधिक तर वजीफे पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों को नहीं मिल पाये। उत्तर प्रदेश की सरकारी नौकरियों में पिछड़े वर्ग की संख्या तेजी से घटती जा रही है। अब मैं अन्त में सरकार का ध्यान प्रदेश की दो समस्याओं की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। एक तो प्रदेश की जमीन की फ्रेगमेंटेशन की है, छोटे-छोटे टुकड़ों में बंटते जाने की समस्या है, इसको आप रोकिये चाहे वृद्धि की कुछ भी आपको करना पड़े। Rule of primogeni-ture लगावें या और उपाय करें। दूसरी समस्या है हमारे पशुओं की आबादी उनकी तेजी से बढ़ रही है। आज ड्राफ्ट कैटिल की समस्या हमारे प्रदेश में है। हमारे प्रदेश में औसतन १०० एकड़ बोई गई भूमि पर ३३ draught cattle की औसतन आबादी है। और प्रदेश के कुछ जिलों में यह आंकड़ा ११८, है कुछ में ५०–६० के बीच है। एक cattle को स्वयं एक एकड़ भूमि चाहिये। इन आंकड़ों से आप इस समस्या के आयतन का अन्दाजा लगा सकते हैं और इस का हल ढूंढ़ने की आवश्यकता को समझ सकेंगे। प्रदेश की इन बढ़ती हुई भावी गंभीर समस्याओं पर भी ध्यान देना चाहिये अन्यथा posterity हम को हमारी उदासीनता के लिये जिम्मेदार ठहरायेगी।

श्री उपाध्यक्ष—

अब आपका समय समाप्त हो गया।

श्री महादेव (जिला फैजाबाद)—

उपाध्यक्ष महोदय, माननीय दुबे जी की नौकरशाही के भाषण के बाद मुझे कुछ नहीं कहना है और सही माने में यदि यही रवैइया रहा कि हमारी शासन व्यवस्था, सारी बागडोर नौकरशाही के हाथों में चले तो हमारा भविष्य बहुत अन्धकारमय है।

जहां तक खेती के बारे में माननीय सदस्य महोदय ने भाषण दिया मैं समझता हूं कि उसमें मुझे थोड़ा ही जोड़ना है और वह यह है कि दाम नीति तय होनी चाहिये। पिछले वर्षों में जो शहरी आबादी है वह बिना पढ़े लिखे लोगों और किसानों को बहुत लूटती रही है जिसका प्रतिफल आज इस भुखमरी के रूप में आया है। अब आप यह स्वप्न छोड़ दें कि किसानों से मनमाने तौर से अनाज लिया जायगा और अधिकतर चीजों को मनमाने मुनाफे पर बेचा जायगा। दोनों चीजे एक साथ नहीं हो सकती है। यह खुली हुयी बात है कि हमारी खेती और उद्योग से पैदा हुई चीजों के दाम संतुलित नहीं होंगे तो किसान का शोषण भी बन्द नहीं होगा और देश में खेती की उपज में भी वृद्धि नहीं होगी।

एक सुझाव मेरा यह है कि उपज की वृद्धि के लिये यह जरूरी है कि किसानों को जितनी सुविधायें दी जायं वहां एक बात और बहुत जरूरी है कि किसानों को भ्रष्टाचार के चंगुल से बचाया जाय और इसमें माल विभाग का बहुत बड़ा हाथ है, लेखपालों के हाथ से तो खसरे के खाना कैफियत को अलग किया गया है लेकिन कानून गो और तहसीलदारों के हाथ में दे दिया गया है। उसका फल यह हो रहा है कि गरीबों की जमीन छिन रही है। मेरा सुझाव है कि इस खसरे के काबिज के इन्द्राज को ही खत्म किया जाय। उसकी जरूरत ही नहीं है। किसान स्वतंत्र हुआ, आपने जमींदारी समाप्त करके उसकी कमर को सीधा करने की कोशिश की लेकिन आज उसकी कमर के ऊपर नौकरशाही अपना बस्ता लेकर बैठ गई है, यह उचित नहीं है। किसानों को उससे भी मुक्त करना है। यह काबिज इन्द्राज के झगड़े को बिलकुल खत्म किया जाय यह मेरा नम्र सुझाव सरकार से है।

एक मेरा सुझाव और है कि सिंचाई के विषय में अकसर शिकायतें चलती हैं। क्या ही अच्छा होता कि यह सरकार इतना कर देती कि सिंचाई विभाग को भी कृषि विभाग से सम्मिलित कर देती और एक ही मंत्री के हाथ में यह दोनों चीजें होतीं और यह कार्य सुचारू रूप से चलता! इससे इस जिम्मेदारी को निभाने में भी ज्यादा सुभीता होता। यह सुझाव यद्यपि बजट का नहीं है लेकिन इन सब चीजों का उत्पादन पर प्रभाव पड़ता है इसलिये इस ओर ध्यान दिलाना आवश्यक है।

लगान की बढ़ोत्तरी का जहां तक सवाल है, यह सरकार की प्रतिष्ठा का सवाल है। उसने वादा किया था कि यह बढ़ोत्तरी हम केवल संकट काल के लिये ही कर रहे हैं। अगर सरकार अपने इस वादे से हट जाती है तो उससे देश का हानि लाभ जो भी हो लेकिन उससे भी बड़ी एक चीज यह है कि अगर सरकार की बातों पर जनता का अविश्वास हो गया कि सरकार भी वादा कर के धोखा देती है तो उसका प्रभाव भविष्य में बहुत ही खतरनाक पड़ेगा। गांधी जी ने ५० करोड़ रुपया पाकिस्तान को देना तय कर दिया सरकार की प्रतिष्ठा के लिये। उन्होंने कहा था कि अगर आज ही हमारा विश्वास उठ गया तो दस बरस बाद हमें दुनिया में कोई नहीं पूछेगा। सरकार की बात की प्रतिष्ठा होती है, माननीया मुख्य मंत्री ने अपने बयान में कहा था कि हम केवल संकट काल के लिये ही ४ आने रुपये की यह बढ़ोत्तरी कर रहे हैं लेकिन अब लड़ाई खत्म हो गई और संकट काल स्थिति नहीं रही, तो उन्हें अपने वादे को पूरा करना चाहिये और वह ४ आने का भार हटाना चाहिये।

एक नम्र सुझाव मेरा और है कि निजी नलकूपों पर जो कानूनी शिकंजा नहरों और नलकूपों का लगा है उसको हटा लिया जाय। किसान को खुली छूट हो, वह जो भी चाहें सिंचाई के साधन लगा सके, कोई प्रतिबन्ध न रहे। मुश्किल यह है कि विभाग अपने मुनाफे की बात सोचता है, वह प्रदेश की उपज की बात नहीं सोचता। पहले उपज की बात सोचना चाहिये न कि मुनाफे की, अगर लाखों मन उपज बढ़ेगी तो वह भी तो प्रदेश का ही लाभ होगा।

एक सुझाव मेरा यह भी है कि जब कभी सूखा पड़े तो सरकार को यह एलान करना चाहिये कि सिंचाई के साधन मुफ्त उपलब्ध होंगे किसान के लिये। पिछली बार सूखा पड़ा, लाखों मन जिन्स खत्म हो गई। पानी नहीं दिया गया, हर जिले में अगर पानी दिया जाता तो लाखों मन गल्ला पैदा होता चाहे सरकार को थोड़ा पैसा न ही मिलता। वक्त पर नलकूपों को मशीनें नहीं चलाई जाती और लाखों मन गल्ले की हानि होती है। साधन हों और वह काम में न लाये जायं और ऐसे वक्त यह बहुत अफसोस की बात है। मैं यहां कोई समाजवाद की बात नहीं करता केवल इतना ही कहना काफी होगा, उसके लिये न समय है न फुर्सत ही है। लेकिन ये छोटे-छोटे सुझाव जो दे रहा हूं इनका बड़ा दूरगामी प्रभाव है। मैं समझता हूं कि सरकार इन बातों की ओर जरूर ध्यान देगी।

एक और सुझाव है हमारी खाद्य की समस्या को हल करने में। दूध घी तो २५ साल तक देन से रहे, अंडा गोश्त देने से रहे, अगर बहुत कोशिश करें तब भी। लेकिन ७०–७५ फीसदी तक हमारी आबादी मछली खाती है और हर गांव सभा में तालाब मौजूद है और इन तालाबों के अन्दर हजारों मन मछली दो साल में गांवों में तैयार की जा सकती है। हम क्यों नहीं कर सकते? सारी स्कीम होते हुए प्रकृति की दुहाई देते हैं। तालाब मौजूद है, केवल मछली का सवाल है। इस को गांव सभाओं के जिम्मे हम क्यों नहीं कर सकते? जहां इतनी ऐक्यूट समस्या है तो हमारा ध्यान इधर क्यों नहीं जाता है?

थोड़े से सुझाव मैं सामाजिक न्याय के लिये देना चाहता हूं। जैसा माननीय शिवराज सिंह ने कहा, एक बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है और वह यह कि हुकूमत की सारी बागडोर चन्द जातियों के हाथ में है। ७० से ७५ फीसदी जातियां हमारे देश की हुकूमत की मशीन से बिल्कुल दूर हैं। हो सकता है कि आप इसको फायदे की चीज सोचते हों, लेकिन यह फायदा का सोचना बहुत संकुचित दृष्टि का काम है। जिस हुकूमत के अन्दर ७०, ७५ फीसदी जनता बहिष्कृत रहे, आप सोच

[श्री महादेव]

सकते है कि ४, ५ साल के बाद एक बड़ी भारी प्रक्रिया हो सकती है जिसका अनुमान नहीं कर सकते। आज तो मजाक मालूम होता है लेकिन जिस तरह से देश जाति, पाति और विभिन्न वर्गों में बटा हुआ है और मानी हुई बात है कि हर जगह जाति के रूप में पक्षपात चल रहा है, स्कूलों में, कालेजों में, थानों में, पुलिस में और सारे विभागों में, उसका नतीजा यह होता है कि दो तीन जातियों के शोषण के अन्दर ७५ फीसदी जनता पड़ जाती है। उसकी कोई आवाज नहीं है। इस तरह की हुकूमत बड़ी बेतुकी हुकूमत है। इसलिये मेरी मांग है कि इस शासन व्यवस्था का सुधार करने के लिये आज ही से आप तय कर लें कि पिछड़े वर्गों को ५० फीसदी जगहें सरकारी नौकरियों में सुरक्षित कर दी जायेंगी, जैसे १८ फीसदी आपने हरिजनों के लिये की, और यह तब तक सुरक्षित रहेंगी जब तक उसी तादाद के अनुसार व सरकारी नौकरियों में नहीं आ जायंगे। अगर आप इस मांग को ठुकरायेंगे तो किसी दिन बहुत बड़ा दाम आपको चुकाना पड़ेगा।

पिछड़ा वर्ग की रिपोर्ट है, जिसमें यह दिया हुआ है कि सोशली और एजूकेशनली जो बैकवर्ड क्लासेज है उनके लिये कुछ किया जाय। लेकिन केन्द्रीय सरकार ने आर्थिक बैकवर्डनैस लगा दिया। क्या तमाशा है? मजाक करते है सारी जनता के साथ! मैं कब कहता हूं कि जो आर्थिक तरीके से बैकवर्ड है उनकी मदद न कीजिये, लेकिन जो सामाजिक पिछड़ापन है उससे आंख मूंद कर आप टिक नहीं सकेंगे। प्रदेशीय सरकार को धन्यवाद है कि उसने कम से कम उसको कायम रखा है। आर्थिक आधार पर जो वजीफे दिये गये उसका नतीजा क्या हुआ? लेखा-पाल ने लिख दिया जिसकी आमदनी शून्य उसको मिल गया और जिसने ईमानदारी से लिख दिया कि आमदनी २५ रु० है तो उसको नहीं मिला। तो सारे झूठे कागज चले गए इस नीति के अनुसार।

अब मुझे कुछ शिक्षा के सम्बन्ध में कहना है। माध्यमिक शिक्षा में लगे हुए जो प्राइवेट स्कूलों के अध्यापक है और जो सरकारी स्कूलों के अध्यापक है उनके बीच जो वेतन में डिसपैरिटी है वह खुला हुआ अन्याय है। तनख्वाह चाहे कम हो या ज्यादा, लेकिन डिसपैरिटी रखना सारे शिक्षक वर्ग पर एक खुला हुआ अन्याय है और शिक्षक वर्ग जब महसूस करता है कि अन्याय हो रहा है तो उसका प्रभाव छात्रों पर पड़ता है। इसलिये मेरा कहना है कि चाहे थोड़ा सरकार को खर्चा बढ़ाना पड़े, लेकिन यह डिसपैरिटी हटा दीजिये।

श्री सुखलाल (जिला इटावा)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूं जो आपने मुझे अपने विचार प्रकट करने का अवसर दिया। माननीय मंत्री जी ने जो बजट पेश किया है उसका मैं समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। कृषि पैदावार बढ़ाने के लिये बड़ी नदियों के बड़े-बड़े बांध डालकर हजारों नहर और बम्बे निकले हैं जिससे लाखों एकड़ जमीन की सिंचाई होती है। मैं अपने इटावा जिले की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं, वहां साढ़े १० लाख एकड़ जमीन है। उसमें दो लाख एकड़ जमीन नदियों के कटान से कट कर बरबाद हो गयी है। दो लाख एकड़ जमीन बंजर ऊसर हो गई है। ढाई लाख एकड़ जमीन बीहड़ सुधार के लये रखी गयी है। इस तरह से साढ़े ६ लाख एकड़ जमीन बेकार पड़ी हुई है। ४ लाख एकड़ जमीन में जो कुछ पैदावार होती है उसके लिये सिंचाई का कोई साधन नहीं है, न कोई बिजली का साधन है। न नये बम्बे और नहर निकाले गये हैं। जो एरिया पहले सिंचाई का था वह जैसा का तैसा बना हुआ है। हर कुलावे पर पानी नहीं बढ़ाया गया है, रकबा बढ़ा दिया गया। बीहड़ सुधार का और अधिक ध्यान दिया गया है तो और भी जमीन में खराबी आ सकती है और चार लाख एकड़ जमीन पर जो पैदावार होती है उसमें भी कमी हो सकती है।

मेरा दूसरा सुझाव यह है कि हमारे जिले की पश्चिमी सीमा पर चम्बल और जमुना नदी का फासला १ फर्लांग है। अगर उसके टीले को काट कर जमुना नदी पर बांध बना दिया जाय और जमुना का पानी चम्बल में डाल दिया जाय तो जमुना नदी से जो ज़मीन बचती

है वह १ लाख एकड़ जमीन बचती है। इस जमीन को अगर गरीबों को दी जाय तो पैदावार बढ़ सकती है।

तीसरा सुझाव यह है कि हमारे जिले में रेशम की ९ समितियां चल रही हैं और हर समिति में २०० आदमी काम करते हैं और ९ सोसाइटी में कम से कम १२५ मन रेशम निकलता है। लेकिन शहतूत जो नहर के किनारे लगे हुए हैं वे काटे जा रहे हैं और अगर शहतूत की पती न मिली तो कीट पालन का काम खत्म हो जायगा और रेशम का जो उद्योग धन्धा चल रहा है वह खत्म हो जायगा। पश्चिमी बंगाल में गांधी आश्रम, जलालपुर में जो शहतूत की खेती होती है उसमे १ एकड़ में कम से कम २०० मन शहतूत की पत्ती पैदा होती है और एक साल में ३, ४ फसलें निकलती हैं और २५ मन पाती पर एक मन रेशम बनता है। इसलिये यहां की शहतूत की खेती खत्म न कर के वैसे ही कराई जाय ताकि रेशम का उद्योग अच्छी तरह चल सके और इसलिये मेरा निवेदन है कि शहतूत के पेड़ जो मेरे जिले में काटे जा रहे हैं वे न काटे जायं। जो नर्सरी है वह खाली पड़ी रहती है। पेड़ वहां खड़े हैं उनमें पांस तक नहीं डाली जाती है और कीट पालन के लिये वह नहीं दी जाती है।

एक चिलिंग प्लान्ट की योजना ५ जिले कानपुर, इटावा, फर्रूखाबाद, उन्नाव आदि जिलों में बनाई गई। लेकिन उस योजना के अन्दर से इटावा जिले को छोड़ दिया गया है और चार जिलों में इंतजाम हो रहा है। हमारे जिले में दूध और घी काफी मात्रा में होता है। अगर इस योजना में हमारे जिले को भी ले लिया जाता है तो हमारे यहां के किसानों को काफी फायदा हो सकता है। इसी तरह से पैदावार के सिलसिले में किसानों को कोई सुविधा नहीं दी गई है। हमारे यहां माननीय कृषि मंत्री जी इटावा में गये थे। वहां अपने पास से एक काश्तकार ने ट्यूबवैल लगाया है। उनसे मंत्री जी ने पूछा कि सरकारी सहायता तुम्हें क्या दी गई है। उसने कहा कि हमें कोई सुविधा नहीं दी गयी है, यह तो हमने अपने पास से रुपया खर्च कर के बनवाया है। उसकी खेती और खेतों से काफी अच्छी है। सरकार की तरफ से ऐसी कोई योजना नहीं चलाई गई है।

हमारे यहां एक गांव गौहानी है वहां मंत्री जी गये। उन्होंने वहां देखा कि चार पेड़ अमरूद के और ४ पेड़ बेर के लगे हैं। इसके अलावा वहां कुछ नहीं है। वहां बीहड़ सुधार योजना चल रही है। इस तरफ हमारी सरकार को ध्यान देना चाहिये। मैं इन शब्दों के साथ इस बजट का समर्थन करता हूं।

श्री चन्द्रबली सिंह (जिला देवरिया)—

उपाध्यक्ष महोदय, इस साल जो बजट भाषण माननीय वित्त मंत्री जी ने दिया उससे ऐसा लगता है कि यह सरकार अन्न के उत्पादन में सिर्फ सूखे से डरी हुई है और इसके अलावा और कोई बाधा अन्न के उत्पादन में शायद आती नहीं है, ऐसा इस सरकार के मन में है। इसीलिये कुछ कुयें खुदवाने और खाद की व्यवस्था के सिलसिले में ही पैसे की व्यवस्था की चिन्ता उसे है। लेकिन अन्न की पैदावार के बढ़ाने के सम्बन्ध में दो मुख्य सवाल हैं। उनकी तरफ ध्यान दिये बिना अन्न का उत्पादन नहीं बढ़ सकता है। वह सवाल यह है कि अधिक पानी बरसने पर उस पानी के निकासी का प्रबंध होना चाहिये और कम पानी बरसने पर सिंचाई की उचित व्यवस्था होनी चाहिये। दुख है पूरा बजट पढ़ जाइये तो आप इसी नतीजे पर पहुंचेंगे कि पानी के निकासी की कोई व्यवस्था इसमें नहीं है। इस सूबे में एक करोड़ एकड़ जमीन में प्रायः बाढ़ आया करती है और ५० लाख एकड़ जमीन में पानी का लगाव होता है। इसके लिये एक भी पैसे की व्यवस्था इस बजट में नहीं है। इस सरकार ने सूखे के लिये ही कदम उठाया है। अगले साल ज्यादा बारिश हो जाय और पानी का लगाव हो जाय, पूर्वी जिले बाढ़ से तबाह हो जायं तो फिर अन्न उत्पादन के लिये यह सरकार नये कदम उठायेगी। आग लगने पर कुयें खोदेंगे। निश्चित तौर पर पानी की निकासी, बाढ़ की रोकथाम तथा सूखा पड़ने पर सिंचाई की व्यवस्था होनी चाहिये, तभी अन्न का उत्पादन जरूरत भर को पैदा किया जा सकता है। देवरिया, गोरखपुर, बस्ती गोन्डा, बहराइच आदि

[श्री चन्द्रबली सिंह]

जिले हैं, ये घाघरा और बड़ी गंडक नदियों से घिरे हुये हैं, सड़कों द्वारा इनका देश के सुदूर हिस्से से कोई सम्बन्ध नहीं है। नतीजा यह है कि जो सभ्यता सड़कों के जरिये पिछड़े इलाकों में जाती है वह सभ्यता वहां नहीं पहुंच पा रही है। इस घाघरा, पर कम से कम पांच पुल बनने चाहिए, तुर्तीपार बड़हलगंज के पास, फैजाबाद में, अयोध्या में, बहराइच में जरवल रोड के पास, और उत्तर के इलाके में, पांच जगह पुल बनाएं, और बड़ी गंडक के भी दो स्थानों पर पुल बन जाय तब सारा सामान गोरखपुर, देवरिया बस्ती, गोंडा, और बहराइच जिलों में आ जा सकता है। सड़कों से इनका सम्बन्ध न होने के कारण यह जिले काफी पिछड़ गये हैं।

मिसाल के रूप में मैं अपने इलाके रुद्रपुर की तरफ सरकार का ध्यान लाना चाहता हूं। यह बाढ़ का इलाका है। सरकार सिंचाई के साधन देने का ढिंढोरा पीट रही है। लेकिन इस सरकार के १८ वर्ष के समय में एक भी कुआं उस इलाके में १२६ वर्ग मील में नहीं खोदा गया, न ट्यूबवैल लगा, न बांध बांध करके राप्ती का पानी रोका गया। इसका नतीजा यह है कि बाढ़ आने पर भी पानी की निकासी नहीं हो पा रही है। सरकार को सुझाव दिया गया कि उस इलाके में बिजली की कम से कम तीन लाइनें तो खींच दें तो बारिश खत्म होने के बाद उस बिजली के सहारे नदियों से पानी निकाल कर किसान अपने मोटर बैठा कर सिंचाई का कोई साधन निकाल लें। सरकार को यह भी सुझाव दिया था कि जोगिया खुर्द ग्राम के पास गुर्रा नदी पर रेगुलेटर लगा दिया जाय तो एक नाला १८ मील नहर बन जायगा जो कठने नाला के नाम से है और उसमें से पानी निकाल कर किसान खेतों को सींच सकता है। लेकिन १८ वर्ष के बाद भी उस इलाके में एक बूंद भी सिंचाई के पानी की व्यवस्था नहीं की गयी। इसका नतीजा यह है कि पूरा इलाका सूखा पड़ा हुआ है। जो बांगर का इलाका है, जो गौरी बाजार से दक्षिण बरहज तक का इलाका है, जिसमें पीला बालू है, उसमें खूबी यह है कि जिस तरह से तेली के कोल्हू से बूंद बूंद कर के तेल निकलता है उसी तरह से उससे पानी निकलता है और उससे किसान सिंचाई करता है। वह शुद्ध अनाज पैदा करने वाला इलाका है लेकिन उस इलाके में ट्यूबवैल देने में कोताही की जा रही है। नतीजा यह है कि बारिश होने पर भी वहां पैदावार नहीं हो सकती।

पिछले तीन वर्ष पहले जब माननीय कमलापति वित्त मंत्री थे तो उन्होंने अपने बजट भाषण में समाजवाद की ओर इशारा किया था लेकिन इस बजट भाषण में समाजवाद शब्द तक नहीं है। एक तरफ जयपुर कांग्रेस में समाजवाद का ढिंढोरा पीटा जा रहा है और जयपुर कांग्रेस के प्रतिनिधि वित्त मंत्री के बजट भाषण में समाजवाद शब्द भी गायब हो गया है। जिसे शब्द रखने की हिम्मत नहीं वह क्रिया कैसे करेगा कौन करेगा? समाजवाद की बात होती तो कम से कम बूढ़ों की ओर से लाने की कोशिश होती। इस प्रदेश में जो बूढ़े और बुढ़ियां हैं उन्हें खाना तक नसीब नहीं हो पा रहा है; उनके लिये सामाजिक न्याय की राज्य की ओर से व्यवस्था होनी चाहिए। हर ६० साल और उस पर की उम्र के मनुष्य के लिये सरकार को पेन्शन की व्यवस्था करनी चाहिये थी किन्तु वह सरकार वह भी नहीं कर रही है तो मैं जानना चाहता हूं कि फिर आखिर यह सरकार कौन सा समाजवाद लाना चाहती है। यदि आप वृद्धों की तरफ से समाजवाद इस देश में नहीं लाना चाहते हैं तो आप बच्चों की तरफ से ही समाजवाद लावें। जितने भी प्राइमरी शिक्षा के स्कूल हैं आप उनको एक समान कर दीजिये। मांटेसरी कानवेंट आदि जितनी शिक्षा पद्धतियां प्रचलित हैं उनको समाप्त कर के आप प्राइमरी शिक्षा एक तरह की कर दीजिये ताकि मुख्य मंत्री, मंत्रियों, अफसरों, गरीबों और भंगियों के बच्चे एक साथ बैठ कर पढ़ सकें, इस तरह उन स्कूलों में सुधार हो सकता है। इस दिशा से आप समाजवाद ला सकते हैं। यदि आप बच्चों द्वारा भी समाजवादी कदम नहीं उठा सकते तो मुझे उम्मीद नहीं है कि आने वाले वर्षों में इस देश में समाजवाद आ जाएगा। यदि आपको यह दोनों कोने पसन्द नहीं हैं तो आप एक तीसरे कोने से देश में समाजवाद लाइये; वह कोना बेकारों का है। आप बेकारों को बेकारी का भत्ता देने की व्यवस्था कीजिये, जिससे उनको विश्वास

हो जाए कि जिस समय वह बालिग हो जाएंगे और काम के लिए सरकार को दरख्वास्त देंगे तो सरकार या तो उन को रोजगार देगी या बेकारी की हालत में उन्हें बेकारी भत्ता देगी। यह भी यदि आप न करना चाहें तो आप के लिए एक चौथा कोना भी है जो रोगियों का है। बड़े अफसरों, एम० एल० एज० और एम० पीज० जिनकी लम्बी चौड़ी तनख्वाहें हैं उनके लिये तो सरकार की तरफ से दवा की व्यवस्था है। उन्होंने एक चिट्ठी लिख दी और उन को अस्पताल से बढ़िया से बढ़िया दवा मिल जाती है। लेकिन जो मजदूर हैं, रिक्शे वाले हैं खेतिहर मजदूर हैं जिनको अपने पास से दवा करनी है, जब उनकी आर्थिक हालत अत्यन्त दयनीय है, वे कैसे अपनी दवा कर सकते हैं ?

समाजवाद की ओर कदम बढ़ाने के लिये चार कोने हैं, लेकिन आप किसी भी तरफ से कदम नहीं बढ़ाना चाहते हैं। आप तो कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। आपकी कथनी और करनी में भारी अन्तर है। आप तो मुंह में राम और बगल में छुरी ले कर चलते हैं। आप तो समाजवाद चिल्लाते हैं किन्तु समाजवाद को काटना चाहते हैं। तिब्बत में एक राजा था जो बड़ा ही दयालु था। उसने तीन बार अपनी जायदाद जनता में बांट दी और जब चौथी बार वह ऐसा करने लगा तो उसकी माता ने उसे विष देकर मार डाला। यह जघन्य अपराध उस माता ने वर्ग स्वार्थ की रक्षा के लिये किया। कहा था "कुपुत्रो जायेत तदपि कुमाता न भवति।" तिब्बत में माता वर्ग स्वार्थ रक्षा हेतु कुमाता हुई। इसी तरह से प्रदेश की मुख्य मंत्री जी मां हैं। एक तरफ तो समाजवाद शब्द को भी वर्ग स्वार्थ के लिये मार डाली हैं और कदम उठाने में पीछे भाग रही हैं। बच्चों की तरफ से, न बूढ़ों रोगियों और न बेकारों की तरफ से ही समाजवाद लाने की तरफ कदम उठाया जा रहा है, इसका मुझे बड़े दुख है।

श्री बैजनाथ सिंह वैद्य—

उपाध्यक्ष महोदय, यह बजट जो माननीय वित्त मन्त्री जी ने सदन के समक्ष उपस्थित किया है, इसके सम्बन्ध में जितने भाषण हुये हैं, करीब करीब सबको मैं सुनता रहा हूं। श्रीमन्, इसमें बहुत तो एडवांस थे और कुछ बैकवर्ड थे, बहुत सी समाजवादी स्पीचेज थीं, कुछ जनसंघी थीं और कुछ स्वतन्त्र स्पीचेस थीं। हमारे जो मित्र दीपनारायण जी बोल गये, मेरी समझ में नहीं आया कि आखिर उनका कौन सा वाद है, वह मस्ती में बोल गये। मैं खुला खुला सरकार के पक्ष में बोल रहा हूं, कोई छिपी हुई बात इसमें नहीं है। जितनी स्पीचेज हुयीं, उनको मैंने सुना। हमारे यहां भारतीय परम्परा है कि जहां सार्वजनिक स्थान पर वार्तालाप हो उस स्थान पर ज्यादातर सही बात ही कहनी चाहिये। हमारे यहां की भाषा में एक कहावत है कि "कहै पद, जूझे वर्ग"। तो वोट तो खिलाफ दीजिये, लेकिन इसको कहने में कन्जूसी क्यों करते हैं कि जो सही बात हो वह भी न कहें? हमारे यादव जी ने दबी जबान से कुछ बातों के लिए तो माना है जिनका वे आदर करते हैं, और जिनको मौजूदा परिस्थितियों के अनुसार रखना जरूरी भी था। उन्होंने थोड़ा बहुत कहने की कोशिश की। बाकी एक भी स्पीच विरोधी पक्ष से ऐसी आयी नहीं, जिसमें दो लाइन्स भी इस १० पेज की किताब से निकाल रखी जातीं कि हम इस से इत्तिफाक करते हैं। कोई महोदय इसकी दो लाइन्स से भी इत्तिफाक करते तो मैं सोचता कि भाई दो लाइन्स से तो इत्तिफाक करते हैं, लेकिन समूची किताब से इत्तिफाक नहीं करते, तब तो स्पष्ट है कि आलोचनायें पक्षपात पूर्ण होती हैं, न्यायपूर्ण नहीं। वास्तव में विरोधी दल के लिए कहने के लिए कुछ रह भी नहीं गया है क्योंकि हम इतना आगे बढ़ गये हैं कि उनके पास आलोचना के लिए मसाला नहीं होता। हमारे कुछ लोगों में कुंडलिनी जागृत हो गयी यौगिक क्रिया करने से कुंडलिनी जागृत हुआ करती है जिस से मस्तिष्क बड़ा विचारवान हो जाता है। तो हमारे मित्रों को कुंडलिनी जागृत हो गयी है।

श्री लखीसिंह (जिला मथुरा)—

हमारे मित्र सरकार तो हैं नहीं, साधारण सदस्य हैं।

श्री बैजनाथ सिंह वैद्य—

मेरे मित्र ठाकुर हैं और पुराने मित्र हैं। सिंह के सामने अबल की जरूरत नहीं होती, सही सही बात कही जाती है। इसीलिए मैं भी सही सही बात कह रहा हूं।

मैंने बजट के भाषण को पढ़ा और भाषण सुने। इस पक्ष के भाषणों को भी सुना। माजूदा परिस्थितियों में इससे अच्छा बजट नहीं बन सकता था। बावजूद इसके कि अनेक प्रकार की खराब परिस्थितियां हैं, खेती की हालत हमारी खराब है, खेती के साधन हमारे खराब हैं, लड़ाई के जमाने से अभी अभी हम गुजरे हैं और चायना की तलवार अभी लटक ही रही है और भी बहुत सी परेशानियां दिमागों में हैं; लेकिन उनके बावजूद भी माननीय वित्त मन्त्री जी ने बहुत सुन्दरता और खूबी के साथ समय और आवश्यकताओं को देखते हुए यह बजट प्रस्तुत किया है। इस बजट में सब से मुख्य बात यह है कि खेती पर जोर दिया गया है। यह बात सही है कि हमारे प्रदेश की ६१ परसेंट आमदनी खेती से होती है और खेती पर निर्भर रहने वाले ८० प्रतिशत उत्तर प्रदेश के बाशिंदे हैं। तो जो यह कहा गया कि सभी झूठे कागज, रद्दी कागज हैं, रद्दी कागज की टोकरी में फेंकने लायक हैं, लेकिन मौजूदा स्थिति को देखते हुये जो प्राविधान इस में कृषि के लिए किये गये हैं, ईमानदारी से सिर्फ एक आइटम को समझ लें तो मैं समझता हू कि फिफटी परसेंट आप इस बजट के पक्ष में हो जायेंगे।

श्रीमन्, मैं एक बात कहना चाहता हूं। यहां पर कुछ बातें तो ऐसी हो गयी हैं जिनके बारे में मैं बैठा बैठा सोचता था कि इनसे कुछ मिलेगा। मुझे भी सरकार की आलोचना करने का आनन्द मिलता है। जहां कमजोरी है और गड़बड़ी हो उसकी आलोचना करनी चाहिये और सुझाव देने चाहिये। यह नहीं होना चाहिये कि आंखें मूंदकर हम उन बातों को मान लें। मैं इस पक्ष में नहीं हूं। मैं इस पक्ष में भी नहीं हूं कि सरकार की उन सारी बातों को, सारी खूबियों को हम बालाये ताक रख दें और जो बुराई हैं उन को ही केवल देख लें। मैं माननीय दुबे जी के भाषण को गौर से सुन रहा था। वह हमारे विरोधी पक्ष के नेता रहे हैं और काफी पढ़े लिखे भी हैं और समय को देखकर हमेशा सदन में बोलते हैं। आज मैं बड़ी गौर से उनकी बात को सुन हरा था। हमको एक शब्द भी उनके भाषण में नहीं मिला जिसको हम सार्थक कहें। जैसा हमारे चतुर्भुज शर्मा जी का भाषण हुआ उसी तरह का भाषण दुबे जी का भी हुआ है। उनसे बिलकुल मिलता जुलता है। इन दोनों का भाषण बिलकुल अगल-बगल चल रहा था। थोड़ा सा कहीं पर अलगाव हो जाता था। भाषा, शैली और विचार में थोड़ा-थोड़ा अन्तर हो जाता था लेकिन उसका अर्थ और सारांश एक ही तरह का था। ऐसा मालूम होता था कि शर्मा जी से सलाह मशविरा कर के दुबे जी ने यहां पर भाषण दिया हो। मैं तो शर्मा जी के भाषण को सुनकर स्तब्ध रह गया। एक आदमी, जो मिनिस्टरी में रहा हो, जिस ने बैठकर मिनिस्ट्री के लिए शपथ खायी हो, गोपनीयता की शपथ खायी हो, जिसके जामने में कानून पास किया गया हो, उसके जमाने में ये तमाम सरकारी कार्यवाही हुई हो, वह मिनिस्टर न रहने के बाद यहां सदन में खड़ा होकर एक बारगी महात्मा गांधी जी की जय बोलकर खड़ा हो जाय और इस तरह से भाषण करे तो यह क्या औचित्य की बात हो सकती है? मुझे तो यह बात सुनकर बड़ी हैरत लगी, क्योंकि वह फिर मिनिस्टरी में आ सकते हैं। उसके लिए ही यह सब लड़ाई लड़ी जारही है और भी बहुत सी बातें हो रही हैं। मैं इस को सोचकर स्तब्ध रह गया। इस तरह का उनका भाषण हुआ कि कोई परदा नहीं रह गया। उन्होंने यहां पर अपने को बेपरदा कर दिया जिसके लिए कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि १ करोड़ ९० लाख रुपया का गबन कोआपरेटिव में हुआ। इसका उन्होंने जिक्र किया। मैं उन से पूछता हूं कि यह १ करोड़ ९० लाख का गबन जब आप मिनिस्ट्री में थे तब का है या पहले का है या बनारसीदास जी जब से आये तब का है। अगर पहले का है तो आप ने क्या उसको देखा नहीं था? मैंने उनसे यह कहा था, लेकिन वह गुस्से में आ गये। अगर मैं उनके बगल में बैठा होता, तो न जाने क्या वह करते। एक सदस्य जो मिनिस्ट्री में रहा हो यदि जिस के फिर से आने की उम्मीद

हो वह इस बात का यहां पर उल्लेख करे और बताये कि उन के मिनिस्ट्री से हटने के बाद तमाम गड़बड़ी हो रही है तो यह उचित नहीं कहा जा सकता है। मैं यह निवेदन करूंगा कि इस स्तर की स्पीच उनकी यहां पर नहीं होनी चाहिये थी। इस तरह की स्पीचों से जनता पर बड़ा बुरा प्रभाव पड़ता है और सरकारी अधिकारियों पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। वे उनके साथ बैठ कर काम किये हैं और वे सोचते हैं कि कल तक तो यह जब मिनिस्टर रहे, यह सारी बातों को ठीक समझते थे, आज यह अलग हो गये हैं तो उनका दृष्टिकोण भी बदल गया है।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)—

श्रीमन्, यह आपको सम्बोधित कर के सरकारी अधिकारियों को खुश कर रहे हैं।

[श्री बैजनाथ सिंह वैद्य—

इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।]

श्री उपाध्यक्ष—

आपका समय समाप्त।

अब हम उठते हैं और कल ११ बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन ५ बजे अगले दिन के ११ बजे तक के लिए स्थगित हो गया।)

देवकीनन्दन मित्थल,

सचिव, विधान सभा,

उत्तर प्रदेश।

लखनऊ:

२३ फरवरी, १९६६।

नोट—[] माननीय सदस्य ने २४-२-६६ को सदन में यह कहा कि उपरोक्त शब्द उन्होंने नहीं कहे। अतः मा० अध्यक्ष के आदेशानुसार यह शब्द कार्यवाही के अंश नहीं माने जायेंगे।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या १ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५०५ पर)

पत्रांक १६, दिनांक ८ मई, १९६५ १२४, ए दारुलशफा, लखनऊ।

सेवा में,

माननीय मुख्य मंत्री महोदय,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

महोदय

निवेदन है कि संलग्न २६ विधायकों का हस्ताक्षरयुक्त पत्र हैदरगढ़ क्षेत्र में ग्रामीण जनशक्ति योजना को तत्काल लागू करने, क्रैश प्रोग्राम में शामिल करने तथा चौथी योजना में एक बड़ी इन्डस्ट्री खड़ी करने के सम्बन्ध में प्रेषित कर आप से अनुरोध है कि उक्त कार्यों को तत्काल लागू कराने तथा कोई भारी उद्योग चौथी योजना में प्रारम्भ कराने की कृपा करें।

प्रतिलिपिः

आपका विश्वासपात्र,

(ह०) राम किशोर त्रिपाठी

सदस्य, विधान सभा।

श्री अशोक मेहता, उपाध्यक्ष,
योजना आयोग, नई दिल्ली।
संलग्नक—१।

(प्रतिलिपि)

१२४ दारुलशफा, लखनऊ।

माननीय मुख्य मंत्री महोदय,

उत्तर प्रदेशीय सरकार।

विषयः बाराबंकी जिले की पूर्वी जिलों की भांति पिछड़ी हुई तहसील हैदरगढ़ में पटेल आयोग जैसी सिफारिशों को लागू करने तथा इसे इन्टेन्सिव प्रोग्रामों में शामिल करनेहेतु।

महोदय,

हैदरगढ़ तहसील जिले का सब से पिछड़ा क्षेत्र है जहां पर कृषि के अतिरिक्त कोई ऐसा उद्योग या अन्य साधन नहीं है जिससे यहां के लोग रोजी के साधन जुटा सकें। यह स्थान रेलवे लाइन से जुटा है और विद्युत् शक्ति भी मौजूद है किन्तु यहां के लोगों की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि वह अपने निजी व्यय भार पर कोई कार्य कर सकें। ऐसी दशा में हैदरगढ़ तथा त्रिवेदीगंज ब्लाकों में निम्न कार्यों को चालू कराने की व्यवस्था करें।

१—हैदरगढ़ त्रिवेदीगंज तथा सिद्धौर ब्लाक इन्सेन्टिव प्रोग्राम के अन्तर्गत ले लिये जायं और उन ब्लाकों में क्रैश प्रोग्राम चालू किया जाय।

२—लोगों की बेकारी दूर करने हेतु हैदरगढ़ से सुवेहा, हैदरगढ़ से महाराजगंज, मेलवल से गूढ़ा खजुरो (बाबा हसवुवापुर श्रमदान मार्ग) तथा हैदरगढ़ से बछडावा सिद्धौर से सुवेहा मार्गों को ग्रामीण जनशक्ति योजना के अन्तर्गत शामिल कर लिया जाय जैसा कि अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग बाराबंकी ने भी सहायक सचिव अल्प सिंचाई विभाग को लिखा है और तीसरी पंचवर्षीय योजना के तीसरे चरण में उक्त मार्गों को शामिल करने की योजना थी।

३—ऐसी कोई इन्डस्ट्री की व्यवस्था की जाय जिसमें यहां के लोग बड़ी संख्या में अपनी रोटी श्रम के द्वारा चला सकें।

हम हैं आपके सदस्यगण,

उत्तर प्रदेश, विधान सभा

(ह०) राम किशोर त्रिपाठी,

तथा अन्य।

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न सं० ६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५१२ पर।)

दिनांक १ जनवरी, १९६५ से ३० नवम्बर, १९६५ तक दिये गये अनुदान का विवरण प्रथम सोपान क्षेत्र भगतपुर टांडा [जिला मुरादाबाद]

क्रमांक	नाम अनुदान प्राप्त कर्ता		नाम ग्राम		किस बाबत अनुदान दिया गया	धनराशि
	पशु-पालन					
	सर्वश्री					रु०
१	कमल सिंह	..	पसियापुर	..	पशुओं की चर हेतु	२५.००
२	तेज पाल सिंह	..	"	..	"	५०.००
३	तेजपाल सिंह	..	उदाबला	..	"	५०.००
४	भगवती प्रसाद	..	सती खेड़ा	..	"	५०.००
५	रणजीत सिंह	..	कोठला नगला	..	"	५०.००
६	जगदीश प्रसाद	..	सती खेड़ा	..	"	५०.००
७	राम सिंह	..	कोठला नगला	..	"	५०.००
८	लटूर सिंह	..	"	..	"	५०.००
९	मिश्री सिंह	..	भवानीपुर	..	"	२५.००
१०	ऊदल सिंह	..	"	..	"	२५.००
११	आनन्दी प्रसाद	..	सेहल		"	७५.००
					योग ..	५००.००
	हार्टी कल्चर					
१	रियासत हुसेन, एम० एल० ए०		ताड़पुर	..	उद्यान हार्टीकल्चर	२५०.००
२	सज्जादत हुसेन	..	"		"	२५०.००
					योग ..	५००.००
	मछली पालन					
	शून्य					
	मुर्गी पालन					
१	जगदीश प्रसाद	..	सती खेड़ा	..	कुक्कुट शाला हेतु	२५०.००
२	राजवीर सिंह	..	रामदा चतुर्भुज	..	"	२५०.००
					योग ..	५००.००

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न सं० ११ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५१६ पर।)

झांसी जिले के विकास खण्ड बार में वर्ष १९६२ में मार्च से जून के बीच केवल ५ कर्मचारियों का वेतन रोका गया था जिसका विवरण निम्नलिखित है :—

क्रम-संख्या	नाम कर्मचारी पद सहित	अवधि जिसका वेतन रोका गया
१	श्री गफूर खां सिद्दीकी, कनिष्ठ लिपिक	१-५-६२ से १०-५-६२ तक
२	श्री भरोसे लाल, ग्राम सेवक ..	८-६-६२ से १४-६-६२ तक
३	श्री आर० के० कुशला, सहायक विकास अधिकारी (कृषि) ..	अप्रैल १९६२ तथा ६-५-६२ से १२-५-६२ तक।
४	श्री कुबेर सिंह भदौरिया, सहायक विकास अधिकारी (पशु पालन)	अप्रैल, १९६२।

इसके अतिरिक्त श्री दया राम, कृषि कामदार का भी, जिसका संबंध वस्तुतः कृषि (क) विभाग से है, वेतन १-३-६२ से ३०-६-६२ तक रुका रहा।

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न सं० १९ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५१८ पर।)

तालिका "क"

इस खण्ड द्वारा निम्नलिखित अनुसन्धान तथा प्रयोग किए गए हैं :—

१—बोरिंग करने के लिए निम्नलिखित औजारों का सुधार किया गया :—

(१) एडजस्टेबिल बुडिंग क्लैम्प।

(२) सिंगिल एन्डड स्पेनर।

(३) डबल शीव पुली

(४) सिंगिल शीव पुली।

(५) शीयर लेग।

इन औजारों के सुधार से शीघ्र तथा सस्ते दामों पर बोरिंग किया जा सकता है।

२—कुएं से पानी उठाने के धन्धों में सुधार :—

(१) वाशर रहट में बेयरिंग तथा धुरी बदल कर सुधार किया गया।

(२) सस्ती रहट को बाल्टियों का अन्वेषण किया गया।

सुधरे हुए वाशर रहट अथवा खुले रहट की बाल्टी से सस्ते मूल्य पर अधिक पानी प्राप्त हो सकता है।

३—प्रयोग जो किए गए :—

(१) कई प्रकार की सुधरी हुई वाशर रहट का निर्माण, प्रयोग कूप पर लगाना तथा प्रयोग करना ताकि इनमें से सर्वोत्तम का प्रचलन बढ़ाया जा सके। वाशर रहट के प्रयोग से सिद्ध हुआ कि बाल बेयरिंग लगी रहट सर्वोत्तम है।

४—पम्पिंग प्लान्ट के प्रयोग :—

निम्न प्रकार के पम्पिंग प्लान्टों पर प्रयोग किए गए :—

(१) पम्पिंग प्लान्ट जिसका इंजन खड़ा तथा उसके साथ खड़ा पम्प जुड़ा हुआ।

(२) पम्पिंग प्लान्ट जिसका इंजन पट्ट तथा उसके साथ खड़ा पम्प जुड़ा हुआ।

ये प्रयोग इसलिए किए जा रहे हैं कि उत्तम कार्य प्रणाली पम्पिंग प्लान्ट से कम मूल्य पर अधिक पानी प्राप्त हो सके। अभी इस विषय पर प्रयोग करना और बाकी है।

५—सस्ते कूप का निर्माण—

ऐसे कुंए की डिजाइन तैयार की गई जिसका व्यास कम से कम हो तथा जिसमें वाशर रहट फिट हो सके अथवा बोरिंग हो सके।

६—निम्न कृषि यन्त्रों पर प्रयोग तथा सुधार किए गए :—

(१) बक स्क्रेपर। (२) वुडिन फ्लोटा। (३) ए-फार्मरिजर।

नत्थी 'ङ'

(देखिये तारांकित प्रश्न सं० २० का उत्तर पीछे पृष्ठ ५१९ पर)

तालिका "ख"

श्री एस० डी० शर्मा, अधिशासी अभियन्ता तथा निदेशक (अनुसंधान) लघु सिंचाई एवं जल प्रयोग, को योग्यता एव अनुभव का विवरण

योग्यता :—

(अ) एम० एस–सी० (प्रिविअस) (फिजिक्स) विशेष विषय (स्पेक्ट्रोसकापी)

(ब) टेकनिकल बी० ई० (रुड़की यूनीवर्सिटी)।

(स) प्राविधिक संघ की सदस्यता :—

१—सदस्य, अन्तर्राष्ट्रीय हाइड्रोलिक अन्वेषण संघ।

२—सदस्य, अमेरिकन सिविल अभिन्ताएं समिति।

३—सदस्य, अमेरिकन भौगोलिक संघ।

४—सदस्य, अमेरिकन कंक्रीट (concrete) संस्थान।

५—सम्बद्ध सदस्यता, भारतीय अभिन्यता संस्थान।

६—भूतपूर्व सदस्य अमेरिकन सामग्री परीक्षण समिति।

अनुभव :—

१—रिहन्ड पावर तथा सारदा पावर हाउस की डिजाइनें निर्मित किया जाना।

२—नहर तथा माइनर का रख रखाव तथा जीर्णोद्धार।

३—बाढ़ नियंत्रण तथा आगरा नहर का मुख्य कार्य ओखला तथा गंगा कैनाल हरिद्वार का मुख्य कार्य तथा इनके मरम्मत का कार्य।

४—रिहन्द डैम का निर्माण।

५—बरेली तथा कुमाऊं प्राखंड में नई योजनाओं का नियोजन एवं अन्वेषण करना।

६—उत्तर प्रदेश, बिहार एवं देहली राज्यों की हाइड्रोलिक समस्याओं का अन्वेषण एवं प्रोटाइल विहैवियर (proto type behaviour) का अध्ययन।

७—केन्द्रीय परिषद् और सिंचाई और शक्ति द्वारा निर्धारित प्रारम्भिक और मौलिक समस्याओं का अनुसन्धान तथा उनके परिणाम का गोष्ठी में उपस्थित करना।

८—अनुसन्धान सत्रों में सिंचाई और उचित केन्द्रीय परिषद् में प्रतिवेदनों का प्रस्तुत करना तथा उन पर वार्तालाप करना।

९—मेरठ तथा आगरा प्राखंडों में अल्प सिंचाई योजनाओं का कार्यान्वयन।

नत्थी 'च'

(देखिये तारांकित प्रश्न सं० २२ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५२० पर ।)

विकास क्षेत्र खजुहा के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की ३० नवम्बर, १९६५ की सूची

क्रम-संख्या	नाम कर्मचारी		पद	विकास खण्ड में योगदान की तिथि
१	श्री बद्री प्रसाद वर्मा,	..	स० वि० अ० (सह०)	३-११-६५
२	श्री राजकुमार त्रिपाठी	..	,, (कृषि)	१६-७-६३
३	श्री यज्ञ दत्त शास्त्री	..	,, (पंचायत)	२७-२-६४
४	श्री पुष्कर सिंह	..	,, (कम्पोस्ट)	१०-६-६४
५	श्री दीनानाथ सिंह	..	,, (उद्योग)	३०-६-६४
६	श्रीमती पुष्पलता श्रीवास्तव	..	,, (महिला)	८-८-६४
७	श्री राम औतार ..	..	ग्रामसेवक	२९-७-६५
८	श्री विजय नारायण तिवारी	..	,,	४-१२-६४
९	श्री मोहनलाल वर्मा	..	,,	७-११-६४
१०	श्री राम आज्ञा	..	,,	१८-९-६५
११	श्री सरफराज हुसैन	..	,,	२८-९-६५
१२	श्री जयकरन सिंह	..	,,	११-९-६५
१३	श्री जगदम्बा प्रसाद	..	,,	१९-१२-६४
१४	श्री रामहित मिश्र	..	,,	२६-७-६५
१५	श्री सिद्धगोपाल यादव	..	,,	३-८-६५
१६	श्रीमती श्रीदेवी मिश्रा	..	ग्रामसेविका	१-१-६४
१७	श्रीमती विद्यावती	..	,,	४-३-६४
१८	श्री मोती लाल	..	स्टाक मैन	अगस्त, ६३
१९	श्री रामबाबू गुप्ता	..	प्रगति सहायक	३-८-६५
२०	श्री मथुरा प्रसाद वर्मा	..	एकाउन्टेन्ट	११-८-६५
२१	श्री बृजराज किशोर	..	ज्येष्ठ लिपिक	२-९-६५
२२	श्री कालीशंकर	..	भंडार लिपिक	२४-७-६५
२३	श्री शिवकरन	..	टाइपिस्ट	१८-९-६५
२४	श्री गया प्रसाद	..	पत्रवाहक	१६-७-६२
२५	श्री मोहनलाल	..	,,	१६-१-६३
२६	श्री रामेश्वर	..	,,	२८-७-६४
२७	श्री बाबूलाल	..	,,	१६-१०-६४

तालिका 'ग'

श्री बी० पी० गर्ग, सहायक अभियन्ता, (अनुसन्धान) लघु सिंचाई एवं जल प्रयोग की योग्यताएं।

१—क्रिश्चियन कालेज, लखनऊ द्वारा सन् १९३६ में उच्चतर माध्यमिक (इन्टरमीडिएट) परीक्षा का उत्तीर्ण होना।

२—१९३८ वर्ष में थामसन कालेज रुड़की से ओवरसियर की परीक्षा उत्तीर्ण करना।

३—सिंचाई विभाग में १ वर्ष परीक्षण अनुभव।

४—१९४१ में सिंचाई विभाग में योगदान करना।

५—१९५६ में द्वितीय श्रेणी की सेवाओं के लिए विभागीय परीक्षा में उत्तीर्ण होना।

६—सिंचाई विभाग से सम्बन्धित सभी कार्यों का १९४१ से अनुभव।

७—१९४४ में स्थायी घोषित किया जाना।

८—१९६५ में अल्प सिंचाई योजना के अन्तर्गत दो मास का प्रशिक्षण।

तालिका "घ"

श्री एस० आर० यादव, सहायक अभियन्ता (मैकेनिकल) लघु सिंचाई एवं जल प्रयोग की योग्यताएं।

१—बी० एस० सी० (इंजीनियरिंग)।

क्रम-संख्या	नाम कर्मचारी		पद	विकास खण्ड में योगदान की तिथि
२८	श्री बसन्तलाल	..	चपरासी (हे० वि०)	३–५–६५
२९	श्री राम आसरे	..	,, (स० वि० आ०) (महिला)	१८–५–६३
३०	श्रीमती वीरमती सचान	..	हे० विजी०	१४–४–६५
३१	श्री राम आसरे	..	ड्राइवर	दिसम्बर, ६३
३२	श्री मुन्नीलाल	..	चौकीदार	१–२–६५
३३	श्री लाल जी श्रीवास्तव	..	प्रचार सहायक	२६–५–६४
३४	श्री राजेन्द्रकुमार अग्रवाल	..	स० कृषि निरी०	१–८–६३
३५	श्री राम शरण	..	कामदार (कृषि)	१–७–६२
३६	श्री रघुराज	..	,,	३–५–६५
३७	श्री बैजनाथ	..	चौकीदार	२२–१०–५९
३८	श्री रामगोपाल	..	पंचायत मंत्री	१–११–६४
३९	श्री छेदालाल	..	,,	८–८–६१
४०	श्री शिवबालक	..	,,	१६–४–६२
४१	श्री शिवनायक सिंह	..	,,	७–१२–६३
४२	श्री गंगासागर	..	,,	३०–८–६१
४३	श्री सीताराम	..	,,	२१–३–६४
४४	श्री शिवमोहन	..	,,	२३–११–६४
४५	श्री रघुरैया	..	,,	५–५–६४
४६	श्री बदलू राम	..	,,	२०–७–६२
४७	श्री कृष्णकुमार	..	अस्थायी पत्रवाहक	२१–११–६४
४८	श्रीमती शिवरानी	..	दाइयां	२२–१०-६४
४९	श्रीमती श्यामवती	..	,,	२२–१०-६४
५०	श्रीमती श्यामकली	..	,,	२२–१०–६४
५१	श्रीमती शीतला देवी	..	,,	२२–१०–६४

हस्ताक्षर अस्पष्ट
कृते जिला नियोजन अधिकारी,
फतेहपुर

नत्थी 'छ'

(देखिये तारांकित प्रश्न सं० ४८ का उत्तर: पीछे पृष्ठ ५२४ पर।)

दिनांक २६ से २८–११–६४ तक जिला विकास सम्मेलन एवं प्रदर्शनी में विभिन्न विकास विभागों की निम्नांकित १८८३–५० पै० धनराशि प्राप्त हुई थी तथा उसका व्यय निम्न मुख्य-मुख्य मदों में किया गया था।

१—उपर्युक्त धनराशि निम्नलिखित विभागों से प्राप्त हुई थी :—

(१)	जिला परिषद् की डिस्क्रीशनरी ग्रान्ट ..	१,०००.००
(२)	सिविल सर्जन, फतेहपुर	२००.००
(३)	जिला सहकारी बैंक, फतेहपुर	४१०.००
(४)	जिला हरिजन एवं समाज कल्याण अधिकारी ..	१००.००
(५)	जिला परिषद्, फतेहपुर	७५.००
(६)	जिला सूचना अधिकारी	२१.५०
	कुल आय ..	१८८३.५०

२—मुख्य-मुख्य व्यय विवरण :—

(१)	प्रचार	१९१.७५
(२)	पंडाल निर्माण एवं शामियाना	११२५.००
(३)	बिजली फिटिंग एवं किराया	३०४.५०
(४)	स्टेशनरी (विकास सम्मेलन हेतु) ..	९१.१२
(५)	फुटकर खर्च	१७१.१३
	कुल व्यय ..	१८८३.५०

पी० एस० यू० पी०–ए० पी० २२१ एल० ए०—१९६६—८६२।